Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का ११वाँ दिवस [संख्या ८

सोमवार, ३ नवम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

आपत्तिकालीन सलाहकार समिति की नियुक्ति

३०५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कोई आपत्तिकालीन सलाहकार समिति की नियुक्ति हुई है ?

(२) अगर हां, तो किन किन आधारों पर और इस समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

(३) क्या इस समिति के सदस्य डिविज़न-वाइज़, डिस्ट्रिक्टवाइज़ या तहसील वाइज़ रखे गये हैं ?

(४) उक्त समिति को आठ साल बाद नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई ?

उप मन्त्री (श्री सम्पतराम, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में): (१) हां, यह सही है।

(२) यह समिति भारत सरकार के गृह मन्त्रालय के आदेश तथा निर्देशित आधारों पर प्राकृतिक प्रकोप जैसे भूकम्प, बाढ़, महामारी, अग्निकाण्ड, रेल दुर्घटनाएं आदि से पीड़ित मनुष्यों को राहत देने तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाने के लिये नियुक्त की गई है। इस समिति के सदस्य संलग्न सूची के अनुसार हैं।

(३) जी नहीं, केवल संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व ही डिविज़न वाइज़ है।

(४) यह संगठन भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष में प्रस्तुत योजना के अन्तर्गत राज्य में स्थापित किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह: इस कमेटी ने राजस्थान में जहां जहां आपत्ति आई, उसमें से कहां कहां आपत्ति का निवारण किया ?

श्री सम्पतराम: ऐसी कोई आपत्ति नहीं आई, जिसे इस कमेटी को बताने की जरूरत महसूस हुई हो।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जैसा कि आपने अभी फर्माया फ्लड वगैरह के लिये यह कमेटी बनाई गई है तो फ्लड्स वगैरह भरतपुर में आये वहां उसने क्या काम किया ?

श्री सम्पतराम : इसका मकसद जनरल पॉलिसी को डील करना है। जिले में यदि किसी जगह ऐसी केलेमिटीज़ आती हैं तो जिला अधिकारी उसके लिये आवश्यक कदम उठाते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिलों से कौन प्रतिनिधित्व करता है ? हमारे जिले से किसने प्रतिनिधित्व किया ?

श्री सम्पतराम : आपके यहां से आपके जिलाधीश ने प्रतिनिधित्व किया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : संकट निवारण के लिये कमेटी के पास धनराशि सुरक्षित रहती है क्या ?

श्री सम्पतराम : धनराशि का कमेटी से ताल्लुक नहीं है। वह तो जनरल प्रिन्सिपल्स पर विचार करती है। संकट निवारण कार्य सरकार के अधिकारी करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जनरल प्रिन्सिपल्स किस तरह के होते हैं, दरख्वास्त लिखकर जिलाधीश को देनी पड़ती है या क्या होता है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) **:** फ्लड रिलीफ आदि के लिये बजट में हर साल प्रॉविजन होता है। जहां पर केलेमिटीज़ ज्यादा होती हैं तो उसके लिये स्पेशल ग्रान्ट्स होती हैं जैसा कि मैंने भरतपुर के लिये स्टेटमेन्ट दिया या वहां पर स्पेशल ग्रान्ट दी है। यह कमेटी जनरल प्रिन्सिपल्स तय करती है। फ्लड्स, फायर वगैरह जैसी जनरल केलेमिटीज़ आवें तो उनका कैसे मुकाबला किया जाय और राष्ट्रीय सम्पत्ति की किस तरह बचत की जाय। भारत सरकार के परामर्श से यह कमेटी बनाई गई है। फ्लड्स वगैरह के लिये बजट में अलग प्रॉविजन किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : Has it met ?

श्री सम्पतराम : जी हां, इसकी मीटिंग हो गई है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कमेटी भारत सरकार के द्वारा नियुक्त की गई थी, उसकी रिकमन्डेशन पर की गई थी, वे रिकमन्डेशन देखते हुए इस तरफ से कोई मेम्बर नहीं है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

फेमिन तकावी, जिला जालौर

३०६. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) **:** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला जालोर में इस वर्ष तकावी फेमिन की रकम कितनी दी गई और उसका विभाजन प्रत्येक तहसील को किस प्रकार किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सांचोर तहसील में फेमिन की तकावी वितरण करने के लिए मीटिंगें कब कब बुलाई गई और कितने रुपये बांटे गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सत्य है कि कुछ लोगों को ५० रुपये तकावी के रूप में बिना कमेटी

Page No.3

(श्री लक्ष्मीचन्द)

बुलाये तहसीलदार ने दिये थे ? यदि हां, तो क्यों और किन किनको ?

(४) क्या यह सत्य है कि तारीख ५–७–५८ को फेमिन तकावी कमेटी की मिटिंग हुई और उसमें जो रकम लोगों को दिया जाना तय हुआ वह अभी तक नहीं दी गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(५) क्या यह भी सत्य है कि तारीख ५–७–५८ को जो तकावी वितरण की गई थी, वह बैल खरीदने हेतु थी और वह समय पर नहीं मिलने के कारण कई काश्तकारों को समय पर बैल खरीदने को पैसा नहीं मिला और फसल से हाथ धोना पड़ा ? यदि हां तो, इसका उत्तरदायित्व किस पर था और उसके खिलाफ क्या कदम उठाया गया ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) इस वर्ष जिला जालोर की फेमिन तकावी के ५०,००० रु० दिये गये। उसके विभाजन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सांचोर तहसील में फेमिन तकावी वितरण करने के लिए एक कमेटी दिनांक ५–७–५८ को बुलाई गई। उसमें १८,००० रु० की धनराशि स्वीकृत की गई।

(३) यह सत्य नहीं है।

(४) हां, यह कुछ हद तक सत्य है। इस मीटिंग में १८,००० रु० वितरण करना निश्चित हुआ था, जिसमें से १०,००० रु० वितरण किया जा चुका है। बाकी रकम वितरित की जा रही है।

(५) यह सत्य नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : यह तकावी तकसीम की गई, वह लोगों को मिल गई या नहीं ?

श्री सम्पतराम : १० हजार रुपये की तकावी मिल गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : १८,००० रुपये उनको बांटने थे, तो बाकी के रुपये क्यों नहीं दिये जा सके हैं ?

श्री सम्पतराम : बाकी के रुपये नहीं दिये जा सके हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : १०,००० रुपये तकावी तकसीम होने के कितने दिन बाद मिले हैं।

श्री अध्यक्ष : तकसीम होने के कितने दिन बाद मिले हैं ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख मेरे पास नहीं है। जैसे ही निर्णय हुआ तकावी दे दी गई होगी।

प्रश्न संख्या ३०७

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : लक्ष्मीचन्द।

बेवाओं को पेन्शन

३०८. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि भूतपूर्व किशनगढ़ राज्य के पालड़ी व जालिया ग्रामों में

Page No.4

(श्री लक्ष्मीचन्द)

किन्हीं बेवाओं को कोई पेन्शन सरकार से मिलती थी ?

(ख) यदि हां, तो वह किन किन व्यक्तियों को कब तक मिलती रही ?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। मौजा पालड़ी में तीन बेवाओं को पेन्शन मिलती थी। मौजा जालिया में किसी को नहीं मिलती थी।

(ख) मौजा पालड़ी में श्री नारायणसिंह की मां, दादी व दरोगन तीनों को ता० ३०-१०-५५ तक यह पेन्शन मिलती रही।

श्री लक्ष्मीचन्द : उसके बाद न मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री सम्पतराम : इसके बाद ए० जी० ने ऑब्जेक्शन किया कि यह किस ऑर्डर के तहत, किस राज्याज्ञा के तहत मिलती है। इसके बारे में निश्चित सूचना न मिलने पर उन्होंने इसको बन्द कर दिया।

श्री अनोपसिंह : क्या यह सही है कि एक विधवा गुजर गई और उसके गुजर जाने के बाद इतिला दी कि एक गुजर गई है और दो बाकी हैं, उन दोनों को तीनों की रकम दी जाय ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं। उसके मरने के बाद जब इनको दुबारा देने का सवाल आया तब ए० जी० ने ऑब्जेक्शन किया कि प्रोपर सेंक्शन नहीं है। जिनको पैसा मिलता है, उनको सूचना दी गई लेकिन उनके पास से ठीक जवाब नहीं आया।

श्री लक्ष्मीचन्द : पहले रकम दी जाती थी, उस समय प्रोपर सेंक्शन थी या नहीं ?

श्री सम्पतराम : सवाल यह था कि पहले से मिलती आई थी उस समय कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया था। जब ए० जी० ने ऑब्जेक्शन उठाया तब उसके मरने के बाद एप्लीकेशन तक नहीं दी गई।

प्रश्न संख्या ३०६

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला।

(अनुपस्थिति)

प्रश्न संख्या ३१०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

राणावत फॉर्मुला

३११. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि आर० ए० एस, में राणावत फॉर्मुला एडॉप्ट किया जाता है और आर० टी० एस० में ऐसा नहीं होता ?

(२) यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) एकीकरण के सम्बन्ध में आर० ए० एस० की वरिष्ठता राणावत फॉर्मुला के अनुसार नियत की गयी और आर० टी० एस० के लिए राणावत फॉर्मूला नहीं अपनाया गया।

(२) एकीकरण के सम्बन्ध में सरकार ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार (वरिष्ठता

Page No.5

(श्री दामोदरलाल व्यास)

निर्धारण) नियम बनाये और उन नियमों के अनुसार रेवेन्यु बोर्ड की सिफारिश प्राप्त होने पर तहसीलदार व नायब तहसीलदारों की वरिष्टता निर्धारित की गई ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

गोचर भूमि, तहसील पाली

३१२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(अ) पाली तहसील में किन किन गांवों में आज तक सेटिलमेन्ट विभाग के अलावा कलेक्टर पाली ने गोचर भूमि मुकर्रर की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ब) पाली तहसील के किन किन गांवों में आज तक गोचर भूमि नियुक्त नहीं की गई है और मुकर्रर नहीं करने का क्या कारण है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (अ) कोई भूमि गोचर के लिये जिलाधीश द्वारा मुकर्रर नहीं की गई ।

(ब) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । सेटिलमेन्ट ऑपरेशन पाली तहसील में हाल ही में समाप्त हुए हैं । मगर सेटिलमेन्ट रेकार्ड बाद सफाई आने पर यह मालूम हो सकेगा कि किन किन गांवों में कलेक्टर द्वारा कायम करना आवश्यक रहेगा ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : कब समाप्त हुआ सेटिलमेन्ट ऑपरेशन, किस तारीख को ?

श्री सम्पतराम : तारीख तो नहीं है, अभी थोड़े दिन पहले समाप्त हुआ है ।

श्री मूलचन्द डागा : थोड़े दिन की अवधि बता दीजियेगा । थोड़े दिन का मतलब ?

श्री सम्पतराम : तारीख मुझे याद नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि पाली के गांवों में रहने वाले लोगों ने कम से कम आठ दरख्वास्तें गोचर भूमि नियुक्त करने के बाबत कलेक्टर महोदय को दीं, लेकिन आज तक उन पर कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री सम्पतराम : निवाड़ा व पीपलिया में गोचर भूमि कायम करने बाबत जो एप्लीकेशन हासिल हुई, उनके साफ कागज नहीं आये थे और यह पता नहीं चला कि गोचर भूमि है या नहीं, ऐसी हालत में कलेक्टर के लिए यह वाजिब नहीं था कि वे उन पर कार्यवाही करते ।

श्री मूलचन्द डागा : पाली में सेटिलमेन्ट ऑपरेशन एक साल हुए पूरा हो गया ?

श्री सम्पतराम : मगर साफ कागज बनकर कलेक्टर के पास नहीं पहुंचे हैं । साफ कागज पहुंच जायेंगे तो पता चलेगा कि किस गांव में गोचर भूमि की आवश्यकता है और किस में नहीं । जहां गोचर भूमि नहीं होगी, वहां पर काम करने की कार्यवाही की जायगी ।

श्री अनोपसिंह : साल भर पहले हुए सेटिलमेंट के रेकार्ड से मालूम नहीं किया जा सकता कि कहां पर गोचर भूमि है, कहां कहां पर नहीं है ?

Page No.6

श्री सम्पतराम : सवाल यह है कि साफ कागज बनने में समय तो लगता ही है।

प्रश्न संख्या ३१३

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित -कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१४

श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

तहसीलदारों द्वारा अपने इलाके का दौरा

३१५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में तहसीलदारों को एक माह में कितने दिन दौरा करना आवश्यक माना गया है ?

(२) क्या जिला जालोर के सांचोर तहसीलदार नियमानुसार दौरा करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) तहसीलदारों के लिए माहवारी दौरा करने की कोई माहवारी सीमा निर्धारित नहीं है। केवल साल में १२० दिन दौरा कर लेना चाहिए।

(२) जी हां।

श्री मूलचन्द डागा : इन दौरों से तहसीलदारों के भत्ते का खर्चा बढ़ता है, लाभ कम पहुंचता है।

श्री सम्पतराम : यह आप गलत तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या कुछ सर्क्यूलर निकाले हैं, जिसके अनुसार तहसीलदार १० दिन एक महीने में दौरा करें।

श्री सम्पतराम : इस प्रकार के सर्क्युलर की कोई जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मेनुअल के तहत तहसीलदार १२० दिन का दौरा करें, यह आवश्यक है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो दौरा नहीं करते हैं उनको चैक करने के लिए क्या करते हैं, आप उनको चैक करते हैं ?

श्री सम्पतराम : चैकिंग के लिए ऑफिसर हैं, जहां आवश्यकता महसूस होती है वहां कार्यवाही की जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : आप फर्मा रहे हैं कि नियत समय के माफिक दौरा नहीं करते हैं, इसके लिए क्या एक्शन लेते हैं ?

श्री सम्पतराम : यह आपने कैसे मालूम कर लिया कि नियत समय के अनुसार दौरा नहीं करते हैं।

प्रश्न संख्या ३१६

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१७

श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह

गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेज सिरोही में प्राध्यापकों की कमी

३१८. श्री मोहब्बतसिंह : Will the Education Minister be pleased to state :

Page No.7

(श्री मोहब्बतसिंह)

(a) Is there a shortage of Lecturers in the Government Degree College at Sirohi ?

(b) If so, what is the position and when does the Government propose to meet this shortage ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में है कि कुछ अर्से पहले सिरोही जिले में स्ट्राइक हुआ था और कॉलेज की यूनियन की तरफ से टेलीग्राम भेजे गये थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : टेलीग्राम वगैरह आये थे। कॉलेज में एक प्रिन्सिपल है और १६ लेक्चरार्स थे। उसके बाद में फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने तीन लेक्चरार्स कम कर दिये। फिर मांग आई तो उसके बाद में दो और बढ़ा दिये और उनका अपॉइन्टमेंट कर दिया गया। इस वक्त १५ लेक्चरार्स हैं और एक प्रिन्सिपल है, जो पर्याप्त हैं।

श्री मोहब्बतसिंह : जिनका अपाइन्टमेंट हुआ है, उन लेक्चरार्स ने जोइन कर लिया है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जोइनिंग रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरण सिंह।

श्री मोहब्बतसिंह : फिर आप किस आधार पर कह रहे हैं कि शॉर्टेज नहीं है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अपॉइन्टमेंट किया है उस आधार पर कहता हूं कि वहां शॉर्टेज नहीं है।

प्रश्न संख्या ३१९

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरणसिंह

लगान की रेट, जिला जयपुर

३२०. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील बानसूर, बहरोड़, नीम का-थाना, गाजी का थाना, कोटपुतली में स्पेशल, अव्वल, दोयम और सोयम दर्जों की जमीनों की अधिक से अधिक और कम से कम लगान की रेट कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) जिला जयपुर में किस तहसील की लगान रेट सबसे अधिक है ?

(ग) क्या तहसील कोटपुतली में लगान रेट बहुत सी जगह पर अधिक है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या यह कम की जायेगी ?

(ङ.) क्या यह सही है कि कोटपुतली तहसील में लगान रेट जागीर के समय लगाई गई थी तथा उसकी अब कोई जांच नहीं की गई ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जयपुर तहसील, सिटी ब्लॉक।

(ग) तहसील कोटपुतली में खालसा के

Page No.8

(श्री सम्पतराम)

११ ग्रामों के रेट, जो तहसील बैराठ से आये हैं, ऊंचे माने गये हैं।

(घ) जी हां।

(ङ.) सन् १६५१ में लगाये गये थे। ग्राम खालसा के हैं, जागीरदार का प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : माननीय मंत्रीजी ने जो सूची सदन की मेज पर रखी है, उसमें क्लॉज़ तीन में कोटपुतली के लिए १० । १० है, जो तीन-चार तहसीलों से ज्यादा है, खाना ५ में सबसे ज्यादा है, चारों तहसीलों से, खाना सात में सब से ज्यादा है, खाना ६ में सबसे ज्यादा है तो इन खानों में जो कोटपुतली की लगान की रेट है, वह अधिक होते हुए भी अधिक नहीं मानी जा सकती ?

श्री सम्पतराम : हां, हमने भी ११ ग्रामों में लगान की दरें ऊंची मानी हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या दूसरी तहसीलों के समान यहां की जमीन उर्वरा न होने के कारण इस लगान को कम करने के लिए सरकार सोचती है ?

श्री सम्पतराम : जब रिवाइज़ होंगे सेटिलमेंट ऑपरेशन, तब हो जायगी।

श्री रामकरणसिंह : बहुत सी जगह शुद्धिकरण के लिए सरकार ने एकदम कदम उठाये हैं, उसी प्रकार कोटपुतली में जो ठिकाने के टाइम का लगान लगा हुआ है उसको कम करने के लिए सरकार सोचेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : इसका जवाब दे दिया है कि कोटपुतली में जो ११ गांव बैराठ से आये हैं, वहां पर ज्यादा लगान वसूल किया जा रहा है। बाकी और गांवों के अन्दर सरकार के ख्याल से लगान ज्यादा नहीं है।

प्रश्न संख्या ३२१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह।

भरतपुर हेतु नियत लोक-ऋण

३२२. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Will the Finance Minister be pleased to state :

(1) Did the Government float a public loan and if so, was this total loan amount divided and allotted to districts of Rajasthan ? What was the amount of loan allotted for subscription to Bharatpur district and particularly Bhartpur Tehsil, specially the city of Bharatpur ?

(2) What was the total susbcription from Bharatpur District, specially City of Bharatpur, to the floated loan ?

(3) Was the subscription to the loan voluntary or compulsory ?

(4) Did the Government officers bring about official pressure on people to subscribe towards the loan ? If so, were the officers acting under Government instructions ? If not, what action does the Government intend to take against them for this official pressure ?

(श्री श्रीमानसिंह)

(5) Did the Tehsildar, Bharatpur Tehsil convene meetings of Brick-Klin owners at Nai Mandi, Atal Bund-Mandi and in the Tehsil only for this purpose ?

(6) Did the Tehsildar Bharatpur call the Sinco Wagon Factory Manager or his representative for the purpose of subscribing towards Government loan ?

(7) Will the Government institute an enquiry into the matter relating to the role of the Government officers in Bharatpur City incompelling people to subscribe towards Government loan ?

उप वित्त मन्त्री(श्रीरिखबचंद धारीवाल):

(1) The Rajasthan Government had decided to float a public loan of Rs. 2.50 crores during July 1958. No districtwise targets were fixed by the Government. Bharatpur district had offered to subscribe about rupees 2 lakhs. This amount was distributed by the Collector Bharatpur over the Bharatpur Town and the Tehsils of the District. The Tehsildar and the Sub-Divisional Officers were further instructed by him to make serious efforts to popularise the scheme of the loan among all classes of people. A sum of Rs. 1,50,000/- was estimated to be invested from Bharatpur City and Rs. 5,000/- through Bharatpur Tehsil.

(2) A sum of Rs. 19,104/- (for the loan of nominal value Rs. 19,200/-) was received from Bharatpur District. Some applications received from Bharatpur City and Tehsil had to be left out of consideration as these were tendered after the announcement of the closure of the loan.

(3) It was voluntary.

(4) No official pressure was brought to bear upon the people to subscribe towards the loan and as such the question of taking any action against any Government official does not arise. Instructions were however given to officers to give due publicity to the scheme.

(5) The Tehsildar, Bharatpur convened a meeting of all classes of people dealing in various trades and business, including Brick-Kiln owners for explaining to them and aims and objects of the loan scheme and they were requested to extend their full co-operation for the success of the scheme.

(6) The Manager of Sinco Wagon Factory, Bharatpur was also invited to the aforesaid meeting just like others.

(7) The circumstances mentioned above do not make out any case for an enquiry.

श्री श्रीमानसिंह: Were the meetings convened on different dates ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: I am not in a position to say that the meetings were convened on different date or on same fixed day. But certainly the meetings were convened.

Page No.10

श्री श्रीभान सिंह: Did the Manager Sirco Wagon Factory also attended the meeting on the same date ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: The Hon'ble Member has not mentioned any particular date. I have already said that the meetings were convened but I am not in a position to say that the meetings were convened on different dates.

श्री श्रीभानसिंह: What was the nature of the instructions issued by Tehsildar to convene that meeting.

श्री रिखबचन्द धारीवाल: I have already told that in fact the particular date is not with me. Hence I cannot say that on what particular date the meeting was called. A meeting was called and the Manager attended.

श्री श्रीभान सिंह: Is the Hon'ble Minister in a position to say what was the nature of the notice issued by the Tehsildar ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: The nature of the notice was about the scheme of the loan and to persuade the people to float as much as they can. It was absolutely a voluntary affair.

श्री श्रीभानसिंह: How far it is true that the Tehsildar covened that meeting because he wanted to discuss an issue of cold storage in the Bharatpur Tehsil.

श्री रिखबचन्द धारीवाल: There was nothing like that. The meeting was called only for explaining the purposes of the loan.

श्री श्रीभान सिंह: What was the other method adopted for persuading those people who were illiterate ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल: It was by by means of persuation and that may be by means of propaganda or by meeting people etc. These were the only methods. The Tehsildar told them that they could contribute as much as they can.

श्री श्रीभानसिंह: May I bring it to the notice of the Hon'ble Minister that a different type of notice was issued by Tehsildar than the subject discussed by the Tehsildar at the

(अश्रव्य)

meeting the nature with it was called.

तहसील कोटपुतली में लगान के साथ चट्टे की वसूली

३२३. **श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली):** क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कसर के नाम से तहसील कोटपुतली के कुछ ग्रामों में लगान के साथ कुछ रकम और वसूल की जाती है ?

(२) यदि हां, तो किस आधार पर ?

(३) सरकार में इस नाम से कितने रुपये अब तक जमा हो गये हैं ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार इस रुपये को लगान से अलग हैड में जमा कराती है ?

Page No.11

(श्री रामकरणसिंह)

(५) क्या सरकार जमा रकम वापिस देने और आगे वसूल न करने का आदेश देने का विचार रखती है ?

(६) क्या बट्टा भी कुछ ग्रामों में लगान के साथ लिया जाता है ?

(७) यदि हां, तो क्या सरकार इसको भी बन्द करेगी ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां, २२ ग्रामों में ।

(२) पर्चे चकबन्दी के अनुसार ।

(३) ६८८३.५० नये पैसे ।

(४) जी हां ।

(५) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

(६) जी नहीं ।

(७) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

उच्च विद्यालय, मेड़ता सिटी में छात्रों की संख्या

३२४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला नागौर के मेडता सिटी के उच्च विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालय में छात्रों को बैठने के लिए स्थान की बहुत कमी है तथा फर्नीचर भी पर्याप्त नहीं है ?

(३) यदि हां, तो सरकार कब तक वहां कमरे व फर्नीचर बनवा देने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) विश्नोई :

(१) ३६५ ।

(२) जी नहीं ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह माना जाय कि वहां किसी किस्म की तकलीफ बच्चों को नहीं है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां ।

श्री लक्ष्मीचन्द : फर्नीचर ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सब है ।

श्री परसराम : लड़के कितने हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने बता दिया है ।

श्री परसराम : क्या इस साल और कमरे बनाने की योजना है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी हां, तीन कमरे और बनाने की योजना है ।

श्री अध्यक्ष : फर्नीचर भी शामिल है ।

(हंसी)

श्री परसराम : जब आप कह रहे हैं कि कमरों की कमी नहीं है तो ३ कमरे किसलिये बनाये जा रहे हैं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हर साल लड़के बढ़ते रहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : और ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये ।

(विराम)

श्री तेजमल बापना ।

ग्राम कालसांस को तहसील भीलवाड़ा में मिलाना

३२५. **श्री तेजमल बापना** (बनेड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.12

(श्री तेजमल बापना)

(१) क्या ग्राम कालसांस (तहसील बनेडा) चारों ओर भीलवाड़ा तहसील के गावों से घिरा हुआ है व पंचायत भी कोद्, कोटा, भीलवाड़ा तहसील की लगती है ? यदि हां, तो फिर इसको भीलवड़ा तहसील में मिलाये जाने में सरकार को क्या आपत्ति है।

(२) क्या उक्त सम्बन्ध में कई प्रार्थनापत्र सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां, इस गांव को तहसील बनेडा में परिवर्तित करने का मामला विचाराधीन है।

(२) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ३२६

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता

३२७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या देवस्थान में ऐसे भी कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन के साथ महंगाई भत्ता नहीं मिलता ?

(२) क्या देवस्थानों का प्रसाद सरकारी अधिकारियों के यहां भी भेजे जाने का कहीं विधान है ?

(३) प्रसाद के वितरण का क्या विधान है।

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) मंदिरों के सेवागिरों को पुराने रिवाज के अनुसार प्रसाद वितरण किया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उन्हें वेतन क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री सम्पतराम : वेतन भी मिलता है।

श्री अनोपसिंह : महंगाई ?

श्री सम्पतराम : उन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिलता।

श्री अनोपसिंह : क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री सम्पतराम : महंगाई की जगह उनको प्रसाद मिल जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या विधान है, कितना कितना प्रसाद दिया जाता है ?

श्री सम्पतराम : पुराने रिवाज के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है।

श्री अनोपसिंह : क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के कर्मचारियों ने वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ते की मांग की है ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं, इस प्रकार की सूचना हमारे विभाग में नहीं है।

श्री अनोपसिंह : अगर वे लोग प्रसाद नहीं लेना चाहें तो क्या उन्हें महंगाई भत्ता मिलेगा ?

Page No.13

श्री सम्पतराम : अगर इस प्रकार की मांग आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : वेतन क्या है इन देवस्थान के कर्मचारियों का ?

श्री सम्पतराम : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : प्रसाद में क्या क्या चीजें होती हैं ?

(हंसी)

प्रश्न संख्या ३२८

श्री अध्यक्ष : श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३०

श्री शिवनाथसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

राजस्थान में शिक्षितों का प्रतिशत

३३१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान में इस समय शिक्षितों की क्या पर्सेन्टेज है ?

(२) क्या सरकार ने ऐसा कोई परिपत्र जारी किया है, जिसके द्वारा राज्य कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की मनाही की है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या सरकार अब ऐसी आज्ञा जारी करने के विषय में विचार कर रही है जिससे कि राज्य कर्मचारियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हो ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, शिक्षा मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जन गणना १६५१ की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में शिक्षितों का पर्सेन्टेज ८.६५ है।

(२) हां, ऐसा अनुभव किया गया कि राज्य कर्मचारियों की उच्च शिक्षा के लिये इजाजत देने से सरकारी कार्य में बाधा होती है।

(३) जी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : राजस्थान के सिवाय और किन किन स्टेटों में यह सुविधा दी हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, दूसरी स्टेटों से सूचना मंगाई गई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि केन्द्र के कर्मचारियों को इस प्रकार की सुविधा दी हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, केन्द्र में स्पेशल पर्मिशन दी जाती है और यदि आवश्यक समझा जाय तो उसे विद्ड्रा भी किया जा सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या राजस्थान सरकार भी इस प्रकार की पर्मिशन देने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी स्टेटों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

में जो प्रेक्टिस है, उसकी सूचना दूसरी स्टेटों से मंगाई है ?

श्री अनोपसिंह : क्या राजस्थान सरकार ने इस प्रकार की सुविधा पहले राजस्थान के कर्मचारियों को दी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मिसयूज़ हुआ उस सुविधा का, तभी तो उसे विड्रा किया गया।

श्री भीमसेन : प्रश्न नं० १ का जवाब नहीं दिया गया है। शिक्षितों का इस समय का पर्सेन्टेज पूछा है और मन्त्री महोदय ने १९५१ का पर्सेन्टेज बताया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : १९५१ के बाद कोई सेंक्शन्स नहीं हुई हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो शख्स यहां पर भारत सरकार के नौकर हैं और राजस्थान सरकार में नौकरी करते हैं, उन लोगों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर वे ट्रान्सफर ऑफ सर्विसेज आदि में राजस्थान गवर्नमेन्ट रूल्स से गवर्न होते हैं तो।

प्रश्न संख्या ३३२

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणलाल।

(अनुपस्थित)

कोटपुतली हाई स्कूल का श्री रामेश्वर टूर्नामेन्ट

३३३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) **:** क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कोटपुतली हाई स्कूल में श्री रामेश्वर टूर्नामेन्ट के लिये ट्रॉफीज और शील्ड्स खरीदी गई हैं ?

(२) यदि हां, तो यह सामान किसकी इजाजत से खरीदा गया तथा क्या यह टूर्नामेन्ट हर वर्ष किया जाता है ?

(३) क्या जो ट्रॉफीज श्री रामेश्वर टूर्नामेन्ट के लिये खरीदी थीं, वे उस ही टूर्नामेन्ट में काम आती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त टूर्नामेन्ट इस वर्ष हुआ और उसमें ये ट्रॉफीज नहीं दी गई ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) **:** (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा हाई स्कूल कोटपुतली ने इस प्रकार की कोई ट्रॉफीज नहीं खरीदीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : खरीदी गई थी लेकिन इस टूर्नामेन्ट के लिये नहीं।

श्री रामकरणसिंह : क्या वहां पर कोई टूर्नामेन्ट हुआ था और ट्रॉफी खरीदी गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : स्वीकृति विभाग द्वारा हुई।

श्री रामकरणसिंह : क्या वहां पर कोई टूर्नामेन्ट हुआ और कब हुआ ?

Page No.15

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह वहां पर हुआ था। पहले एक दफा हुआ था।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह टूर्नामेन्ट विभाग द्वारा किया गया था?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां।

श्री रामकरणसिंह : उसका खर्चा किसमें खर्च हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शील्ड आदि में।

श्री रामकरणसिंह : जो टूर्नामेन्ट रामेश्वर के नाम से हुआ, वह क्या विभाग द्वारा हुआ या किसी और नाम से हुआ ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह टूर्नामेन्ट विभाग की स्वीकृति से हुआ और शील्डें दी गईं। इसके बाद प्राइवेट बॉडी थी और शील्ड हमारी थी। हमारी मर्जी है हम उसको नहीं देते।

श्री रामकरणसिंह : आरम्भ में भी वहां प्राइवेटबॉडी ही थी मगर आपस में पहले समझौता हुआ था और इसलिये शील्डें दी गईं। चूंकि उसको गवर्नमेन्ट के पैसों से खरीदी थी उसको वहां रखा। मगर मैं यह कहूँगा कि अगर विभाग का टूर्नामेन्ट होता तो यह टूर्नामेन्ट किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पैसों से ट्रॉफी खरीदी गई थी। उनकी मर्जी है वे चाहें तो दें, न चाहें तो न दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : वह ट्राफी स्कूल में है। दूसरों को हम अपनी ट्राफी क्यों दें ? अगर हमारा डिपार्टमेन्ट टूर्नामेन्ट ऑर्गेनाइज करे तो देते हैं।

श्री रामकरणसिंह : शुरू में रामेश्वर का चुनाव हुआ था, बाद में किसी दूसरे को चुना गया।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यही तो गलती हुई। दूसरे को चुन लिया।

प्रश्न संख्या ३३४

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

तहसील कोटपुतली की शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों का वेतन

३३५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील कोटपुतली की शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों व अध्यापकों का वेतन बकाया है ?

(२) यदि हाँ, तो किन किन का व कब से ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) वेतन बकाया रहने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या उपरोक्त बकाया के लिये शिक्षा विभाग को सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा बार बार लिखा गया है ?

(५) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(६) क्या यह सही है कि माध्यमिक स्कूल, नारेड़ा के १३ कर्मचारियों का मार्च, १९५३ और दिसम्बर १९५४ का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो उन्हें

Page No.16

(श्री रामकरणसिंह)

उपरोक्त समय का वेतन सरकार कब तक दिलाने का विचार रखती है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) (१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) निम्न कारण हैं : (अ) कुछ ठिकानों के स्कूलों और कुछ प्राइवेट स्कूलों को राज्याधिकार में लिया गया था जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों का रेकार्ड पूरा नहीं मिला।

(ब) महालेखापाल के ऐतराजात को पूरा करने में भी समय लगा।

(४) जी हां।

(५) अध्यक्ष, शिक्षा विभाग ने उपरोक्त बकाया के एरियर बिल्स को एतराजात के साथ वापिस लौटा दिया। जिनको दूर करने की कार्यवाही की जा रही है।

(६) मार्च सन् १९५३ में यह स्कूल राज्य अधिकार में नहीं था।

दिसम्बर १९५४ का वेतन बकाया है उन कर्मचारियों के एरियर बिल्स की जांच हो रही है। वेतन जल्द दिलाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : जैसा कि आपने (३) (अ) के उत्तर में बताया कि कुछ ठिकानों के स्कूलों और कुछ प्राइवेट स्कूलों को राज्याधिकार में लिया गया था, पहले वे राज्याधिकार में नहीं थे, क्या उस समय का बकाया वेतन उन अध्यापकों को नहीं दिया जायगा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हम नहीं दे सकते। उन्हीं संस्थाओं से वे मांगें, जिनमें पहले काम करते थे।

श्री रामकरणसिंह : क्या जिस समय उन संस्थाओं को लिया था उस समय इस पर सोच विचार किया गया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं नहीं कह सकता कि किस प्रकार का उनके साथ एग्रीमेंट हुआ।

श्री रामकरणसिंह : सन् १९५३ के ७ या ८ महीनों की उनकी बकाया तनख्वाह थी और उसके बाद में सरकार ने उन स्कूलों को अपने अधिकार में ले लिया तो फिर अब उन गरीबों को तनख्वाह कौन दिलावेगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस प्रश्न में जैसा पूछा गया कि वेतन गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उसका जवाब दिया। यदि उनके इस रूप में निवेदन-पत्र आवेंगे तो हम उन पर सोच सकते हैं।

श्री रामकरणसिंह : अध्यापकों ने बराबर अपने रिप्रेजेन्टेशन किये हैं कि उनकी तनख्वाह बकाया है दिलाई जावे। क्या अब उनकी तनख्वाह दिलाई जावेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस व्यू पोइन्ट से अभी तक मैंने इस को नहीं देखा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

विस्तार सेवा खंडों में कॉम्युनिटी रिसीवर रेडियो सेट

३३६. **श्री मनोहर कोठारी** (कुंभलगढ़) : क्या मंत्री, विकास विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री मनोहर कोठारी)

(१) राजस्थान के किन किन सेवा विस्तार खंडों में कितने कितने कॉम्युनिटी रिसीवर रेडियो सेट भेजे गये हैं और उनमें से कहां कहां कितने पूर्ण संतोषजनक रूप में काम कर रहे हैं ?

(२) कुल कितने रेडियो सेट बेकार पड़े हैं ?

(३) क्या यह सही है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट ऑफिस को ऐसे सेटों पर रियायती लाइसेन्स के लिये प्रार्थना पत्र देने के बाद भी उनसे जुर्माना वसूल हुआ ? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ?

उप मंत्री (श्री संपतराम, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) व (२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी हां, ऐसे कुल १२६ मामले हैं ।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री मनोहर कोठारी : जिन जिन विकास खंडों की सूची प्राप्त नहीं हुई है, वे कितने हैं ? उनके नाम बताये जावें ।

श्री संपतराम : उनके नाम मुझे याद नहीं हैं । एक या दो ही हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : कितने हैं ?

श्री मनोहर कोठारी : क्या अलग अलग मेकर के रेडियो थे या अलग सेट थे ?

श्री संपतराम : जो रेडियो डेवलपमेंट विभाग ने खरीदे वे काम कर रहे हैं । लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने खरीद कर दिये उनमें कहीं डिफेक्ट है और वे ठीक तरह से काम नहीं करते हैं ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या इसकी कीमत राजस्थान सरकार को देनी पड़ी ?

श्री संपतराम : ५० पर्सेन्ट गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग और २५ पर्सेन्ट हमको देनी पड़ती है और २५ पर्सेन्ट गांव वालों को देनी होती है ।

श्री मनोहर कोठारी : उसकी कीमत कुल कितनी लगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सप्लाई किये गये ?

श्री संपतराम : दो हजार दो सौ रेडियो दिये । एक की कीमत होती है ३३० रुपये ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आपने इसके लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को इन्फोर्म किया है कि रेडियो जो भेजे गये, वे बेकार हैं ?

श्री संपतराम : बराबर हमने मिनिस्ट्री फॉर इन्फॉर्मेशन को लिखा और उनको देखने के लिये जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के लोग भी आये । उनके वे लोग भी उनको बिल्कुल ठीक नहीं कर पाए । उसके बाद भी राजस्थान गवर्नमेंट बराबर इस बात के लिये प्रैस कर रही है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या जो रेडियो आये थे, वे उसी समय खराब थे और खराब ही आये थे ?

श्री संपतराम : उनके मेनुफेक्चर में ही कोई डिफेक्ट मालूम पड़ता है जिसके कारण वे ठीक तरह से सर्विस नहीं दे पा रहे हैं ।

श्री मनोहर कोठारी : अगर उन्होंने खराब रेडियो को वापिस नहीं लिया तो जो रेडियो खराब हैं और उसके लिये

[redacted]

(श्री मनोहर कोठारी)

विकास मंडल को २५ प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन देना पड़ा है, क्या वह पैसा उनको वापिस लौटा दिया जावेगा ?

श्री सम्पतराम : यह बाद में विचार करने की बात है ।

श्री मनोहर कोठारी : सुप्रिन्टेन्डेन्ट पोस्ट ऑफिस ने जो जुर्माना किया है लाइसेन्स नहीं लेने के लिये, यह किसकी गलती से जुर्माना हुआ है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या एक्शन ले रही है ?

श्री सम्पतराम : सूचना समय पर नहीं दी गई, क्योंकि बी. डी. ओज को लाइसेन्स लेना चाहिये था । उनका यह विश्वास रहा कि डाइरेक्टरेट ने भेजे हैं वे ही डीलर हैं, उन्होंने लाइसेन्स नहीं लिये । इस सारी बातों की वजह से देरी हुई और देरी के फलस्वरूप जुर्माना देना पड़ रहा है ।

श्री मनोहर कोठारी : क्या बी. डी. ओज. को लाइसेन्स लेना जरूरी होगा और क्या उनको लेना था और उन्होंने नहीं लिया ?

श्री संपतराम : यह फाइनली तय नहीं हुआ है कि उनको लेना चाहिये था या नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

ग्राम लूणवा का पटवारखाना, तहसील पाली

३३७. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा** (जोधपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला पाली, तहसील पाली के एस. डी. ओ. ने ग्राम लूणवा का पटवारखाना बिना नीलाम किये सिर्फ ६,००० रु० में एक महाजन को बेच दिया ?

(२) क्या सरकार की जानकारी में है कि वहां के लोग उसी पटवारखाने के १०,००० रु० तक देने को तैयार थे ? यदि हां, तो सरकार ने इतने कम रुपयों में पटवारखाना किस कारण से बेचा ?

(३) क्या यह भी सही है कि फिर उन्हीं रुपयों को पंचायत को नया पटवारखाना बनाने के लिये दिया गया लेकिन पंचायत ने नया पटवारखाना बनाने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो इस समय पटवारखाना किस जगह पर काम कर रहा है ? सरकारी मकान में या किराये के मकान में ?

(४) क्या एस. डी. ओ. को पंचायत के लिए इस तरह की आज्ञा देने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । मकान की बेचान के बाद श्री भीकमचन्द ७०००) तथा श्री लूमाचन्द ७५००) रुपये देने को तैयार थे । १०,०००) रुपया कोई भी व्यक्ति देने को तैयार नहीं था।

(३) जी हां । पुराना पटवारघर सरकारी कब्जे में है उसमें कोई मकान सरकारी दफ्तर इस रहवास के लिये नहीं होने से किराये के मकान में है ।

(४) जी नहीं । इस मामले में पूछताछ जारी है ।

श्री भैरोंसिंह ; नीलाम किया गया था या ऐसे ही बेचा गया ?

श्री पी० के० चौधरी : पब्लिक ऑक्शन से बेचा था या बगैर पब्लिक ऑक्शन के ऐसे ही किसी को बेच दिया गया ?

श्री संपतराम : पब्लिक ऑक्शन से नहीं बेचा गया।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर किस आधार पर इसकी ६ हजार की कीमत आंकी गई ?

श्री संपतराम : जो प्रोसीजर नीलाम के लिये अख्तयार करना चाहिये था ठीक तरह से फोलो नहीं किया गया इसलिये उसको वापिस ले लिया है।

श्री भैरोंसिंह : अभी यह किसके कब्जे में है।

श्री संपतराम : राज के कब्जे में है।

प्रश्न संख्या ३३८

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३९

श्री बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री शिवनाथसिंह।

विकास खण्ड अधिकारी, नवलगढ़ का कार्यालय

३४०. **श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा)** : क्या विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि विकास खण्ड अधिकारी, नवलगढ़ के कार्यालय के लिये कोई सरकारी भवन नहीं है तथा कार्यालय किराये के मकान में चल रहा हैं ? यदि हां, तो कार्यालय के लिये कितने रुपये माहवारी किराया देना पड़ता है ?

(ख) क्या यह किराये की रकम सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तय की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या सरकार इस कार्यालय के लिये भवन निर्माण का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त भवन कब तक बन जावेगा ?

(घ) क्या यह सही है कि विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय समूचे प्रान्त में एक ही नक्शे के बनाये जा रहे हैं ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि जिस भवन में इस समय कार्यालय विकास खण्ड अधिकारी नवलगढ़ चल रहा है, उसी को सरकार खरीदना चाहती है ?

(च) यदि हां, तो कितने रुपये में और क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग से भी इस बाबत राय ले ली गई है और हां, तो उनकी क्या राय है ?

उप-राजस्व मन्त्री : (श्री सम्पतराम) मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में)

श्री संपतराम: (क) जी हां, ४०) रुपये प्रति मास।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, आगामी वर्ष तक।

(घ) जी हां, कई खण्डों में स्थानीय

(श्री सम्पतराम)

परिस्थितियों के आधार पर नक्शे में परिवर्तन भी किया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शिवनाथसिंह : क्या यह सही है कि इस भवन निर्माण के लिये इस साल के बजट में भी रकम मंजूर की गई ?

श्री सम्पतराम: जी हां, बिल्कुल सही है।

श्री शिवनाथसिंह : किन किन कारणों से यह भवन अब तक नहीं बना ?

श्री सम्पतराम : यह भवन अब तक नहीं बन पाया। इसके लिए टेन्डर इनवाइट करने होते हैं, उसके बाद जिनका लोएस्ट टेंडर हो उसको देखना पड़ता है आदि कई ऐसी बातें हैं जिसके कारण बनने में देर हुई। इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में यह भवन पूरा बन जायगा।

श्री शिवनाथसिंह : किस वजह से यह भवन नहीं बन पाया है, इसके खास खास कारण क्या हैं ?

श्री सम्पतराम : यह मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा यह भवन बनाया जायगा।

ग्राम बेलवा, तहसील शेरगढ़ में राजपूत ढाणियों का जल जाना

३४१. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को विदित है कि तहसील शेरगढ़ के गांव बेलवा में तीन वर्ष पहले किसी राजपूत की ढाणी जली थी ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस ढाणी के जलने से तीन औरतें, पशु, सारा घर व बिक्री का सामान जल गया ?

(३) क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने किसी सरकारी अधिकारी से जांच करवाई ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(४) यह ढाणी किसकी थी और उसको किस तरह की सहायता दी गई ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम): (१) जी हां।

(२) दो औरतें और घर का सारा सामान जल गया था।

(३) जी हां, तारीख २८-१२-५५ को तहसीलदार द्वारा जांच की गई थी।

(४) यह ढाणी श्री विरधसिंह पुत्र श्री थानसिंह राजपूत बेलवा की थी और उसे ७५ रुपये अग्निकांड सहायता के लिये दिये थे।

श्री मूलचन्द डागा : आग लगने के क्या कारण थे ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तौर से मैं बता नहीं सकता।

श्री सूरजमल : जिनकी औरतें जल गईं, उनको क्या सहायता दी गई ?

श्री सम्पतराम : हम केवल सहानुभूति जाहिर कर सकते हैं। नुकसान १।६ राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो सहायता दी गई, क्या उसे आप पर्याप्त समझते हैं ?

Page No.21

श्री सम्पतराम : नियमानुसार जो सहायता दी जा सकती थी, वह दी गई ।

श्री अनोपसिंह : क्या खास खास बातों में नियमों का अपवाद करके ज्यादा सहायता नहीं दी जा सकती ?

श्री सम्पतराम : अगर कोई सीरियस हानि हुई हो तो उसके लिये चीफ मिनिस्टर्स फंड और गवर्नर्स फंड से सहायता मिल सकती है ।

श्री अनोपसिंह : फिर वहां की हानि को देखते हुए इस नियम से ज्यादा सहायता क्यों नहीं दी गई ?

श्री सम्पतराम : जितनी नियमानुसार आवश्यकता थी उतनी सहायता दे दी गई ।

श्री अनोपसिंह : फिर इसमें क्यों नहीं किया गया ?

श्री सम्पतराम : इसमें विशेष आवश्यकता महसूस नहीं की गई ।

श्री अनोपसिंह : आदमी मर गये, घर सारे बर्बाद हो गये, फिर आवश्यकता क्यों नहीं महसूस की गई ?

श्री सम्पतराम : इस तरह की आग राजस्थान में कई जगह लगती है जिसमें आदमी, पशु और घर-बार तक भस्म हो जाता है, वैसी हालत में जो निश्चित तौर से नियम बने हुए हैं उसी के आधार पर सहायता दी जा सकती है ।

प्रश्न संख्या ३४२

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

बारां में बाढ़ ग्रसित परिवारों को सरकार द्वारा सहायता

३४३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बारां, जिला कोटा में गत बाढ़ से कितने परिवार निराश्रित हो गये थे ?

(२) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये कितनी राशि स्वीकृत की, कितनी जनता से प्राप्त हुई तथा उसमें से कितनी व्यय की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने इन निराश्रित लोगों के लिये स्वीकृत अनाज तथा वस्त्र की राशि को पूरी तरह इनमें नहीं बांटा है, जब कि उन्हें इसकी भारी आवश्यकता थी ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) २८३ ।

(२) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये ६५,००० रुपये की रकम स्वीकृत की। जनता से ६००० रुपये चन्दे के रूप में प्राप्त हुये हैं । उपरोक्त रकम में से ६३२७६ रुपये सरकारी रकम में से व्यय हुये तथा २३७६ रुपये के चन्दे जनता में से व्यय हुये ।

(३) यह सत्य नहीं है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि अभी भी पांच सौ गज़ कपड़ा तहसील में पड़ा हुआ है, वह लोगों में नहीं बांटा गया है ?

श्री सम्पतराम : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है ।

श्री धन्नालाल : जो सबसिडी की रकम

Page No.22

(श्री धन्नालाल)

आठ हजार रुपये दी गई है । क्या वह मकान बनाने के लिये जिनको आवश्यकता है उनको नहीं दी गई ?

श्री सम्पतराम : यह तो आप सूचना दे रहे हैं । जानकारी हासिल करके कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री धन्नालाल : जो ६०००) रुपये जनता से चन्दे के रूप में प्राप्त हुये थे क्या वे अभी तक नहीं बांटे गये ?

श्री सम्पतराम : इसके लिये एक कमेटी बनी हुई है जिसकी सलाह से सारी कार्यवाही होती है । मैं नहीं कह सकता कि राज्य सरकार से जो रकम प्राप्त हुई उसमें से कितना बाकी है और जनता से जो चन्दे के रुप में प्राप्त हुआ उसमें से कितनी रकम बाकी है । दोनों रकमें कमेटी के डिस्पोजल पर हैं ।

श्री धन्नालाल : जो रकम चन्दे से प्राप्त हुई उसमें से कितनी बांट दी गई ?

श्री सम्पतराम : मैं निवेदन कर चुका हूं कि २३७६ रुपया बांट दिया गया है ।

श्री धन्नालाल : बाकी का रुपया कहां जमा है ?

श्री सम्पतराम : कमेटी के पास होगा ।

श्री धन्नालाल : कमेटी के पास इस समय कोई रुपया बाकी नहीं है ?

श्री सम्पतराम : नहीं है तो सरकार के पास होगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

जयपुर के सेन्ट्रल पूल कार ड्राइवरों का री-फिक्सेशन

३४४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state:—

Is it correct that the re-fixation of the pay of the 14 Central Pool car drivers at Jaipur in the scale of Rs. 60--100 has not yet been done though the said grade was allowed to the car drivers under Government Notification dated 22-5-57 ? If so, what are the reasons for the delay ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : The fixation of the pay of the drivers of the Central Pool in 60-4-100 grade allowed to them under Government order dated 22-5-55 has already been made, but the drivers have not accepted it as it was not beneficial to them.

श्री पी० के चौधरी : Have they given their refusal in writing ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That I cannot say, but my information is that they refused to accept these scales.

श्री पी० के० चौधरी : My information is contrary. They have never refused. If they have refused, you should produce it in writing.

श्री दामोदरलाल व्यास : They can apply for the scales and they will be given if they like.

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय

कर्मचारियों का एक डिविजन से दूसरे डिविजन में स्थानान्तरण

३१३. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के इस प्रकार के आदेश हैं कि सबोर्डिनेटज़ सर्विसे वाले कर्मचारियों को एक डिविजन से दूसरे डिविजन में स्थानान्तरित नहीं किया जावेगा ?

(२) क्या यह सही है कि इस आदेश के बावजूद भी बहुत से कर्मचारियों का डिविजन से बाहर स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी हां ।

(२) जहां तक संभव हो सका है सरकारी आदेश का पालन किया गया है । कुछ केसेज में प्रशासनिक कारणों से ही डिविजन के बाहर तबादला किया गया है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रकार के आदेशों के बाद भी क्या प्रशासनिक कारणों को अपवाद नहीं माना जा सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रशासनिक कारण बनाये नहीं जाते बल्कि होते हैं, तभी तबादला हुआ करता है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या प्रशासनिक कारणों की कोई डेफीनिशन बनी हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो समझने की बात है ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बीकानेर की शिक्षण संस्थाएं

३१४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बीकानेर की शिक्षा संस्थाओं को सरकार के सुपुर्द करने की मांग चल रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(आ) क्या यह सही है कि जिला विकास समिति से भी इस सम्बन्ध में सिफारिश की जा चुकी है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (अ) जी हां, इसी वर्ष के आरम्भ से ।

(आ) जी हां ।

श्री भीमसेन : इस मांग की पूर्ति कब हो सकेगी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस मांग की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्कूल पांचवीं कक्षा तक चलती है और यहां एक से ज्यादा अध्यापक हैं और हम जो स्कूलें खोलते हैं वे सिंगल टीचर्स स्कूल खोलते हैं ।

श्री भीमसेन : मिडिल स्कूलें भी तो आप चलाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप भी चलाइये ।

श्री भीमसेन : आर्थिक दशा अच्छी नहीं है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप उसके लिये एड ले सकते हैं । इसके अलावा आप भी कुछ सहयोग दें ।

शिक्षा विभाग के ग्रैजुएट्स अध्यापक

३१६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि कितने ही ग्रेजुएट्स इन्टर की ग्रेड में अध्यापक हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इन अध्यापकों को ग्रेजुएट होने से न तो एस० टी० सी० की ट्रेनिंग में भेजा जाता है और पी० एस० सी० से अप्रूव नहीं होने से न बी० एड० की ट्रेनिंग में भेजा जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि इस नियम से एस० टी० सी० ट्रेन्ड इन्टरमीडियेट अध्यापक उनसे सीनियर ग्रेजुएट अध्यापकों से भी सीनियर हो जाते हैं ?

(४) क्या यह सही है कि ३० वर्ष के पश्चात् कोई भी ग्रेजुएट अध्यापक पी० एस० सी० में नहीं बैठ सकता ।

(५) यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रेजुएट अध्यापकों की इस परिस्थिति में उचित परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

उपशिक्षा मन्त्री(श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी नहीं ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार इस प्रकार के ग्रेजुएट्स को और एम० ए० पास टीचर्स को कोई ट्रेनिंग देना उचित नहीं समझती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ट्रेनिंग के रूल्स बने हुए हैं उनके माफिक ट्रेनिंग पा सकते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : ग्रेजुएट्स होते हुए भी इन्टर पास अध्यापकों को तो फ्री ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है फिर क्यों नहीं दी जाती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : फ्री ट्रेनिंग देने के गवर्नमेंट के रूल्स बने हुए हैं । अपनी जिम्मेवारी पर जो अध्यापक ट्रेनिंग लेना चाहें वे ले सकते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन्टर पास जो अध्यापक नये भर्ती किये जाते हैं, उनको तो ट्रेनिंग के लिये भेजती है और जो ग्रेजुएट्स हैं उनको क्यों नहीं भेजती ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इन्टर पास अध्यापकों को एस० टी० सी० की ट्रेनिंग के लिये भेजा जाता है । इसके अलावा जो ग्रेजुएट्स हैं और जो पी० एस० सी० से एप्रूव्ड हो गये हैं उनको बी० एड० की ट्रेनिंग में भेजा जाता है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि एस० टी० सी० के लिये कोई कोटा नहीं रखा गया है ? एस० टी० सी० के लिये कोई नोमिनिशन नहीं होता है । अपने खर्चे

(श्री दयाकृष्ण विजय)

से जो भी जाना चाहे जा सकते हैं, क्या यह सही है ?

(विराम)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी : कितना कोटा रखा गया है, what percentage of the seats is kept reserved for this type of people ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : No percentage is reserved. We give benefit to those who are in Government service for longer period than three years,

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री बी. एन. जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह

सब डिवीजनल ऑफिसर, नवलगढ़ का कार्यालय भवन

३३०. **श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) :** क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सही है कि सब डिविजनल ऑफीसर, नवलगढ़ का कार्यालय किराये के मकान में चल रहा है ? यदि हां, तो वह मकान किनका है तथा क्या माहवारी किराया देना पड़ता है ?

(ख) क्या सरकार इस भवन को खरीदने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने रुपये हैं।

(ग) क्या इसकी खरीद के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग से राय मांगी गई है तथा यह भवन कितने साल पुराना है ?

(घ) क्या इस भवन की उपयुक्तता के लिये कलक्टर झुंझुनूं तथा एस० डी० ओ० नवलगढ़ से भी राय मांगी गई है ?

उप राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां। यह मकान श्री मदनसिंहजी, नवलगढ़ का है, जिसका किराया रुपया २५) मासिक फिलहाल दिये जा रहे हैं ?

(ख) कमिश्नर अजमेर का ऐसा प्रस्ताव था। अभी सरकार के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत नहीं हुआ है।

(ग) जी हां। यह भवन एक सौ वर्ष पुराना है।

(घ) जी हां। कमिश्नर अजमेर ने जिलाधीश झुंझुनूं की राय मांगी थी; एस० डी० ओ० से कोई राय नहीं ली।

श्री शिवनाथसिंह : क्या ऐसा नियम है कि कुछ नियत अवधि से अधिक पुराना मकान खरीदा नहीं जा सकता ?

श्री सम्पतराम : पुराने के लिये नियम हो या न हो, पुराना होगा उसको राज्य सरकार नहीं खरीदेगी ?

श्री शिवनाथसिंह : तो फिर इसके बारे में क्या राय बनाई है सरकार ने ?

श्री सम्पतराम : मैंने कहा कि यह मामला विचाराधीन है।

श्री शिवनाथसिंह : जो सौ साल पुराना मकान है उसको लेना चाहेंगे ?

श्री सम्पतराम : मकान की हालत के साथ-साथ यह भी देखना होगा कि इसकी हालत क्या है, अकोमोडेशन क्या है, जिस उपयोगिता का मकान हम अपने काम के लिये चाहते हैं उस उपयोगिता का है या नहीं ? इन बातों पर विस्तृत विचार करने के बाद ही निर्णय किया जावेगा ।

श्री शिवनाथसिंह : जब पी० डब्लू० डी०, कमिश्नर की, कलेक्टर की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी तो और कौन से साधनों से सरकार विस्तृत बातों का पता लगायेगी ?

श्री सम्पतराम : उनके आधार पर ही सरकार निर्णय करेगी ।

श्री शिवनाथसिंह : वह रिपोर्ट तो बहुत समय पहले आ गई थी ?

श्री सम्पतराम : पर फैसला तो नहीं किया गया न ।

श्री अध्यक्ष : श्री नारायणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह ।

कोर्ट ऑफ वार्डस् के कर्मचारियों का वेतन ।

३३४. **श्री रघुवीरसिंह** (राजगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या यह सही है कि कोर्ट ऑफ वार्डस् के १० कर्मचारियों को कलक्टर जयपुर ने अपने दफ्तर में १५-१०५४ से ७-१-५५ तक रखा और इस समय का उनको कोई वेतन नहीं मिला ?

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां । दो कर्मचारियों के अतिरिक्त बाकी सब का वेतन दिया जा रहा है ।

(ख) दो को इस वास्ते नहीं दिया जा सका क्योंकि उन दोनों के बिलों पर ऑडिट ओब्जेक्शन चल रहा है ।

श्री तनसिंह : यह ऑब्जेक्शन कब से है ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख तो मेरे पास इस समय नहीं है, पर जागीर कमिश्नर के यहां से कई बार लौटाया गया है । ऑडिट ऑब्जेक्शन्स होने के कारण रुपये ठीक समय पर नहीं मिल पाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री बृजेन्द्रपाल ।

(अनुपस्थित)

श्री बहादुरसिंह ।

धोलपुर उप जिले की तहसीलों में तकावी मांगने के प्रार्थना-पत्र

३३६. **डॉ० बहादुरसिंह** (धोलपुर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धोलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी और बसेड़ी तहसीलों में तकावी मांगने के कितने प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं ?

(ख) जो प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं, वह किस किस सन् में प्रस्तुत किये गये ?

(ग) उक्त प्रार्थनापत्रों में कितने धन की मांग की गई है ?

(डॉ० बहादुरसिंह)

(घ) सरकार द्वारा उक्त तहसीलों को कितना कितना धन तकावी वितरण करने हेतु दिया गया है ?

(च) क्या सरकार मांग को देखते हुए धन राशि की वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) धोलपुर १३३, राजाखेड़ा १२५, बाड़ी २६ और बसेड़ी ४३ प्रार्थनापत्र। कुल ३२७ प्रार्थना-पत्र।

(ख)	५५	५६	५७	५८
धोलपुर	१	१८	१६	६५
राजाखेड़ा	...	...	...	१२५
बाड़ी	...	२	१	२४
बसेड़ी	...	...	...	४३

(ग) धोलपुर १,६०,६५०), राजाखेड़ा ६०,०००), बाड़ी १३,५५०), बसेड़ी १८,०००); कुल २,५२,२००) रुपये दिये गये।

(घ) धोलपुर ४३,६५०), राजाखेड़ा १७,४५०),बाड़ी २६,४००),बसेड़ी १५,०००)

(च) जी हां।

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

११ '५६ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री अमृतलाल पायक ने दिनांक २४-१०-५८ से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की अनुमति के लिये प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(विराम)

विधायी कार्य

पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, १६५८

(पुरःस्थापन)

(सहकारी मंत्री की अनुपस्थिति में,राजस्व मंत्री श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान जनरल क्लाजेज (संशोधन) विधेयक, १६५८

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जनरल

(श्री रामकिशोर व्यास)

क्लॉजेज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

(विराम)

श्री रामकिशोर व्यास : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान सेल्स टैक्स (वेलीडेशन) विधेयक, १६५८

श्री सम्पतराम (उप मन्त्री, पृथक राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सेल्स टैक्स (वेलीडेशन) बिल, १६५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान करने के लिये प्रार्थना करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस बिल को पुरःस्थापित किया जा रहा है, उसकी कॉपी हमें सर्क्युलेट नहीं हुई है। इसके बिना यह बिल क्या है, क्या पेश किया जा रहा है, किसके लिये सदन से आज्ञा मांगी जा रही है, यह पता लगता नहीं। नियमानुसार इसकी कॉपी मिलनी चाहिये। नहीं तो, उप मन्त्री जी जो बिल पेश कर रहे हैं वे एक स्टेटमेन्ट दें कि कानून क्या है और किस पर अमेन्डमेन्ट लाया जा रहा है और किसके लिये अनुमति मांगी जा रही है?

श्री अध्यक्ष : (श्री उप मन्त्री से) यह बता दीजिये। (श्री भैरोंसिंह की ओर संकेत करके) सेल्स टैक्स वाले बिल के लिए पूछ रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह : जी हां, सेल्स टैक्स वाले बिल के लिए।

श्री सम्पतराम : वैसे तो अध्यक्ष महोदय,...

(१२ बजे का भोंपू बजने के कारण)

श्री भैरोंसिंह : यह जरा भोंपू बज चुके, इसके बाद शुरू करें तो ठीक रहेगा। शोरगुल में सुनाई नहीं दे रहा है।

(अत्यल्प विराम के अनन्तर)

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह फॉर्मल सा वेलीडेशन बिल पेश किया जा रहा है और अगर इसके ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स को पढ़ लिया गया होता, तो यह सवाल पैदा नहीं होता।

सवाल ऐसा है कि यहां पिछले साल सेल्स टैक्स (अमेन्डमेन्ट) बिल १६५४, में संशोधन पेश किया गया था, जो असेन्सियल गुडस् पर टैक्सेज लग रहे थे उन पर मियाद बढ़ाने के बारे में था; ५६ के बजाय ५७ कर दिया था। पर बाद में गलती से प्रेसीडेन्ट की असेन्ट उस पर नहीं हो पाई। इसलिये इस बिल की जरूरत पड़ी है। इसमें मांग की गई है कि १ अप्रेल, १६५६ से ४ जनवरी १६३७ तक जो टैक्सेज वसूल कर लिये गये हैं उनको वेलिड किया जाय। इस दिक्कत की वजह से आज भी कई मामले हाईकोर्ट या दूसरे कोर्टों में पेश हैं। यह रीज़न है।

श्री भैरोंसिंह : तो अब प्रेसीडेन्ट की सैंक्शन आ गई है?

Page No.29

श्री सम्पतराम : आ गई होती तो इसको पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती।

श्री भैरोंसिंह : अब आई है या नहीं ?

श्री सम्पतराम : अभी तो उसको वेलिडेट करने के लिये बिल ही पेश कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : पर इसके लिये भी तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता है ?

श्री सम्पतराम : यह तो इसे पास करने के बाद में लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष : काफी विष्टपोषण हो चुका है। प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एण्ड जागीर रिजम्शन (एट्थ) अमेन्डमेन्ट) बिल, १९५८

११-५६ म० पू०

राजस्थान भूमिसुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (अष्टम संशोधन) विधेयक, १९५८

(खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज से चार दिन पहले राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म एण्ड जागीर रिजम्शन (एट्थ अमेन्डमेन्ट) बिल पर जो राजस्व मन्त्री महोदय ने एक अध्यादेश (ऑर्डिनेन्स) द्वारा राजस्थान में लागू किया है और उसको एक एक्ट के रूप में बदलने के लिये, उसको एक्ट का रूप देने के लिए राजस्थान विधान सभा में पेश किया है, चर्चा हो रही थी। अध्यक्ष महोदय, उस चर्चा में सरकार की तरफ के और इधर, सदन के दोनों ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने एक मोटा सा भय अपने अपने सामने रख कर इस बिल पर चर्चा की थी कि यदि यह कानून लागू नहीं हुआ तो उसके कारण जिन जागीरदारों ने गलत स्टेटमेन्ट देकर खुदकाश्त प्राप्त कर ली, उस पर कब्जा उसी प्रकार से बना रहेगा। मैं समझता हूं कि इस सिद्धान्त पर उनकी यदि इस शंका का निराकरण किया जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा कि यह कानून केवल उन जागीरदारों के लिये लागू होगा जिन जागीरदारों ने जागीर रिजम्पशन एक्ट के मातहत नई दरख्वास्तें पेश करके सरकार से जमीन का एलॉटमेंट प्राप्त किया है। उन जागीरदारों पर यह लागू नहीं होगा, जिन्होंने जागीर रिजम्पशन से पहले चाहे तहसीलदार से मिलकर, चाहे सेटलमेंट के अधिकारियों से मिलकर या राज्य के अन्य अधिकारियों से मिलकर, चाहे नये और दूसरे रेकार्ड बनवाकर उसके आधार पर जमीन को खुदकाश्त में लिखवाली है, चाहे बंजर जमीन को खुदकाश्त में लिखवाली है, चाहे अन्य प्रकार की भूमि को खुदकाश्त में दर्ज करा ली है, उस पर यह असर करने वाला नहीं है। अब यह विचार करना होगा कि यह बिल यदि ऐसे लोगों के ऊपर असर नहीं डालता है तो केवल यह उन जागीरदारों के ऊपर असर डालेगा कि जिन जागीरदारों ने सरकार के

(श्री भैरोंसिंह)

सामने जागीर रिजम्प्शन एक्ट के मातहत दरख्वास्त पेश करके सरकार के अनुसार गलत स्टेटमेन्ट देकर जमीन प्राप्त कर ली हो और आज अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि जिन लोगों ने किसी प्रकार कोई गलत स्टेटमेन्ट दिया हो, गलत बयानी के आधार पर, गलत आंकड़े दिखाकर, यदि सरकार को धोखे में डालकर जमीन प्राप्त कर ली हो तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे व्यक्तियों से वह जमीन को छुड़ाये और जमीन छुड़ाने के साथ साथ यदि कोई दण्ड का प्रावधान हो तो वह भी दिया जाये। मैं समझता हूं कि जागीर रिजम्प्शन एक्ट में यह धारा है, जिसके अन्तर्गत यदि कोई भी व्यक्ति जागीर के मामले में, जागीर की प्रोसीडिंग के मामले में खातेदारी की प्रोसीडिंग के मामले में किसी प्रकार से कोई गलत स्टेटमेन्ट देता है तो इसके सेक्सन ४१ के मातहत उसको सजा दी जा सकती है। इसी बिल के सेक्शन ४१ को भी अमेन्ड किया है और उसके द्वारा यह मांग की है, जो मैं समझता हूं कि किसी अंश में यह वाजिब है। यदि किसी को सजा मिल ही जाये, यह भी पर्याप्त नहीं है। बल्कि यह भी होना चाहिए कि गलत स्टेटमेन्ट देने के कारण जिस जमीन के ऊपर उसने अधिकार कर लिया है या कम्पन्सेशन के रूप में कोई पैसा ले लिया है, तो वह रिफन्ड कराया जाये या जमीन के ऊपर जो उसने अनुचित रूप ये अधिकार कर लिया है वह भी रेस्टोर की जाये। अध्यक्ष महोदय, यदि हम व्यापक रूप से इस धारा को देखते हैं तो मैं समझता हूं, जहां कम्पेन्सेशन का प्रश्न कवर होता है वहां खातेदारी का प्रश्न भी कवर होता है और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों से जिन्होंने अनुचित रूप से जमीन पर अधिकार कर लिया है और जिनको सेक्शन ४१ के मातहत सजा मिलती है, जब उनका अन्तिम फैसला हो जाये और जब उनको यह मालूम हो जाये और सरकार को तसल्ली हो जाये और कोर्ट से परिणाम निकल जाये कि फलां व्यक्ति ने किसी भूमि पर गलत रूप से अधिकार किया है। तो वह जमीन वापिस ले ले। लेकिन यहां तो जैसा मैंने निवेदन किया था कि इस कानून से असर उन छोटे मोटे जागीरदारों के ऊपर पड़ने वाला है। जिनको रिश्वत के तौर पर यह जमीनें दे दी हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि जिस समय भूस्वामियों का आन्दोलन चल रहा था, उस समय भूस्वामियों को आन्दोलन से दूर रखने की गर्ज से, भाखरा के पास और गंगानगर के पास, किसी को एक मुरब्बा और किसी को दो मुरब्बा और किसी को तीन मुरब्बा जमीन दी। उस समय सरकार का केवल एक ही दृष्टिकोण था और वह यह था कि भूस्वामियों को ज्यादा ज्यादा गंगानगर भेजा जाये और इस आन्दोलन से दूर रखा जाये। मुझे खुशी है कि सरकार ने उस समय के आन्दोलन को इस खूबी के साथ ठंडा किया, लेकिन जिन लोगों को इस तरह जमीनें दी थीं, अब सरकार नहीं चाहती कि उनके पास वह जमीनें रहें और चाहती है कि अब उनसे वे जमीनें ले ली जायें। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का यदि चैप्टर खुला, तो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में जिन थोड़े लोगों को इस प्रकार की कुछ जमीन मिली हुई है वह जमीन आज इतनी उपयोगी है कि हर एक आदमी ऐसे मुरब्बे हासिल करने के लिए प्रयत्न करता है। सरकार ऐसे आदमियों से दरख्वास्तें ले लेगी और उनकी ऐसे लोगों से जांच करवायेगी

(श्री भैरोंसिंह)

जो कि सरकार की मर्जी के अनुसार अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि उन लोगों से वे जमीनें छुड़वाई जायेंगी। तो जहां यह प्रश्न आता है, वहां सरकार स्वयं एक पार्टी है, जिसने कि उनको जमीनें दीं और अब वही सरकार, उसकी जांच करवा कर यह कहे कि यह अलॉटमैंट गलत हुआ है। मैं समझता हूं, दोनों ही तरफ की बातें सरकार के पास रह गई, तो यह न्याय का दृष्टिकोण नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि जिन लोगों ने गलत तरीकों से, गलत स्टेटमेंट देकर और दूसरे नाजायज तरीकों से जमीन ले ली है तो इसके लिए एक जुडीशियल नेचर का निर्णय हो और इसके लिए आवश्यक होता है कि हम यह मामला कोर्ट के सुपुर्द करें। यहां हमें इस प्रकार के अलग से खातेदारी के विषय को लेकर कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी। अब प्रश्न यह आता है कि हमारे रेवेन्य मिनिस्टर महोदय ने अब तक जितने भी कानून पेश किये हैं, अगर उनको देखा जाय तो कुछ ऐसा लगता है कि कुछ लैण्ड रिफॉर्म्स के नाम से कानून पेश किये गये हैं, कुछ टेनेन्सी एक्ट में अमेंडमेन्ट्स लाने के कानून पेश किये हैं, और कुछ लैण्ड रेवेन्यु में अमेन्डमेन्ट्स लाने के हिसाब से कानून पेश किये हैं. लेकिन उनको देखा जाये तो ऐसा लगता है कि जो लोगों को अधिकार दिये हैं, खातेदारी के लिए, जागीरी के लिए, जमीन अलॉट की है, वे चीजें धीरे धीरे वापिस ले ली जायें। यह बात इसके जिस्ट निकालने से पता लगती है। जो टेनेन्सी एक्ट में अमेन्डमेन्ट्स आयेंगे उनमें जिक्र आयेगा, लेकिन खातेदारी को लेकर जो एक नई विषमता प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, यह अनुपयुक्त है। यदि उन्होंने खातेदारी प्राप्त की है, तो सरकार को उदारता अपनानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करती है तो मैं एक बात और सरकार के सामने अर्ज करता हूं कि आज जागीरदारी एक रुपये की भी नहीं रही है और वह अब खत्म हो चुकी है। अत: जो कानून आज जागीरदारों के लिए बनाये जा रहे हैं, वैसे ही कानून गैर-जागीरदार लोगों के लिए भी होने चाहिए। दूसरे लोगों ने अगर सरकार से जमीन काश्त के नाम से ली है और उस जमीन को काश्त नहीं करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोगों से काश्त करवाते हैं या दूसरे काश्तकारों को वह जमीन बेच दी है तो ऐसे सब लोगों के लिए कानून एक बनना चाहिए। आज की परिस्थिति में जहां जागीरदारी खत्म हो गई, वहां हम जागीरदारों के लिए अलग से कानून बनायें और बाकी के काश्तकारों के लिए अलग नियम बनायें, यह ठीक नहीं होगा। यदि सरकार यह महसूस करे कि हमारे कानून के जरिये नाजायज जमीन ली है, तो सरकार का फर्ज है कि चाहे वह जागीरदार हो या न हो तो भी उसको सजा मिलनी चाहिए। आज, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि जयपुर के दस मील के एरिया के अन्दर कई लोगों ने ऐसी जमीनें हथिया रखी हैं, किसी ने कोऑपरेटिव के नाम से, किसी ने पर्सनल कल्टीवेशन के नाम से और किसी ने किस नाम से, उनके लिये भी यह कानून लागू होना चाहिए। आज यदि नियम बनते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि यदि छोटे से जागीरदार ने, जिसने पेट भरने की वजह से जमीन ले ली, उसके लिए तो नियम बना लिये जायें और राजधानी के पास दस मील के एरिया में किसी ने जमीन पर अधिकार कर लिया है, उस पर कानून लागू न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि राजस्थान सरकार की

Page No.32

(श्री भैरोंसिंह)

हिम्मत एक्शन लेने की है तो मैं उन लोगों के नाम भी बता सकता हूं। लेकिन नाम लेना तो अच्छा नहीं होगा। लोगों को वहां जमीनें मिली हैं, कोऑपरेटिव फार्म के नाम से, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उन्होंने कितने ही गलत तरीकों से जमीनों पर कब्जा किया है और लोन लिया है। उस लोन को लेने के लिए हमारे यहां राजस्थान में बड़े बड़े तमाशे होते हैं। एक व्यक्ति लोन प्राप्त करता है तो मकान की जमानत देता है, ट्रेक्टर खरीदने के लिए मकान की जमानत देता है और यदि दूसरे कामों में भी जमानत की आवश्यकता होती है, तो भी उसी मकान की जमानत दे दी जाती है। कुए खुदवाने होते हैं तो उसकी सिक्योरिटी देनी होती है, तो एक ही मकान की सिक्योरिटी दे देते हैं। एक ही मकान की सिक्योरिटी देकर चार पांच लोन लिये गये हैं। लोन की किश्तें जमा होती हैं या नहीं, इसकी जांच करवाने वाला कोई नहीं है। अगर आज सरकार राजनैतिक प्रचार के कारण उन लोगों पर कोई एक्शन नहीं ले सकती है तो यह वास्तव में अन्याय होगा। यदि ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन लिये जाने की बात होती तो इस प्रकार की अलग अलग व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती। मैं राजस्व मंत्री से कहूंगा कि वह ऐसे सब लोगों से, जिन्होंने गलत तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जमीन वापिस लें। न केवल उस जमीन को वापिस ही लें, बल्कि अगर उसके लिए कोई दण्ड का प्रावधान रखा जा सके तो वह भी रखें। लेकिन उसमें वह बात नहीं है। यहां पर जितने जागीर रिजम्पशन के एमेन्डमेंट आये हैं, हो सकता है कि हमारे राजस्व मंत्रीजी इस सारे मामले में एक्सपर्ट हों, उनका यह भी दृष्टिकोण हो सकता है कि जागीरदारों के बहुमत को परेशान नहीं किया जाय, लेकिन राजनैतिक और व्यक्तिगत वैमनस्य के कारण कानून बनायें, एक आदमी को परेशान करने की गर्ज से, उसको यहां विधान-सभा में प्रस्तुत करें। राजस्थान में आज तक जागीर रिजम्पशन एक्ट के अन्दर जितने भी अमेन्डमेंट्स पेश हुए हैं, उन अमेंडमेंट्स का असर चाहे राजस्थान वाइड हो, लेकिन दो तीन आदमी ऐसे हैं, जिनके ऊपर निश्चित रूप से असर होगा। उस असर को लेकर व्यक्तिगत व राजनैतिक वैमनस्यता के कारण किसी तरह से प्रभाव प्राप्त करने की गर्ज से कानून बनायें, तो उस कानून का व्यापक दृष्टिकोण नहीं होगा। इसलिए मैं राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल के संबंध में वे जिस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर आये हैं, वह दृष्टिकोण किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। उन्हें चाहिए कि सब के लिए एक प्रकार का कानून बनायें। चाहे काश्तकार हो, चाहे किसी प्रकार का व्यक्ति हो, जिन्होंने धोखा देकर जमीन पर अधिकार प्राप्त किया हो, उनके हाथ से जमीन छीनी जानी चाहिए। यदि वे इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनायेंगे तो सदन उनके इस दृष्टिकोण को स्वीकार करेगा, उनका समर्थन करेगा, और अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे तो यह कानून एक तरफा है, कुछ जागीरदारों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस विधान सभा में पेश किया गया है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने एक विधेयक है। उस विधेयक को पढ़ने से पता लगता है कि इसकी मन्शा बहुत स्पष्ट है कि जिन जागीरदारों ने धोखा देकर या मिसरिप्रेजेन्ट करके

(श्री शिवनाथसिंह)

जमीन हथियाई है, उस जमीन को सरकार वापिस ले ले। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि जिस आदमी ने गलत फैक्ट को सामने रख कर, या किसी को धोखा देकर जमीन ली है तो वह वापिस ली जानी चाहिए। उम्मीद तो इस बात की थी कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जो इस बिल का विरोध करते हैं, वे इसका समर्थन करते। हो सकता है कि कुछ जागीरदार या कुछ लोग ही हों जिन्होंने इस तरह से धोखा दिया, उनकी संख्या बहुत कम हो सकती है। लेकिन एक जागीरदार या जागीरदारों के नुमायन्दे बनकर, हमने यहां, जो गलत काम किया गया है उसको भी सामने नहीं लायें, वह काम वैसे का वैसा रहे, इस तरह की दलील इस जमाने में, मेरे ख्याल से, सुन्दर नहीं बैठ सकती है।

यह उदाहरण दिया गया है कि लोग और भी ऐसे हैं जिन्होंने गलत चीजें या गलत फैक्ट्स सामने रखकर जमीनें हथियाई हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि किसी ने गलत चीजें सामने रखी हों या किसी की गलती से किसी ने फायदा उठाया हो तो उसको वापिस लेना चाहिए। हो सकता है कि इस प्रकार से किया गया हो लेकिन एक चोर यह कहे कि दूसरे ने भी चोरी की है, इसलिए मुझे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, यह आॅग्युमेन्ट उचित नहीं है। इससे तो जागीरदारों की एक तरह से बहुत ही, मैं क्या अर्ज करूं, ईमानदारी सामने आयेगी। हो सकता है कि केवल दो, चार, पांच ने ऐसा किया हो, लेकिन आज खास तौर से सब जागीरदारों के लिए एक आवाज है कि जागीरदारों ने धोखा देकर और गलत चीजों को सामने रखकर बहुत सी जमीन हथिया ली है, उन लोगों का स्पष्टीकरण हो जायेगा, उन लोगों की ईमानदारी सामने आ जायगी। कुछ लोग हो सकते हैं जिनका इस बात से नुकसान हो, लेकिन तमाम जागीरदारों के ऊपर इसको लागू करने से सारे जागीरदारों का अहित हो रहा हो, ऐसी बात नहीं है, जिससे यह कहा जाय कि सरकार ने जो रियायत दी थी वह वापिस ली जा रही है। यह कहना बहुत गलत होगा।

मुझसे पूर्व वक्ता ने यह आॅग्युमेन्ट दिया कि भूस्वामी आन्दोलन के समय जागीरदारों को रिश्वत के रूप में सरकार ने जमीनें दी थीं, वह सरकार अब वापिस ले रही है। मैं मानता हूँ कि यह बात सही हो हो, तो भी इसको वापिस लेना चाहिए। जिन जागीरदारों ने आपके आन्दोलन को दबाया, इस तरह से रिश्वत लेकर आपके साथ में असहयोग किया, तो आप लोगों को बड़ी खुशी होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : रिश्वत देने वाले को भी दण्ड मिलना चाहिए।

श्री शिवनाथसिंह : कि जिन लोगों ने गद्दारी की है, उनसे गद्दारी का बदला लिया जा रहा है। लेकिन आज यहां यह हो रहा है कि जो लोग गद्दार हैं उनकी भी हिमायत की जाती है। ये दोनों विरोधी बातें समझ में नहीं आ सकती हैं, अगर किसी ने गलती से या किसी प्रकार से धोखे से जमीन हथिया ली है तो वह वापिस ली जानी चाहिए, इसका सिद्धान्ततः समर्थन करते हैं, लेकिन यह विधेयक पास नहीं होना चाहिए। सिद्धान्त को मानते हैं लेकिन विधेयक को पास नहीं करना चाहते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती हैं। यदि उनका यह कहना

(श्री शिवनाथसिंह)

है कि इस तरह का विधेयक पास नहीं होना चाहिए तो उनको यह कहना चाहिए कि इस तरह के सिद्धान्त को नहीं मानते हैं और खुले रूप से कहना चाहिए कि गलती से या धोखा देकर जो जमीन हथिया ली है उसको हम कायम रखना चाहते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती हैं। इसलिए मैं उन माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि उन्हें अपनी विशाल हृदयता का सुबूत देना चाहिए और जो मन्शा इस विधेयक की है उसको स्वीकार करते हुए इस विधेयक को एकमत से पास करना चाहिए, और उन लोगों का समर्थन मिलना चाहिए।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मैं समझता हूँ, ऐसे कई मामले हम लोगों के ध्यान में आये दिन लाये जाते हैं, खुदकाश्त के नाम पर केवल ऐसी जमीन को ही, जिसमें कि खेती की जा सकती हो, जागीरदारों ने अपने कब्जे में नहीं किया है, बल्कि कई स्थानों पर श्मशान घाट भी उन्होंने अपने खुदकाश्त के अन्तर्गत अंकित करवा लिया है, और वहां पर गांव के लोगों को आये दिन इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि मरने वाले व्यक्तियों को कहां पर जलाया जाय ? इसी तरह से कई तालाबों की पालों को, मैंने स्वयं ने देखा है, लोगों ने खुदकाश्त में अपने नाम पर अंकित करा लिया है। तालाबों की पालें खुदकाश्त की श्रेणी में कैसे आती हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

मैं समझता हूँ कि जागीर रिजम्शन एक्ट के अन्तर्गत कई खामियां इस संबंध में रह गई है, जिनका जब जब एक्सपीरियन्स, या अनुभव होता रहता है, तब तब आवश्यक संशोधन किया जाना बहुत लाभदायक और जरूरी होता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे जागीरदारों को जिन्होंने धोखा देकर या मिसरिप्रजेन्ट करके यदि खुदकाश्त की जमीन हासिल की है मेरे विचार से उनकी संख्या नगण्य होनी चाहिये, जिन्हें इस संशोधन से प्रभावित होना पड़ेगा। यदि उनकी संख्या ज्यादा भी हो तब भी उन लोगों को सजा मिलनी चाहिये, यह समय और न्याय का तकाजा है कई जागीरदारों ने बड़े पहाड़ और जंगल कब्जे में कर लिये हैं, गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया है। इनके सिवाय तालाब वगैरह की पालों पर कब्जा कर लिया है, यहां तक कि श्मशान घाट पर भी कब्जा कर लिया है, तो इसकी पूर्ति आखिर होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो यह संशोधन प्रस्तुत किया है, वह संशोधन अच्छे विचार का द्योतक है। लोगों की कई समस्याओं में से एक समस्या के समाधान के लिए यह प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं विरोधी पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब जमींदारी एबोलिशन बिल सामने आया और जिस भावना के साथ आपने कहा कि जनता जमींदारों से बहुत परेशान है इसलिए इस तरह के प्रोग्रेसिव कानून में देरी नहीं की जानी चाहिए। हमारे माननीय राजस्व मन्त्री जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि उक्त बिल को प्रवर समिति को रेफर करके वहां पर विचार किया जाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा विलम्ब होने की बात थी और इसलिए माननीय सदस्य ने विलम्ब न करने का आग्रह किया, क्योंकि वे समझते हैं कि इस तरह के प्रोग्रेसिव कानून, इस तरह के प्रगतिशील कानून में ज्यादा विलम्ब नहीं होना चाहिए।

(श्री मनोहर कोठारी)

मैं नहीं समझता कि आज वे ही माननीय सदस्य यहां पर यह कहें कि इस तरह के कानून से जागीरदार परेशान होंगे, सरकार उनके साथ में अन्याय कर रही है। यह किस प्रकार उचित है ? मैं समझता हूँ कि हमें इस बिल के पक्ष में अपना मत जाहिर करना चाहिए, और यही वांछनीय है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं......

श्री अध्यक्ष : आप इस पर पहले बोल चुके हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी हां, मैं दुबारा बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरत नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी ने जो बिल पेश किया है, उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सरकार को अपने रेकॉर्ड पर विश्वास नहीं है। वह समझती है कि हमारा जो रेकॉर्ड बनाया गया है और उसके आधार पर अलॉटमेंट जमीन का हुआ है वह ठीक ढंग से नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अलॉटमेंट ठीक ढंग से नहीं हुआ है तो भी रेकॉर्ड सरकार के कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है। उन्होंने अनुमान लगा कर बनाया है या सत्य के आधार पर बनाया है, लेकिन रेकार्ड सरकारी कर्मचारियों ने ही बनाया है, तब फिर समझ में नहीं आता कि इस प्रकार उसको ठीक क्यों नहीं माना जाता है। अब आप पब्लिक में गंदा वातावरण क्यों पैदा करना चाहते हैं ? शायद आप यह चाहते हैं कि जनता में आपस में जो प्रेम बना हुआ है वह बना नहीं रहे। जो भी एन्ट्रीज हुई हैं, उनको कोर्ट में चैलेंज किया है और उसके बाद में एन्ट्रीज दुरुस्त कर दी गई हैं। एन्ट्रीज जब ठीक कर दी गई हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि इसको क्यों चेन्ज किया जाय ? जिन कर्मचारियों ने एन्ट्रीज की हैं तो उन्होंने सही नॉलेज पर की हैं। इससे यह स्पष्ट साबित होता है कि जितना भी रेकॉर्ड बनाया गया है, वह गलत बनाया गया है और सरकार को उस पर विश्वास नहीं है। यदि सरकार को अपनी मशीनरी पर और अपने कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं है तो कैसे समझा जाय कि अब जो अलॉटमेंट किया जायगा, वह ठीक ढंग से किया जायगा ? मैं समझता हूं वह ठीक ढंग से नहीं किया जायगा। इस प्रकार से रेकार्ड में बार बार वापिस दुरुस्ती करना जनता में लड़ाई पैदा करना है ताकि जनता आपस में लड़ती रहे और आपस में वैमनस्य फैलता रहे और इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों की जेबें गर्म होती रहें। जब पहले-पहल एन्ट्रीज हुई, उस समय जनता को कितनी तकलीफ हुई थी। जब पहले एन्ट्रीज हो गई तो क्यों वापिस करेक्शन किया जाय। यदि किसी ने गलत एन्ट्रीज कर दी हैं तो कोर्ट को यह अधिकार है कि वह दुरुस्त करा सकता है। रेवेन्यू बोर्ड को अधिकार है कि वह दुरुस्ती करा सकता है, लेकिन जो एक्ट बनाया गया है उसके जरिये चेन्ज करना और वापिस बनाना समझ में आने की बात नहीं है।

अब यह कहा जाता है कि रियासत को मुगालता देकर रेकार्ड तैयार कराया है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मुगालता खाकर भी तैयार करने वाले आप ही के ऑफिसर्स हैं। ऑफिसर्स को रेकॉर्ड तैयार करते समय कानून का ध्यान रखना चाहिए था और कानून के

(श्री लक्ष्मीचन्द)

अनुसार ही जमीन अलॉट करनी थी। वे ही लोग काम करने वाले हैं। फिर रेकार्ड इस प्रकार बनाया गया तो किस प्रकार इसे दुरुस्त किया जायगा। जनता को इस प्रकार से फिर परेशान करना कर्मचारियों को नाजायज फायदा पहुंचाना है। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसे वे विथ्ड्रा कर लें।

श्री किशनसिंह वट्टड़ (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश किया गया है उसका सदन में विरोध किया जा रहा है और विरोध करते समय यह नाम लिया जा रहा है कि चोरी हो गई और चोरी का पता चल गया है लेकिन फिर भी वापिस चोरी तो हो ही गई है और चोर का पता लग गया है, लेकिन अब उसका पीछा करना और चोरी के माल को वापिस लेना अच्छा नहीं लगता क्योंकि इस तरह से की गई चोरी का माल वापिस आ जायगा, तो चोरी करने वाले बहुत से लोग नाराज हो जायेंगे, धोखा देने वाले नाराज होंगे, यह दलील दी गई। हाउस में यह भी कहा गया कि सरकार को चोरी होने का पता लग गया था लेकिन उसने ध्यान नहीं रखा। ठीक है, पहले ध्यान नहीं रखा लेकिन अब जब कि ध्यान दिया जा रहा है और उसे वापिस लेने की कोशिश की जा रही है तो यह अच्छा है कि वे आगे से धोखा नहीं देंगे और वे समझेंगे कि अब धोखा नहीं देना चाहिये, क्यों कि धोखा देने का पता चल गया है, इसलिये धोखा देना अच्छा नहीं लगा और उसके लिये पश्चात्ताप करना पड़ा और सरकार ने जमीन वापिस ले ली। यह कहना तो दूर रहा कि इसको जल्दी लाना चाहिये था, उल्टा इसका विरोध किया जा रहा है, यह अच्छा नहीं है। इसके बारे में यह कहना चाहिये था कि इसको जल्दी से जल्दी पास करके तुरन्त अमल में लाना चाहिये और जिन्होंने जमीन ले ली है उनको दंड देना चाहिये और जुर्माना करना चाहिये, इन बातों को कह कर इसका समर्थन करना चाहिये था। लेकिन यहां पर उल्टी बातें कही गई और इसका विरोध किया गया, यह अच्छी बात नहीं थी। मैं इसका समर्थन करता हूँ और हाउस से निवेदन करता हूँ कि इसे शीघ्र ही पास किया जाय।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना सुरक्षित) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन राजस्व मन्त्रीजी ने रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो जमीन जागीरदार महानुभावों ने किसी कारण से या अपनी अक्लमंदी से अपने कब्जे में रख ली है, उसमें उन्होंने अपनी होशियारी का परिचय दिया है। ऐसी स्थिति में एक तरफ तो जागीरदारों के नेता सदन में यह भाषण करते हैं कि हम गरीबों की भलाई करना चाहते हैं और उनको समान स्तर पर लाना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक एक जागीरदार के पास १५०० एकड़ तक जमीन मौजूद है। उनसे यह जमीन निकाली जाकर गरीबों को दी जाय, तो उनको इसमें खुशी माननी चाहिये। लेकिन समझ में नहीं आता कि वे ही लोग किस प्रकार से इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि सरकार ने कानून बनाने में कमी रखी है। यदि वास्तव में कानून में कमी भी है तो आपको अपने हृदय से कानून की कमी की भावना को निकालना चाहिए और राज्य के भूमिहीनों के हित में यह चीज करनी चाहियें कि जिनके पास जमीन अपनी होशियारी से ज्यादा रह गई है, उसे उन्हें अपने हृदय से लौटा देनी चाहिये। इन विचारों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूँ और

Page No.37

(श्री गोवर्द्धनसिंह)

माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इसे एकमत से पास करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कुछ गलतफहमी इस बात की हुई है कि उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने यह समझ रखा है कि खास प्रॉविजन सिर्फ जागीरदारों के लिये ही रखा गया है और जितना एलॉटमेंट होता है चाहे लैंड रेवेन्यू की तहत हुआ हो, उसके अन्तर्गत आने वाली जमीन वापिस नहीं ली जाती है ? उनका कहना है कि इस प्रकार का कोई प्रॉविजन किसी कानून में नहीं है और वह सिर्फ जागीरदारों के लिये रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अदब से कहूंगा कि उनकी जानकारी गलत है या उनको जानकारी है ही नहीं। जितने अलॉटमेंट रूल्स और लॉ हैं उन सबमें इस प्रकार का प्रॉविजन है। क्यों कि यह स्पेशल लॉ है और इस प्रकार का प्रॉविजन इसमें भी होना चाहिये था, लेकिन किसी तरह से प्रॉविजन होना रह गया था, इसलिये इसको इन्सर्ट किया जा रहा है। यह बात नहीं है कि जागीरदारों को या जागीरदार क्लास को विक्टेमाइज करने के लिये यह बात की जा रही है। मुझे अफसोस है कि उधर बैठने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों ने यह बात कही है कि जागीरदारों को विक्टेमाइज करने के लिये या लालच देकर जो जमीन दी थी उसको वापिस लेने की कार्यवाही की जा रही है, यह बात गलत है। लेकिन दरअसल बात यह है कि जो प्रॉविजन पहले नहीं किया जा सका था, उसको किया जा रहा है।

मैं सदन की सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि अलॉटमेंट के रूल्स लैंड रेवेन्यू एक्ट की तहत बने हैं, उनमें भी इस तरह का प्रोविजन है, जो कोलोनाइजेशन के लिये अलाटमेंट के रूल्स बने हैं, उनमें भी इस प्रकार का प्रोविजन है, भाखरा, चम्बल और राजस्थान केनाल की जमीन को अलॉट करने के लिये जो रूल्स बने हैं, जिनके जरिये जमीन अलॉट की जायगी भूमिहीन किसानों को, उसमें भी यह प्रोविजन मौजूद हैं।
जागीरदार को जमीन अलॉट की जाती है, वह जागीर रिजम्पसन के तहत जो खुदकाश्त का प्रोविजन है, उसके अनुसार अलॉट की जाती है। इसलिए यह जो कह रहे हैं कि हमारे यहां किसी अलॉटमेंट रूल में इस प्रकार का प्रॉविजन नहीं है, यह गलत है। मैं आपको सूचना के तौर पर रिलेवेन्ट रूल बता दूं। राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट, १६५४ में प्रोविजन है Section II.

"If any person who, after the commencement of this Act, has been put in possession of land in a colony as a tenant, shall have given false information intending or having reason to believe that any officer of the State Government may be there by deceived regarding his qualification to become a tenant, he shall be deemed to have committed a breach of the conditions of his tenancy." Then there is penalty for breach of conditions:

"When the Collector is satisfied that a tenant in possossion of land in a colony has committed a breach of the conditions of his tenancy, he may, after giving the tenant an opportunity to appear and state his objection,

(श्रीं दामोदरलाल व्यास)

(1) impose on the tenant a penalty not exceeding five hundred rupees, or

(2) order the resumption of the tenancy........."

कोलोनाइजेशन एक्ट, १६५४ का जो प्रोविजन बताया वह बहुत सख्त प्रोविजन है, यह बहुत कम सख्त प्रोविजन है, जिसे हम पास करना चाहते हैं। भाखरा प्रोजेक्ट के रूल्स हैं, उसमें प्रोविजन है, उसमें लिखा है :

" The applicant shall sign a declaration before the officer conducting the auction that he does not own any land in his own name or in the name of any of his family member ......

and the total area of the land held by him and the land that he wishes to perchase shall not exceed......... for purposes of Clause (9) of the Rajasthan Tenancy Act......"

गवर्नमेंट रूल्स बने हुए हैं, वहां यह प्रॉविजन है

" If it is discovered any time that .... then whole of the land sold may be resumed without compensation by the Government. "

This is for Bakhra Rules, and so also under the Land Revenue Act/ Land Reforms Act.

"It shall be resumed by the Government if it is not brought under cultivation...... Section 12 of this Act." Similarly for allotment rules in Chambal area, a similar provision exists."

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जागीरदारों के लिए जो प्रॉविजन बनाया जा रहा है, इस बिल में कोई नई बात नहीं की जा रही है, यह कहना बिल्कुल गलत है। बल्कि हर जगह, हर कानून में यह प्रोविजन किया जाता है, उसका जो बेसिस है, that must be followed. मिस रिप्रजेन्टेशन या फ्रॉड से अलॉटमेंट ले लिया जाय, तो मैं कह सकता हूं कि उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, १०० वर्ष के बाद भी अलॉटमेंट कैंन्सिल किया जा सकता है। That is a general law, while this law relates only to new and fresh allotments to jagirdars जागीर रिजम्प्शन एक्ट स्पेशल लॉ है, इसलिए उसके लिए स्पेशल प्रॉविजन होना चाहिए, उसको किया जा रहा है। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन करने का सवाल नहीं है। अगर किसी ने ईमानदारी नहीं रखी, मिस-रिप्रजेन्टेशन किया, या फ्रॉड किया और खुदकाश्त अलॉट करा ली, तो मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य को एतराज नहीं होना चाहिए, यदि हम यह कहते हैं कि इस प्रकार का प्रोविजन होना चाहिए...

श्री भैरोंसिंह : मेरी इच्छा है कि सब के लिए एक प्रोविजन होना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक ही मैं बता रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : कोलोनाइजेशन एक्ट, जागीरदारी रिजम्प्शन एक्ट, ये सब अलग अलग हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानूनी मसला है; इसमें समझने की बात है। स्पेशल लॉ और जनरल लॉ में फर्क होता है। माननीय सदस्य को मैं कहूं कि वे यह दृष्टिकोण न रखें क्योंकि उस कानून में यह बात नहीं आ पाई इसलिए अलग से प्रोविजन रखने की आवश्यकता होती है। मैंने निवेदन किया, जागीर रिजम्प्शन एक्ट स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ के लिये स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत है। कालोनाइजेशन एक्ट के तहत रूल्स

Page No.39

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैं, रेवेन्यू एक्ट के अन्दर अलॉटमेंट के रूल्स अलग हैं, लेकिन उसमें अलॉटमेंट डिफरेन्ट ऑथोरिटी से किया जाता है और यह अलॉटमेंट जागीर रिजम्पशन एक्ट के तहत किया जायगा, इसलिए जरूरी है कि इसमें भी प्रोविजन रखा जाय, वरना इसमें अपील नहीं कर सकते। जैसा मैंने निवेदन किया कि यह बात जोर से कही जा रही है कि यह प्रोविजन जागीरदारों के लिए है यह गलत है; यह आम तौर से हर अलॉटमेंट के लिए किया जा रहा है।

दूसरी बात, जिस पर बहस की जा रही है, वह है कि एन्ट्री कैन्सिल करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इससे एन्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें एन्ट्रीज़ वगैरह का सवाल नहीं है। सवाल वह है जिसे माननीय सदस्यों के सामने साफ किया है। लेकिन कुछ गलतफहमी बहुत से क्वार्टर्स में हो गई है।

तीसरी बात इस अमेन्डमेंट कानून में है, वह बात खास तौर पर रखी है। पहले, जैसा मैंने अलॉटमेंट के लिए अर्ज किया, इस कारण रखा गया है। कि जो चीज पहले लिखने में रह गई, उसको अब जोड़ा जा रहा है। सेकिन्ड प्रोविजन में प्रोसीजरल बात है, अपील का प्रोसीजर क्या होगा। उसके अन्दर डाउट करने की गुंजाइश नहीं है। थर्ड प्रोविजन है, वह सिर्फ सेक्शन ४१ के लिए है। सेक्शन ४१ में अगर किसी आदमी को किसी क्रिमिनल कोर्ट से सजा मिल गई है फाल्स स्टेटमेंट के लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट से एडवान्टेजेज़ फाल्स स्टेटमेंट करके गवर्नमेंट से हासिल कर लिये हैं, उसके लिए यह प्रोविजन रखा है। इसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता है। अगर किसी ने फ्रॉड करके जहां पांच हजार कम्पेन्सेशन लेना चाहिए, वहां १५ हजार ले लिया है; तो भले ही उसे सजा मिल गई है लेकिन कोई कारण नहीं कि वह १० हजार वापिस न करे। मैं नहीं समझता कि कोई पार्टी रॉंग स्टेटमेंट करके, फाल्स स्टेटमेंट करके कोई फायदा उठा लेगी, तो उसे उस फायदे को क्यों नहीं वापिस करना चाहिए। इस बात के लिए प्रोविजन इसमें रखा है।

मैं समझता हूँ कि इस अमेंडिंग बिल में कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें माननीय सदस्यों के अमेन्डमेंट्स आयेंगे, उन पर माननीय सदस्यों के सुझाव सुनकर, जो मानने के लायक संशोधन होंगे, उनको जरूर मानूंगा। बाकी इसमें न तो कोई विक्टीमाइजेशन की बात है, न कोई और बात है।

एक बात और कही गई, वह बहुत ही गलत थी कि हमने कुछ जागीरदारों को इसलिए कि भू-स्वामी आन्दोलन में वे शामिल न हों, उस से अलग रखने के लिए जमीनें दी और ये जमीनें अलॉट करके जान बूझ कर दी गई। मैं आपको बताऊं कि खुदकाश्त का अलॉटमेंट खुदकाश्त कमिश्नर करता है और जो एक जुडिशियल एक्ट है, उसके तहत रूल्स बने हुए हैं उनके तहत अलॉटमेंट होता है। गवर्नमेंट की तरफ से डाइरेक्टर अलॉटमेंट नहीं होता और न किसी को अलॉटमेंट करवाया है। सिर्फ इस क्लॉज को इन्सर्ट करवा रहे हैं, इसकी मन्शा यह है कि गलतबयानी से, यदि किसी को एक मुरब्बा मिलना चाहिए, उसने आठ-दस मुरब्बे कब्जे में कर लिये हैं, तो मैं समझता हूं कि मननीय सदस्य भी यह मानेंगे कि गैरवाजिब एडवान्टेज किसी को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए यह अमेंडमेंट पेश किया है।

Page No.40

(श्री दामोदरलाल व्यास)

१२. ३७. म. प.

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (अष्टम संशोधन) विधेयक, १६५८ (विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (अष्टम संशोधन) विधेयक, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक का विचारार्थ लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज २. श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move an amendment that in part (i) of Section 19-B the words "by such officer or authority as the State Government may by such order authorise" be substituted by the words "by a committee of three officers, not below the rank of a collector, to be appointed by the State Government for the purpose".

अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज १६ बी में जो अलॉटमेंट को कैंसिल करने के लिए ऑथोरिटी दी जाती है और ओरिजिनल बिल में जो प्रोविजन है, वह यह है -"to any officer or anthority as the State Government may prescribe,' अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट को, एक्ज़ीक्युटिव को ऐसी ऑथोरिटी देते हैं कि किसी जागीदार के अलॉटमेंट का रिविजन करने के लिए, कैंसीलियेशन करने के लिए कैन्सीलियेशन की ऑथोरिटी दे सकते हैं। कुछ समय पहले सदन में बहस हुई उससे मालूम होता है कि कुछ लोगों में शंका रहती है कि अलॉटमेंट गलत तरीके से कैंसिल हो सकता है। तो पब्लिक कॉन्फीडेन्स के लिए और सदन के सदस्यों के दिल में ऐसी बात पैदा न हो इसके लिए जो अलॉटमेंट कैंसिल हो उसको मामूली ऑफिसर नहीं करे, उसको कैंसिल एक कमेटी करेगी। जो अलॉटमेंट कैंसिल करना होगा उस पर वे लोग जो कमेटी में हैं, विचार करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो अमेंडमेंट मैंने रखा है उसको स्वीकार करना चाहिए। इससे उस कानून में जो प्रोविजन रखा गया है, उसमें न तो उसके इम्प्लीकेशन में कोई दिक्कत होगी, बल्कि साथ साथ यह बात होगी कि कम से कम पब्लिक कॉन्फीडेन्स रहेगा। यह कानून जो आप बना रहे हैं, इसमें एक इम्पाशियल एटीट्यूड रखना होगा कि जो अलॉटमेंट किया है, उसको कैंसिल करने की ऑथोरिटी एक नीचे के ऑफिसर को नहीं मिलेगी, एक मामूली आदमी नहीं करेगा, जो करेगा वह सोच समझ कर करेगा। इस लिए मैं समझता हूँ कि यह जो अमेंडमेंट मैंने प्रस्तुत किया है : "by a committee of three officers, not below the rank of a Collector ...." वह रख देंगे तो बात अच्छी रहेगी। आज जो सदस्य कहते हैं कि उसके जरिये विक्टिमाइजेशन किया जा सकता है, उनके दिल में इस प्रकार का संदेह है, वह नहीं रहेगा। तो मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस अमेंडमेंट को स्वीकार कर लें। इससे बिल ज्यादा सुन्दर होगा, इससे पब्लिक कॉन्फीडेन्स भी उनको ज्यादा हासिल होगा। तो इस अमेंडमेंट को मंजूर करेंगे ऐसी आशा करता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : There are other amendments.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो अमेन्डमेंट है वह इससे मिलता-जुलता है : "Add the words not below the rank

Page No.41

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

of Collector of a District after the word 'authority, in the fourth line of part (i) of new Section 19-B sought to be inserted.'"

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह गलतफहमी हो रही है कि इसमें 'ऑथोरिटी लिखा है, वह न मालूम किसको मुकर्रर कर दें इसलिये सब की यह भावना है कि जिस एरिया में इन्क्वायरी हो, वहीं का कलेक्टर जो एक आई. ए. एस. ऑफिसर होता है, एक रीज़नेबल और गवर्नमेंट का विश्वासपात्र ऑफिसर होता है, उसके जरिये यह इन्क्वायरी कराई जायगी तो किसी को कोई एतराज करने के लिये मौका नहीं मिलेगा। इसलिये मैंने यह अमेंडमेंट रखा।

बहुत सी बातें पहले भी इसके मुतल्लिक आई, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि माननीय राजस्व मन्त्री का मैं आदर करता हूं, और हमेशा से उनका और मेरा साथ रहा है और बहुत सम्बन्ध रहे हैं, वे मेरे एड्वाइजर भी रहे हैं, पर बड़ा अफसोस होता है कि यह जो स्पीच बाहर करने की है, यहां करते हैं, यहां करने की नहीं है। मन्त्री महोदय खुद जानते हैं कि मेरे कब्जे में क्या है और पहाड़, तालाब किसके कब्जे में हैं। इस वक्त प्रोपेगेन्डा करना शोभा नहीं देता। अगर मैं भी इस तरह से कहूं तो मुझे भी शोभा नहीं देगा। मैं भी बहुत कुछ जानता हूं पर मेरे मुंह से कहना ठीक नहीं है। एन्क्वायरी हो तो सब पता चल जाय। मैं तो, आपके मेरे पुराने सम्बन्ध हैं, उनको निभाना चाहता हूं, आप नहीं निभायें तो दूसरी बात है।

मैं आशा करता हूं कि वे मेरा अमेंडमेंट स्वीकार कर लेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, क्लॉज २ में मेरे अमेंडमेंट्स हैं। एक तो यह कि जिस आदमी से पहले उसे एलॉट की हुई जमीन ली जाय तो उसे सुनने के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये और निर्धारित होना चाहिये कि ६ महीने के भीतर भीतर सुनवाई हो सके।

लिस्ट नं० २ का अमेंडमेंट है उसे पहले मान लिया जाय :

"In the newly proposed section after the words, 'to its knowledge, may' add the following wrods:

'Within six months from the date of the commencement of this Act'"

इन दोनों मिला कर इसका पूरा सेन्स निकलता है। इसमें कोई एतराज की बात नहीं होगी कि जिसको लैंड अलॉट की है, वह जमीन उससे लेते समय, उसको सुनने का मौका देना चाहिये, और समय भी देना चाहिये। इस प्रकार की कार्यवाही कब तक चलती रहेगी, इसके लिये ६ महीने काफी हैं। ऑर्डिनेन्स भी जुलाई के महीने में लागू हुआ है, ६ महीने काफी होंगे। अब कभी अलॉटमेंट होता है लैंड का तो गवर्नमेंट और ऑफीसर्स को सोचना चाहिये कि गलत अलॉटमेंट न करें, फिर किस प्रकार पकड़ते फिरें, यह उचित नहीं।

मेरा अनुमान है कि मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष, मैं निम्नलिखित संशोधन क्लॉज़ २ में प्रस्तुत करता हूँ :

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

"In the new section 19-B sought to be inserted:-

(i) Substitute the words 'The Board of Revenue' for the words 'The State Government' occurring in the fourth line."

"Substitute the words 'or upon the facts otherwise coming to its knowledge' by the words 'within a period of six months."

"In part (i) substitute the words 'not below the rank of a Collector, for the words 'or authority' (ii) substitute the words 'Board of Revenue, for the words 'State Government.''

In part (ii), add the following words at the end and the allottee is in possession of excess land then the minimum area prescribed under ceause (a) of section 180 of the Rajasthan Tenancy act, 1955."

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपने ये ४ संशोधन प्रस्तुत किये हैं वे चारों संशोधन यदि इस क्लॉज़ में समाविष्ट कर दिये जायं तो, जिस प्रकार की आशंका सदन के कई माननीय सदस्यों ने व्यक्त की है, उस आशंका को कार्यरूप में परिणत करने की स्थिति नहीं आ सकती। अभी अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी ने, जो अपने आपको कानून का सबसे बड़ा माहिर समझते हैं, उत्तर में बताया कि राजस्थान जागीर रिज़म्प्शन एक्ट स्पेशल लॉ है, उस पर जनरल लॉ लागू नहीं होता...

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं कानून का बड़ा माहिर हूँ, और न मैं हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी भाषा से मालूम होता था कि आप खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं।

राजस्थान में जनरल लॉ है इस बात का कि यदि किसी आदमी को भूमि का अलॉटमेंट किया गया उसमें गलती हुई है, कोलोनाइज़ेशन एरिया में गलत अलॉटमेंट हुआ है, तो कोलोनाइजेशन एरिया के रूल्स हैं, यदि उनके बाहर, जमीन का मिसरिप्रजेन्टेशन और फ्राड से अलॉटमेंट हुआ है तो उसके लिये रूल्स हैं। मैंने उस वक्त भी यह नहीं कहा था कि राजस्थान में रूल्स नहीं हैं। मेरी तो यह मंशा है कि अलॉटमेंट के सम्बन्ध में यदि हमें सिद्धान्त अपनाना है तो एक सिद्धान्त होना चाहिये, अलग अलग नहीं। राजस्थान जागीर रिजम्प्शन एक्ट एक स्पेशल लॉ है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। उसके मातहत जमीन का अलॉटमेंट होता है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। जागीर रिजम्प्शन के बाद उस जागीरदार की अपनी जमीन के ऊपर जो अलॉटमेंट के जरिये प्राप्त की है, जो उसकी खुदकाश्त की जमीन है, उस पर उसे खातेदारी के हकूक हासिल हो जाते हैं। जिस दिन जागीर का रिजम्प्शन हुआ खातेदारी का हक मिलना चाहिये। पहले वह जागीरदार रहता है, जागीर के रिजम्प्शन के साथ वह खातेदार बनता है। अब वह जागीरदार नहीं रहा, यदि जागीरदार खातेदार टिनेन्ट है तो यह मानना कि उसके लिये अलग कानून बनना चाहिये और दूसरे खातेदार हैं उनके लिये अलग कानून बनना चाहिये, दोनों के लिये अलग अलग कानून होने चाहिये, मेरा इससे मतभेद है। जिस जमीन पर उसको खातेदारी के हक-हकूक मिल चुके हैं, उसके राइट्स कन्फर्म हो गये हैं, उनके राइट्स को

Page No.43

(श्री भैरोंसिंह)

सुनने का कानून बनता है तो जागीरदार के लिये वह कानून अलग बने और दूसरों के लिये अलग बने........

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिये शायद माननीय सदस्य ने मेरे लिये कहा कि मैं अपने आपको कानून का बड़ा माहिर मानता हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जनरल लॉ स्पेशल लॉ पर एप्लाई नहीं हो सकता। माननीय सदस्य को इस कानून की जानकारी नहीं है।

इसलिये माननीय अध्यक्ष, जानकारी और अजानकारी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहां जनरल लॉ है वहां पर स्पेशल लॉ एप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि माननीय सदस्य इसके माहिर हों मगर मैं यह जरूर कहूंगा कि वे इससे अनभिज्ञ जरूर हैं।

श्री भैरोंसिंह (जारी) : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्पेशल लॉ है। इसमें जिन लोगों को जमीन अलॉट कर दी गई है और जिन्होंने फ्रॉड से ले ली है उन पर इसका असर होगा। लेकिन मैं यह कहूंगा कि जब सरकार ने जागीर रिजम्प्शन एक्ट के अनुसार जमीन अलॉट कर दी है तो उसके बाद उनको खातेदारी राइट्स हासिल हो जाते हैं। टिनेन्ट आदि के लिये हमारे यहां दूसरे कानून हैं जैसे टिनेन्सी एक्ट और लेन्ड रेवेन्यू व कोलोनाइजेशन एक्ट। अगर इन कानूनों के होते हुए भी अगर कोई यह कहे कि इतने कानूनों के बावजूद भी जागीर रिजम्प्शन एक्ट के बाद यह स्पेशल लॉ ही, उसको रेग्युलराइज करने के लिये, उपयुक्त है, तो मैं यह कहूंगा कि यह एक भ्रम है। लोगों के राइट्स को रेग्युलेराइज करने के लिये टिनेन्सी एक्ट और लैन्ड रेवेन्यू एक्ट है। अब यह कहा जाता है कि यदि स्पेशल लॉ लागू नहीं किया गया तो जिन लोगों ने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेन्टेशन से जमीनें दबा ली हैं, उन पर जनरल लॉ लागू नहीं होगा और स्पेशल लॉ लागू होगा। मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यह सब पर लागू होगा और जो भी कार्यवाही कानून की होती है, सब पर समान रूप से होनी चाहिये। लेकिन यहां पर जनरल लॉ और स्पेशल लॉ को लाना केवल एक ही नीयत रखता है और वह यह कि जागीरदारों के लिये अलग कानून हो और काश्तकारों के लिये अलग। मैं समझता हूं कि सरकार को अलग अलग कानून बनाने की क्या जरूरत है और यह अलग अलग कानून बनाने का जो दृष्टिकोण है, वह सिर्फ माननीय राजस्व मंत्री की एक सूझ है। मैंने अमेन्डमेंट पेश किया है उसमें सबसे पहले संशोधन यह है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट को पॉवर दे रहे हैं कि अगर कोई शिकायत आवे कि अमुक व्यक्ति ने फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेन्टेशन करके जमीन प्राप्त कर ली है तो गवर्नमेंट उसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी कराएगी। जिस प्रकार का संशोधन आया है उसमें यह इन्क्वायरी किसी भी ऑफिसर से कराई जा सकती है जिसको गवर्नमेंट इन्क्वायरी करने के आदेश दे। इसमें मेरा संशोधन यह है कि इसमें गवर्नमेंट ही तो पार्टी है और गवर्नमेंट ने ही जमीन अलॉट की है। चाहे वह अलॉटमेंट ऑफ लैन्ड उन लोगों को मिस रिप्रजेन्टेशन से हुआ हो या किसी प्रकार के फ्रॉड से हुआ हो, मगर गवर्नमेंट ने उनको जमीन अलॉट की है। जिस व्यक्ति ने दावा किया है वह दूसरी पार्टी है। अब देखना यह है कि न्याय किसको करना है। न्याय तो किसी तीसरी पार्टी से ही होना चाहिये ।

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार से नहीं करवाना होगा। सरकार तो कहेगी कि मिसरिप्रजेन्टेशन से यह जमीन अलॉट की गई है और दूसरे यही कहेंगे कि नहीं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह रेवेन्यू बोर्ड को कार्य दिया जावे और अगर कोई दरख्वास्त पेश करे और रेवेन्यू बोर्ड किसी अधिकारी को इसके लिये नियुक्त करना पसन्द करे और आदेश दे तो दे दे। वह अपनी जांच करके रेवेन्यू बोर्ड के सामने मामला पेश कर दे रेवेन्यू बोर्ड उसको सुनने का मौका देगा और उसको सुनने के बाद अपना फैसला करेगा और वह व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकेगा। मेरा संशोधन इस प्रकार का है कि अगर सौ वर्षों के बाद भी किसी को यह मालूम हो जावे कि किसी गलत आदमी ने किसी को धोका देकर जमीन ले ली है तो वह ऐसा कर सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : on apoint of infarmaltion, Sir मैंने भी फ्रॉड के लिये यही कहा है कि फ्रॉड के लिये कोई टाइम लिमिट नहीं है, that can be challenged even after 100 years. There is no time limit about it. चैलेंज किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : (जारी) मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि फ्रॉड और मिसरिप्रजेन्टेशन के जरिये अगर किसी ने जमीन पर अपना कब्जा किया हो तो उसके सम्बन्ध में १०० वर्ष बाद भी कार्यवाही की जा सकती है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं। जहां फ्रॉड और मिसरिप्रेजेन्टेशन के लिए नियम बने हुए हैं और ऑलरेडी कानून हैं मगर फिर भी इसके लिए स्पेशल लॉ में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि कार्य में रुकावट डालना होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण जागीरदार ही इसमें शामिल होंगे और बाकी के लोग शामिल नहीं हो सकते। मैं यह निवेदन कर रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसी स्थिति में यदि हमने रेवेन्यू बोर्ड के हाथ में यह निर्णय दिया तो जिन आदमियों की सरकार ने जमीन हथिया ली है, वे लोग भी रेवेन्यू बोर्ड में जा सकेंगे और सरकार के खिलाफ दावा पेश कर सकेंगे, और अपना न्याय हांसिल कर लेंगे और सरकार भी ऐसा करा सकती है। जन जागीरदारों ने गलत तरीके से जमीनें ले ली हैं, उनको दंड नहीं मिले, सजा नहीं मिले, यह उचित नहीं होगा। मगर उसके लिये भी कोई तरीका होता है कि जिन्होंने जमीन को गलत तरीके से हथियायी है, वह जमीन वापिस आनी चाहिये और वह तरीका यह है कि इसको रेवेन्यू बोर्ड के हाथ में दे दिया जावे, जहां से कोई भी व्यक्ति अपने मामले को न्यायपूर्वक निर्णय करा सके। इसके लिये हमको व्यवस्था करनी होगी। आज से तीन वर्ष पहले जागीर रिजम्पशन एक्ट पास हुआ, उस समय न मालूम हमने कितने जागीरदारों को जमीनें अलॉट करदी हैं। अब उनको ४ वर्ष पहले अलॉट की हुई हो और उन्होंने इन चार वर्षों में कई इम्प्रूवमेंट किये और उनको खातेदारी राइट्स मिल गये। आज इतने अर्से के बाद गवर्नमेंट यह चाहे कि उसके संबन्ध में किसी ऑफिसर से जांच करवा ले और उस पर अपना अधिकार करना चाहे तो वह अपना अधिकार प्राप्त कर सकती है।

१२. ४५. म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सरकार भी यही चाहती

(श्री भैरोंसिंह)

है कि ऐसे लोगों के पास जमीनें नहीं रहें और हम भी यही चाहते हैं, मगर प्रश्न यह है कि ऑर्डर कौन दे और इन्क्वायरी कौन करे ? मैं चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड ऑर्डर दे और इस मामले में सुप्रीम ऑथोरिटी रेवेन्यू बोर्ड ही हो, जहां रेवेन्यू बोर्ड में बाकायदा केस हो और वहां पर उसकी सुनवाई हो। मगर राजस्व मंत्री महोदय स्पेशल लॉ के जरिये ऐसा करना चाहते हैं और वह किसी भी अधिकारी को लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी अधिकारी के स्थान पर यह इन्क्वायरी रेवेन्यू बोर्ड में हो।

दूसरा मेरा संशोधन है कि किस अधिकारी द्वारा इसकी जांच हो, यह प्रश्न आता है। मैं यह चाहता हूँ कि किसी भी अधिकारी द्वारा इसकी जांच हो वह अधिकारी क्लेक्टर से नीचे की केपेसिटी का नहीं होना चाहिये। मैंने पहले भी कहा और आज भी यही कहता हूँ कि हमारे यहां कुछ अधिकारी ऐसे हैं, जिनके सामने यही समस्या रहती है कि बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री हैं, उनको किस प्रकार से खुश रखा जाए। यदि उनमें से किसी अधिकारी को किसी मामले की इन्क्वायरी करने को दी जाए, तो वह अधिकारी अपनी तरक्की के लोभ से, कन्फर्मेशन के लोभ से या अच्छी जगह स्थानान्तरण के लिये, मंत्रीजी को खुश रखने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह का नैतिक धरातल अधिकारियों का होना चाहिये, कुछ उसमें कमी अवश्य हुई है। जहां ऐसा हुआ तो वाजिब या गैरवाजिब, जिस तरह से सरकार रिपोर्ट चाहेगी, ले सकती है और उस पर कार्यवाही कर सकती है। मैं समझता हूं कि क्लेक्टर जैसा अधिकारी इसमें आए तो वह ज्यादा जिम्मेदार होगा, क्योंकि वह एक डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदार अधिकारी होता है और जितना प्रभाव दूसरे तहसीलदारों आदि पर हो सकता है, उतना क्लेक्टर पर नहीं होगा। यदि आज तहसीलदारों को राजस्व मंत्री यह कहें कि इसकी जांच करो, तो बहुत कम तहसीलदार ऐसे होंगे, जो राजस्व मंत्री को नाखुश करने की कोशिश करेंगे। वह मंत्री महोदय की भावना को जानने की कोशिश करेंगे और मंत्री महोदय की भावना को ध्यान में रखते हुए करेंगे, जायज और नाजायज का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, उसके सामने जायज और नाजायज की कोई बात नहीं होगी। उसके सामने यही बात रहेगी कि जिस तरह से राजस्व मंत्री खुश हों, उस तरह से वह अपनी रिपोर्ट दे। हमारे यहां पर इस तरह के कई इन्सटान्सेज़ हैं, जिसमें नायब तहसीलदार, एस. डी. ओ. आदि के पद पर काम कर रहे हैं और तहसीलदार और सीनियरमोस्ट व्यक्ति पीछे छोड़ दिये गये हैं। जहां इस प्रकार का वातावरण हो, प्रमोशन किसी भी आधार पर दिया जा सकता है। सरकारी अधिकारी कभी भी यह पसन्द नहीं करेंगे कि माननीय मंत्री या उच्च अधिकारी उनसे नाराज हो जाए, वे कभी उसको नाराज नहीं करेंगे। वह हर हालत में यही चाहेगा कि किसी तरह से उसके अधिकारी खुश रहें। मगर यह बात क्लेक्टर के ऊपर नहीं लागू होगी, क्योंकि राजस्थान में जितने भी कलेक्टर हैं, वे सब आई. ए. एस. की श्रेणी के अधिकारी होते हैं। और आई० ए० एस० की श्रेणी के होने के नाते आप लोग जितना प्रभाव डाल कर और आदेश देकर जो काम करवाने का प्रयत्न करेंगे, उसमें पर्सेन्टेज की मात्रा कम होगी। अगर कलेक्टर को मामला दे दिया जाय, तो

(श्री भैरोंसिंह)

अव्वल तो हमारे मन्त्रियों की सीधी हिम्मत उन पर असर डालने की नहीं होगी। हां, यह हो सकता है कि कुछ कलेक्टर जो उनकी मर्जी के हों, वह ऐसा करें, लेकिन न्याय की दृष्टि से आइ० ए० एस० ऑफिसर, जिनको किसी बात का डर नहीं होता है, अगर फैसला दें, तो ज्यादा से ज्यादा उनको इतना सा डर हो सकता है कि कलेक्टर से हट कर दूसरे धन्धे में लगा दें, एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर भेज दिये जायेंगे तो इतनी सी बात की पर्वाह वे नहीं कर सकते। इसलिए केवल कलेक्टर को ही रख कर यह काम सौंप दिया जाय, तो मन्त्री महोदय की मंशा पूरी न हो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए मैंने संशोधन मूव किया है कि "Substitute the words 'not below the rank of a Collector' for the words 'or authority'."

अब इसके बाद में मैंने एक अमेन्डमेन्ट और मूव किया है जिसके द्वारा मेरी मन्शा है "Add the following words at the end :—

"and the allottee is in possession of excess land then the minimum area prescribed under clause (a) of section 180 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955."

१-१ म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय को याद होगा, जिस समय कि हमारे माननीय राजस्व मन्त्री जी राजस्थान के काश्तकारी कानून को इस सदन में पाइलट कर रहे थे, उस समय एक प्रश्न आया था कि उन जागीरदारों को खातेदारी की जमीनें दी जांय; जिनके पास खातेदारी की जमीन बिल्कुल नहीं है और इसका प्रोविजन कानून की १८० धारा के अन्दर आया है। उस समय यहां चर्चा हो रही थी। हमारे राजस्व मन्त्री महोदय ने और कई माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया था कि यदि किसी काश्तकार के पास मिनिमम होल्डिंग से कम जमीन है और वह चाहे उस जमीन के ऊपर एक ही दिन का काबिज़ हो, चाहे एक फसल का ही काबिज़ हो, ऐसी सूरत में जागीरदार को जमीन नहीं दी जा सकती और उस जमीन से काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकता। इस भावना को इसलिए मंजूर किया था कि एक आदमी भूखा नहीं मर सकता। सदन ने इस भावना को स्वीकार किया, लेकिन आज वही प्रश्न जब जागीरदारों के प्रश्न को लेकर सामने आता है तो उसमें एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जाता है। मैं समझता हूँ कि यदि जागीरदारों ने कहीं फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेन्टेशन से या किसी और दूसरे जरिये से दो, चार, पांच बीघा जमीन ले ली है और उस सूरत में जब कि उसके पास खुदकाश्त के लिए भी जमीन नहीं रही है, तो कानून की मंशा नहीं रहती है कि जागीरदारों के सब साधन, जीविकोपार्जन, के छीन ले। जब कि सरकार ने मिनिमम होल्डिंग फिक्स कर दी है और यदि सरकार का यह आदेश किसी प्रकार हस्तक्षेप करता है, तो इसके दो मतलब होंगे, और वह यह कि एक तरफ तो जागीरदार भूखों मरेगा और दूसरा मतलब यह होगा कि राजस्थान की सरकार जो फ्रेगमेन्टेशन को रोकना चाहती है, वह इस परिस्थिति में राजस्थान में कई ऐसे अनइकानामिक होल्डिंग क्रियेट कर देगी, जिनको बाद में किसी न किसी समय इकॉनोमिक होल्डिंग करना होगा और अगर इकॉनोमिक होल्डिंग नहीं कर सकेगी तो उनकी

(श्री भैरोंसिंह)

कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी और कास्ट ग्राफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से हमारे सामने एक प्रोब्लम और आ जायेगी। इसके बाद में एक प्रश्न आता है और वह प्रश्न बहुत ही नजदीक का है। अभी अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई चोरी करे और उसको दण्ड नहीं मिले, इस प्रकार का कानून नहीं बन सकता। लेकिन यह प्रश्न तो तब आता है जब कि यह देखा जाये कि चोरी क्या है? चोरी किस ने की है? जमीन के ऊपर अधिकार प्राप्त करने की चोरी की है न कि चोरी उसको बेचने की की है और बेचकर उससे नाजायज फायदा उठा के की है। मैं समझता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, वह चोरी उसने केवल इसलिए की है क्योंकि उसका पेट खाली है उसके पास कोई जीवन-निर्वाह का साधन नहीं है। ऐसा करके राजस्थान सरकार उसके साधनों को छीन रही है जिनसे कि वह अपना और अपने कुटुम्ब का पालन कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति में गरीब जागीरदार ने चाहे छोटी सी जमीन को अपने कब्जे में कर लिया, तो सरकार कहती है कि उसने चोरी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूँ कि चोरी तो वह है जो लाखों रुपयों की की जाती है, लाखों रुपयों के जंगल पैसों में बेचे जाते हैं, चोरी तो यह है। आपको पकड़ना है तो उनको पकड़िये। मैं समझता हूं कि यह चोरी का प्रश्न नहीं है, पेट का प्रश्न है। यदि किसी आदमी का पेट खाली है और उसने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर खेती करता है और खेती करके अपने बाल बच्चों का भरण-पोषण करता है तो सरकार कहती है कि उसने चोरी की है। राजस्व मन्त्री महोदय यहां चोरी की बात करना चाहें, तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर राजस्थान सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने जिस प्रकार से जमीनों के ऊपर आर्बीट्रेरीली कब्जा किया है, उसके लिए राजस्थान सरकार की हिम्मत नहीं होती है कि उन जमीनों को वापिस ले लिया जाये। राजस्व मन्त्री जी कहते हैं कि कानून है-- टिनेन्सी एक्ट, और अलॉटमेन्ट के रूल्स हैं, कोलोनाइजेशन में अलॉटमेन्ट के रूल्स है, तो वे बतायें कि जयपुर में दस मील के एरिया में जहां को-ऑपरेटिव के नाम से लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया है, गलत रेकार्ड बनवाये हैं और आपके जितने भी तकावी के इन्स्टालमेन्ट्स होते हैं, वे भी नहीं चुकाये हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है क्योंकि सरकार उनसे डरती है। वहां इसलिये डरती है कि वह नेता लोग हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके खिलाफ कदम कोई नहीं उठा सकते। अगर माननीय राजस्व मन्त्री चाहें तो मैं उनको आंकड़े बता सकता हूँ, उन इन्स्टालमेन्ट के, जो कि उन्होंने चुकाये नहीं हैं और उनके नाम पर बाकी हैं। मैं आपको एक बात और बताऊं कि एक ही मकान की सिक्योरिटी के ऊपर तीन चार महकमों से पन्द्रह हजार का लोन भी ले रखा है, उनके खिलाफ आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। उनके लिए अलॉटमेन्ट के रूल्स लागू नहीं होते हैं। हां, वे तो उनके ऊपर लागू होंगे, जो जागीरदार हैं, जिन्होंने धोखा दिया है। उन्होंने धोखा भी पेट के लिए दिया है। उसके लिए तो हमारे राजस्व मन्त्री को भी चिन्ता है और राजस्थान सरकार को भी चिन्ता है। मैं आपको बताऊं कि आज जिन लोगों ने इस प्रकार कब्जा कर लिया है, उनसे आप बिल्कुल नहीं छुड़ा सकते। कोटा के अन्दर

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

एक को-आपरेटिव फार्म बना हुआ है। नाथद्वारा का प्रसिद्ध मन्दिर है वहां एक जमींन है करीब ४६७ बीघा। उसके ऊपर एक कोआपरेटिव फार्म बनाया गया और को-ऑपरेटिव फार्म बनाकर एक ट्रेक्टर के लिए तकावी ली गई। उस ट्रेक्टर के लिए किसी दूसरे फॉर्म का बिल दिखा दिया और ट्रेक्टर नहीं लिया। तो सरकार का कोई कर्त्तव्य नहीं कि उनके खिलाफ कार्यवाही करें? जो रुपया मिला था उसको हजम कर गये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि इस फार्म के तीन टुकड़े हो गए। इसमें एक तो वे थे, जो यहीं आज उपस्थित नहीं हैं और दूसरे एक बहुत बड़े किसान नेता के जवाई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर! ऑर्डर!! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि अपने वक्तव्य में ऐसे सम्वाद और ऐसी स्टोरीज़ पेश न करें जिसको कोई डिफेन्ड नहीं कर सकता है और माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं वह उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: मैंने नाम किसी का नहीं लिया है। यह बात जरूर है कि लोग समझते जा रहे हैं, जिनका कि नाम लेने की मेरी मन्शा है।

श्री मूलचन्द डागा: उसकी हाउस के सामने शकल बन गई है।

श्री भैरोंसिंह: मुझे हाउस की इन्टेलीजेन्स पर बड़ा गर्व है कि केवल सुनने मात्र से (हाउस) समझता है।

श्री उपाध्यक्ष: गर्व तो होना ही चाहिए, The House is always intelligent.

श्री भैरोंसिंह: तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो माननीय सदस्य बढ़ बढ़ कर चोरी का जिक्र करते थे, वह भी ऐसे लोगों के साठ कठोरता का बर्ताव करें और उसे कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश करें। मैंने जो बातें रखी हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि नाम लेकर, जिन्होंने गड़बड़ियां की हैं, उन सारी चीजों को विस्तार पूर्वक रखूं। मैं सारी चीजें लाया था और केवल इसलिये लाया था कि राजस्व मन्त्री यह कहते हैं कि चोरी करने वाले को मैं दंड देना चाहता हूँ। मैं भी उनसे यही चाहता हूँ कि चोरी करने वालों में आप भेदभाव नहीं करें। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। मैं इस प्रकार की लिस्ट पढ़कर सुनाऊंगा तो उपाध्यक्ष महोदय, आप फिर मुझे वही आदेश देंगे, और आपकी तरफ से आपत्ति होगी कि जो लोग यहां नहीं हैं उनके नाम न लिये जांय। लिस्ट बड़ी है, वह लिस्ट मैं राजस्व मन्त्रीजी को जरूर देऊंगा और उनसे चाहूँगा कि जिस जमींन पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है, उनके बारे में कम से कम इन्क्वायरी तो करवायें, राजस्थान सेक्रेटेरियट में बैठकर काश्तकारों के लिये कानून बनायें और रिपोर्ट में नाम लिखा दें कि काश्त कर रहे हैं।

इसके अलावा तीसरा जो संशोधन पेश किया गया, जिसकी मन्शा यह है कि किसी व्यक्ति ने फ्रॉड के जरिये या मिस रिप्रजेन्टेशन के जरिये जमीन पर कब्जा कर लिया है, उससे सारी जमीन ले ली जाय, उसके पास कम से कम इतनी जमीन अवश्य छोड़ी जाय, जिससे उसका भरण पोषण हो सके। वह जमीन, टिनेन्सी एक्ट की धारा १८० के भाग (ए) में दिया है, उतनी जमीन होनी चाहिये। आशा है राजस्व मन्त्री इस प्रकार के संशोधन को अवश्य स्वीकार करेंगे, इसमें उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन तो मूव कर दिया है, उसके अलावा दो और बाकी रहते हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको भी मूव कर दूं। एक संशोधन १६ बी में दिया था :"Delete the words, "or upon facts otherwise coming to its knowledge,' occurring in the fifth line of the new section 19-B sought to be inserted " दूसरा पार्ट (II) में मैंने प्रोवीजो जोड़ने के लिए रखा है :

"Provided that, before cancelling such allotment, the State Government shall send a copy of the report of the enquiry officer to the allottee and hear all such objections to the same as may be made by him."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने " or upon the facts otherwise coming to its knowledge " डिलीट करने के लिए लिखा है। सरकार के पास बहुत से साधन हैं, सरकार के पास पटवारी हैं और भी अधिकारी हैं, उससे उनके पास तो इन्फोर्मेशन आती रहेगी। इसमें इस प्रकार का प्रोविजन है कि रिपोर्ट लिखकर देने पर कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिये मेरा निवेदन है कि यह जहां केवल नॉलेज में लिखा है उससे तो ऐसा होगा चलते ही किसी ने कह दिया कि यह फर्जी जमीन ले रखी या नेता लोग आकर कह देंगे तो वह जमीन दूसरों की मान ली जायगी। राजस्व मन्त्री को फुर्सत तक नहीं मिलेगी इसके लिये प्रोवीजो में लिख दिया है कलेक्टर तहसीलदार पटवारी जब आपके पास मौजूद हैं उनका लिखा हुआ हो तभी कार्यवाही की जाय। ओन दी नॉलेज इसको काट दिया जाय।

एक प्रोवीजो जोड़ने के लिये लिखा है : "Provided that, before cancelling such allotment, the State Government shall send a copy of the report of the enquiry officer to the allottee and hear all such objections to the same as may be made by him." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब जमीन का कॉसीलियेशन किया जाता है तो उसको सुनने का मौका दिया जाना चाहिये। जिसकी जमीन छीनी जाती है उसको जरूर मौका दिया जाना चाहिये। मैंने जो अमेंडमेंट रखे हैं वे माननीय मंत्री स्वीकार करेंगे क्योंकि वे ब्रॉड माइन्डेड हैं इसलिए इसको तो स्वीकार कर ही लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखे हैं उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह पहले ही कह दूं कि जो चीजें फ्रॉड या मिस-रिप्रेजेन्टेशन से जिसने ले ली है उसको सपोर्ट करने के लिये मैं खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं इस चीज को जरूर सपोर्ट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे यहां जुडिशियरी भी एक प्रोसेस है। जहां पर एक्युज्ड और डिफेण्डेण्ट दोनों खड़े होते हैं, दोनों पार्टीज जहां रहती हैं उसके लिये एक तीसरा ही आदमी जज का काम करता है। यह एक बेअर आउट लाइन प्रोसेस है इस प्रोसेस को मैं चाहता हूं कि यहां पर भी लागू किया जाय। क्योंकि फ्राड और मिस-रिप्रेजेन्टेशन करने में जहां तक मैं जानता हूं बहुत से जागीरदारों को आपके आफिसरों ने मदद दी है इसमें आप भी डिनाई नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण है। वहां पर एक जागीरदार है जिनकी जागीरी अलवर के अन्दर है उनके फ्रॉड और मिस-

Page No.50

(श्री श्रीभानसिंह)

रिप्रेजेन्टेशन करने में उनके भाई तहसीलदार ने उनको हेल्प की और उनको डाइरेक्ट रेवेन्यू सेक्रेटरी ने लैंड अलाट की है। आफिशियल एजेंसी कन्नाइव करती है जागीरदारों के साथ में। मैं चाहता हूं कि उनको भी पनिशमेंट होना चाहिये क्योंकि वे ही हायर आथीरिटीज के सामने लाते हैं। नीचे ऊपर तक इन्हीं का हाथ रहता है तो ऐसी हालत में कौन जज हो जहां गवर्नमेंट खुद यह आर्डर करती है कि इस आदमी को लैण्ड अलॉट करदी जाय उसके रेकार्ड नीचे से बनकर आपके पास आते हैं और उन्हीं के बेसिस पर आप जमीन अलाट करते हैं। इसके बाद दूसरे आफीसर जब उनकी जगह आ जाते हैं तो वे कहते हैं इन आफीसरों ने उस जागीरदार को मिस रिप्रेजेण्टेशन के आधार पर जमीन दिलवा दी। जब आपने जमीन अलॉट करदी और आप ही उसको केन्सिल करने वाले हो यह राइट आपको नहीं होना चाहिये। मैं सरकार की इन्टीग्रिटी और ऑनेस्टी को चैलेंज नहीं करता। आप भी अलाटमेंट में एक पार्टी हैं और वह जागीरदार भी एक पार्टी है, वैसी हालत में डिसीजन किसके हाथ में हो? मेरा इसके लिये निवेदन है कि इसके लिये एक ट्रिब्यूनल होना चाहिये। जो दोनों तरफ के एवीडेन्सेज हैं उनको सुन करके अपना फैसला दे सके। जहां अलॉटमेंट करने वाली पार्टी भी इसमें शामिल हो और उसी के हाथ में फैसला दे दें यह उचित नहीं है। जो फैसला ऊपर बताये हुए तरीके से होगा तो उसको हम रेसपेक्ट करेंगे। जो पार्टी है यदि उसी को जज बना दिया जाय तो न्याय नहीं मिल सकेगा। हम कानून जो बनाते हैं आखिरी दर्जे तक जो कोई भी मानेगा चाहे वह चोर हो या डकैत हो सब के अधिकार सुरक्षित रहें। जब आपके सिग्नेचर से लैंड अलाट हुई आप भी पार्टी थे फिर आपको डिसीजन का अधिकार देना और रेवेन्यू बोर्ड में उसे भेजने में आपको क्या हिचक हो सकती है। यह आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड ओवर बर्डन्ड है तो आपको थर्ड एजेंसी ढूंढनी चाहिये तभी आप कह सकते हैं कि उस आदमी के साथ में जस्टिस किया गया है। और जस्टिस तभी होगी जबकि थर्ड पर्सन ही इसका फैसला करे। विदिन टाइम लिमिट में भी अमेंडमेंट लाया गया है यह तो हो नहीं सकता कि एक दो केसेज ही हों जिसके लिये यह अमेंडमेंट लाया गया यह तो हो नहीं सकता। आपके सामने काफी केसेज आये होंगे तभी आप इस प्रकार का अमेंडमेंट लाये हैं, मेग्जीमम केसेज आपके सामने होंगे। इसलिये कोई पीरियड की लिमिटेशन होनी चाहिये आखिर उस आदमी को जिसकी प्रोसीडिंग सेटल करना चाहते हैं, कभी तो उसका अन्त होना चाहिये। मान लीजिये किसी आदमी को किसी रेवेन्यू मिनिस्टर के समय में जमीन अलॉट कर दी गई और अब यदि दूसरा रेवेन्यु मिनिस्टर आ जाये और उसको वे आदमी पसन्द न हों तो वह उन केसेज को ओपन कर देगा। इस तरह से यह साइकिल चलती रहेगी।

एक आदमी ने कभी कुछ काम किया, या तो जल्दी से सैटिल कीजिये या फिर छोड़िये। इसलिये माननीय सदस्य ने ६ महीने की बात कही, इतने अर्से में ऐसे कोई केस होंगे तो नॉलेज में आ गये होंगे। रिज़म्प्शन स्टार्ट किया आपने १९५२ में, अब अगर ५८ तक भी ऐसे केसेज़ आपकी नजर में नहीं आये तो मैं नहीं समझ सकता कि जागीर रिज़म्प्शन सफलतापूर्वक हम १९६० तक भी कर सकेंगे या नहीं?

(श्री श्रीमानसिंह)

दूसरे माननीय सदस्य ने यह बात रक्खी कि मिनिमम एरिया प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिये। मैं इसका इतने जोरों से, जितने जोरों से और जिन शब्दों में उन्होंने सपोर्ट किया, सपोर्ट नहीं कर सकता, पर यह बात उनकी ठीक है। एक आदमी ने फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेन्टेशन किया, इसके लिये आप उस करने वाले को डिजेक्ट कर दीजिये, पर उसके लिये भी बेसिक यूनिट तो प्रेस्क्राइब करिये कि इतना तो उसके निर्वाह के लिये उसके पास रहना जरूरी है। यह बेसिक आपका खुद का माना हुआ है। आपने उसका जिन सिद्धान्तों और जिस इन्टेंशन से खुदकाश्त का राइट माना है और जिस बेसिस पर आप मामलों को डिस्पोज ऑफ करते हैं आखिर उनका तो आपको ख्याल रखना ही होगा। आखिर वह भी इन्सान है। उसका भी क्लेम है जो आपने औरों का माना है। अधिक जमीन अगर मिसरिप्रजेन्ट करके उसने ले ली है, तो वह ले लीजिये, पर मिनिमम तो प्रेस्क्राइब कीजिये, जो उसके भरण-पोषण के लिये उसके पास रहनी चाहिये। जिस सिद्धान्त और प्रिन्सिपल से आपने खुदकाश्त जमीन दी वही अब भी यहां आता है। आखिर उसने गलती की और वह गलती आपके सरकारी ऑफीसरों को कन्नाइवेन्स से की। आपकी ऑथोरिटी से, आपके आर्डर से वह उसको मिली है। तो आप यह मामला थर्ड एजेन्सी को भी नहीं छोड़ना चाहते, उसको मिनिमम जमीन भी नहीं छोड़ना चाहते, ताकि जिससे वह अपने परिवार को मेन्टेन कर सके। जो अनऑथोराइज्ड ऑक्युपाई करते हैं एक मिनिमम एरिया तो उसको भी आप छोड़ते हैं तो यह भी जो है...

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no such provision in the Tenancy Act.

श्री श्रीमानसिंह : It is somewhat like this.

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑथोराइज्ड पजेशन करते हैं तो It is not like that.

श्री श्रीमानसिंह : I think there is. Well, I do not have the book with me. तो इस तरह का प्रोवीजन रक्खा है तो इसमें क्या है? किस तरह का जस्टिस करना चाहते हैं आप? थर्ड पर्सन डिसीजन दे, यह हो। आप की कन्नाइवेन्स से मिसरिप्रे-जेन्टेशन सक्सैस होता है, फ्रॉड सक्सैस होता है, तो दोषी आप भी हैं और वह भी है। अब आप यह चाहते हैं कि उसका फैसला भी आप करें। फिर यह भी जस्टिस है कि जो पीनेस करे, उस आदमी को आप खुद ही पीनेन्स करायें? फिर जस्टिस भी यह कहां कहती है कि आप उसके घर के बच्चों को भूखों मारें? रिपरक्सन मेरे पर होना चाहिये, पर मेरी फेमिली पर या जागीर-दार की फेमिली पर रिपरक्सन हो, यह कहां की जस्टिस है? मिसरिप्रेजेन्टेशन करने में कन्नाइवेन्स जिन्होंने किया, वही फैसला दें, यह कैसे हो सकता है? आप समाजवादी ढांचे की तरफ बढ़ने की बात करते हैं, तो इस हिसाब से उसकी फेमिली को सपोर्ट करने की रेस्पोन्सिबिलिटी स्टेट को लेनी पड़ेगी और जब आप उनके इकॉनामिक वेलफेयर की रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं लेते और उसको डिप्राइव कर दिया और एम्प्लायमेन्ट का अन्य कोई जरिया उनके लिये रहा नहीं, तो उनकी सारी फेमिली आखिर रहे कहां, करे क्या? या तो वे वेगाबान्ड्स बनेंगे या चोर-डाकू बनेंगे और तब भी वे स्टेट की ही लाइबिलिटी रहेंगे। कसूर करने वाले को स्टेट पीनीन्स करायें, पर फेमिली को सजा उसकी न दे। तो इस दृष्टि से माननीय सदस्य ने जो यह संशोधन रक्खा

(श्री श्रीमानसिंह)

है कि मिनिमम एरिया छोड़िये, यह रीज़नेबल अमेन्डमेन्ट है। इसके लिए आप यह भी नहीं कह सकते कि यह जागीरदारी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, फिर आप जो चाहते हैं वही यह अमेन्डमेन्ट चाहता है, । आप समाजवाद की ओर जाना चाहते हैं, हरएक के लिये एक मिनिमम एरिया देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उसके फेट का डिसीजन लेना उस आदमी पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, जिसने सैंक्शन दी है, जिन्होंने कन्वाइन्स किया है। एजेन्सी रहे, पर वह इम्पार्शियेल हो, इन्डिपेन्डेन्ट हो, जुडिसियरी लेवल पर उसका फैसला हो और वह है रेवेन्यु बोर्ड।

तो इन अमेन्डमेन्ट्स को रीज़नेबल समझकर मैं निवेदन करूंगा कि आप इन पर सोचें और देखें कि इनको किस सीमा तक अकॉमोडेट किया जा सकता है। यह न करें कि आप इनको ब्रुश एसॉइड करके ब्रुश एसॉइड करने में जस्टिस और रीजन्स को इग्नोर करना पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि मैं इस सम्बन्ध में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि उसके बाद बहस काफी हद तक कम हो जाय। कुछ संशोधन इसमें ऐसे हैं जिनको मैं मन्जूर कर लूंगा और इस तरह से मेरे ख्याल से उन पर की जाने वाली बहस कम हो जावेगी।

दो अमेन्डमेन्ट्स, जो बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पेश किये हैं, उनमें एक है टाइम लिमिट के लिये। इसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट माननीय उणियारा से आने वाले सदस्य का भी है और श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य का भी है। टाइम लिमिट होना चाहिये, इसको मैं स्वीकार करता हूं कि इतने अर्से में एक्शन लिया जा सकता है। इसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि जो लैंग्वेज इन अमेन्डमेन्ट्स में है, उसमें थोड़ा परिवर्तन मैं करूंगा। बाकी, प्रिन्सिपल से मैं सहमत हूँ और उसे स्वीकार करता हूं। इसके लिये ६ महीने की मियाद देने की बात भी मैं स्वीकार करता हूं। पर इसमें लैंग्वेज का फर्क है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से एक इस तरह का अमेन्डमेन्ट पेश करता हूँ, जो इसके सपोर्ट में है, उसमें सिर्फ लैंग्वेज का अन्तर है। वह इस प्रकार होगा:

"In the proposed section 29-B, add the following words. 'Or upon the facts otherwise coming to its knowledge, within six months from the date of commencement of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagirs (Eighth Amendent) Bill, 1958, or the date of such allotment, whichever may be later' इस तरह से इस बिल के एन्फोर्स में आने के बाद ६ महीने के अन्दर एक्शन लिया जा सकेगा, इसके बाद एक्शन नहीं होगा। इस तरह अनसर्टेन्टी का पीरियड खतम हो जावेगा।

सेकिन्ड अमेन्डमेंट है, जो बाडमेर से आने वाले माननीय सदस्य श्री तनसिंहजी का है। वह यह है कि "Insert the comma and words 'after hearing the person complained against,' after the words 'to its know-may'

मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ। उसको अपोर्चुनिटी दी जावेगी और इसके बाद ही प्रासीक्यूशन किया जावेगा, उसके पहले नहीं। इसलिये इस अमेन्डमेन्ट को भी मैं मन्जूर करूंगा।

थर्ड अमेन्डमेन्ट शायद कॉमन है जो यह है:

(श्री दामोदरलाल व्यास)

"Or authority not below the rank of a Collector"

मैं इसके प्रिन्सिपल को भी स्वीकार करूंगा। इन्क्वायरी करने वाला not below the rank of Collector रहेगा।

तो इन तीन संशोधनों को तो मैं स्वीकार करता हूँ और बाकी पर अगर माननीय सदस्य चाहें तो बहस कर सकते हैं।

श्री मदनसिंह : On a point of clarification, Sir, कितने आदमी ऐसे हैं जिनके लिये कानून बनाया जा रहा है? कितने हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : सेंसर नहीं किया है मैंने। एक बीघा जो पाने का हकदार नहीं था वह १५० और २०० बीघा तक ले गया है, यह एक केस तो सामने आया है।

श्री उपाध्यक्ष : No questions, please

श्री मदनसिंह : Only certain clarifications.

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not allow any questions.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, मैंने जो संशोधन रखे हैं, उन संशोधन के बाबत राजस्व मन्त्री ने जो बातें बतलाई हैं वे बातें कुछ ठीक हैं और कुछ के बाबत मैं कहना चाहता हूं। संशोधनों के बाबत में मैं इन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य महोदय ने कहा कि टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत अगर १८३ की धारा और राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु की धारा ९१ को देखें, काश्तकारों के बाबत में जो आपने बातें कहीं मैं यह समझता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट यानी काश्तकारी कानून बिल्कुल साफ है। सवाल यह है कि किसी की शिकायत करने की ताकत है और उसकी पैरवी करने वाला है, तो धारा १८३ द्वारा ट्रेस पासर्स के लिए क्या होने वाला है। अगर कोई शख्स १८३ दफा के अन्तर्गत तहसीलदार का ध्यान इस ओर आकर्षित करे कि एक पर्टीक्युलर आदमी ने ट्रेसपास किया है तो उस हालत में सजा पा सकता है और जमीन छुड़ाई जा सकती है। उसके अलावा राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ बिल्कुल साफ है। तो यहां पर यह सवाल था कि जागीरदारों को सैक्शन १६ के अन्तर्गत जो जमीन दी गई है, उन्होंने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेन्टेशन से ज्यादा जमीन को हासिल कर लिया है, तो इस सम्बन्ध में लॉ ऑफ एस्चीटस् की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो राजस्व मन्त्री जी के विभाग की ओर से निकाला हुआ है। उसमें यह है कि कोई व्यक्ति कई वर्षों के बाद भी यह कहे कि एक पर्टीक्युलर आदमी ने नाजायज तौर पर किसी जायदाद को दबा लिया है और आप ६ महीने के नोटिस की मियाद नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि इतना समय कम होगा कि कोई आदमी आकर कहे कि इतनी जमीन खुदकाश्त के नाम ली है। जब कि खुदकाश्त का सेक्शन १६ बिल्कुल साफ है। आपने जमीन दी और उन शर्तों के आधार पर दी है, लेकिन अब १६ ए. और बी. में आप यह कहना चाहते हैं कि फ्रॉड और मिसरिप्रजेन्टेशन। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे यह साबित करना होगा, जिसने शिकायत की है और उस शिकायत पर जांच हुई कि वाकई में फ्रॉड हुआ है, यह उसको साबित करना पड़ेगा। तो पहले तो फ्रॉड को साबित करना एक बहुत मुश्किल चीज है। यह

(श्री मूलचन्द डागा)

उसको बतलाना होगा कि दरअसल में उसका मेलाफाइड इन्टेन्शन था, उसका गिल्टी कान्शस था। अब यहां पर फ्रॉड और मिसरिप्रजेन्टेशन को समझा जा रहा है कि एक मामूली बात है, जिसके आधार पर बिल्कुल सही चीज हो और साबित हो जाता है तब तो सवाल अलग रहा। लेकिन जो शब्द "कम्पलेन्ट" आपने रखा है तो शायद रेवेन्यु डिपार्टमेंट यह सोचता होगा कि "कम्पलेन्ट" के कारण क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मातहत जांच होगी, या ओन एन इनफॉर्मेशन ही कम्प्लेन्ट का मतलब है? तो कम्प्लेन्ट के लिए क्या दिया है, यह मालूम नहीं। कम्प्लेन्ट पेश की अगर आपने और उसकी जांच हुई तो उसको आगे हक नहीं है कि आगे एपीलेट कोर्ट में जाय, आगे उसके लिए फर्स्ट अपील नहीं होगी, या उसके रिवीजन के पावर्स नहीं है। अगर उसकी जगह 'अपौन एन इनफारमेशन' होता तो बात अलग थी, लेकिन आपने वर्ड लगाया "कम्प्लेन्ट"। मैं समझता हूं कि 'कम्प्लेन्ट" से बर्डन बहुत हैवी प्रोसीक्यूशन पर लाई करेगा जो यह साबित करें कि फ्रॉड या मिसरिप्रेजेन्टेशन हुआ है। उस किताब के अन्दर आपने लिखा है .

"Cancel such allotment, if it is found to have been secured by means of fraud or misrepesentation on the part of the allottee"

मुझसे पूर्व सदस्यों ने कहा और मैं भी कहता हूँ कि फ्रॉड को साबित करना बहुत मुश्किल बात है। अगर किसी ने फ्रॉड नहीं किया है और तहसीलदार की मिलावट या सबोर्डीनेट ऑफीसर की मिलावट से जमीन हासिल कर ली है, तो यह फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड से मतलब है बोनाफाइड, जानते हुए ऐसा कदम उठाया है। लेकिन वह कह सकता है कि मैंने सरकार को धोखा नहीं दिया है, I was not guilty; मुझे ऐसा ही मालूम हुआ और मैंने दरख्वास्त की थी तो मुझे जमीन अलॉट हो गई, और जमीन पा ली है। जो वर्ड यूज कर रहे हैं तो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेन्टेशन का तो उसके अन्दर बहुत बड़ा स्कोप है, it will not amount to fraud. और वहां पर आप शब्द लगा रहे हैं कम्प्लेन्ट। तो कम्प्लेन्ट इनफॉर्मेशन नहीं है, तो कलेक्टर को जांच करने का अधिकार क्या होता है? कम्प्लेन्ट का मतलब साफ होता है कि जांच करे क्रिमिनल कोर्ट की गलती हुई। जब आपने लिखा है कि दफा ४१ मे आपने रेस्टोरेशन के पॉवर दिये हैं। धारा ४४७ और ४४८ ऑफ क्रिमिनिल प्रोसीजर कोड में कई मामलों पर जमीनें रेस्टोर की जाती हैं और ४४७ और ४१ के अन्दर यह पॉवर दिये हैं और फिर यहां पर एड करते हैं कि उसको वापस रेस्टोर करने के अधिकार दिये जायं तो कम्प्लेन्ट करने की बात का क्या सवाल पैदा होता है, कम्प्लेन्ट मानते हैं अगर, तो फ्रॉड को साबित करना मुश्किल है। इनफॉर्मेशन देदें तो ठीक है। It will not amount to fraud. उसका साबित करना मुश्किल है।

आपने कहा कि ६ महीने दिया करें। तो मेरा कहना यह है कि इस मामले में अगर कोई खुदकाश्त की जमीन जिसने हड़प ली है ज्यादा, उसको ६ महीने from the date of knowledge निकले या कानून निकला या प्रकाशित हुआ तब से। राजस्थान में पढ़ी-लिखी जनता ज्यादा नहीं है। उन्हें मालूम नहीं हो सकता है कि यह मियाद में काम कर रहे हैं। अगर ६ महीने करते हैं

(श्री मूलचन्द डागा)

तो आप लॉ ऑफ एस्चीट्स को बदल दें। वहां पर यह दिया गया है कि जब कभी मालूम हो, नॉलेज हो, चाहे वह ५० साल के बाद भी आकर कहे कि उसने जायदाद को गलत तरीके से हासिल कर लिया है तो उसकी इन्क्वायरी करते हैं और उसके बाद में कार्य-वाही होती है। आप एक बात तो यह कहते हैं कि ६ महीने हों और दूसरी बात यह कहते हैं कि कलेक्टर की रैंक का आदमी एन्क्वायरी करेगा, तो दोनों बातें अच्छी नहीं। जिन्होंने यह संशोधन किया है कलेक्टर को इन्क्वायरी करने दें उन्हें यह मालूम नहीं है कि कलेक्टर को टाइम नहीं मिलता है और इसलिए जो इन्क्वायरी होती है वह इतने गलत तरीके से होती है कि उससे अच्छी एक सबोर्डिनेट आफीसर कर सकता है, क्योंकि उसके पास काम नहीं होता है। क्योंकि इन्क्वायरी कर रहे हैं तो यह संशोधन माना गया समझा जायगा और शिकायत के बाद जांच की जायगी। तो मैं अर्ज करूंगा कि बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसके बाद क्या होगा कि जांच होगी, उसके बाद सुनवाई होगी, उसके बाद गवाही ली जायगी, आपकी शहादत ली जायगी, तो उसके बाद कार्यवाही हो जायगी। तो क्या आप समझते हैं कि कलेक्टर की रैंक का आदमी आपने जो कुछ रखा है वह ठीक है? क्या कलेक्टर को इतना समय है कि राजस्थान गवर्नमेन्ट का कलेक्टर इस मामले में इन्क्वा-यरी करेगा, और वह भी कौन सी इन्क्वायरी? फ्रॉड और मिसरिप्रेजेन्टेशन की। जिसके अन्दर वह किसी भी हालत में बिना एवीडेन्स के साबित नहीं हो सकती। आप डाक्युमेन्ट्स प्रोड्यूस कर दें तो मालूम नहीं होता है, क्योंकि फ्रॉड के लिए जितने भी एवीडेन्स पेश करने होंगे तो एवीडेन्स में काफी समय चाहियेगा। जब फ्रॉड साबित हो जायगा, फ्राड यों ही साबित हो जायगा क्या? फ्रॉड के लिए काफी समय चाहिए। जिस आदमी ने शिकायत की है या जिस नॉलेज से आपको मालूम हुआ है वह शब्द किसने पढ़ कर रखा है।

मैं समझता हूँ कि इसके अन्दर आप संशोधन ला रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यु का। अब एक सवाल आता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यु की जांच का। इसके लिए आपने लिखा है कि शिकायत करने वाला वहां करे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में कोई दरख्वास्त नहीं दी जाती है। पहले पहल आपने यह संशोधन किया है और अब आप यह कर रहे हैं upon a complaint in writing made in that behalf or upon the facts otherwise coming to its knowledge; तो मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया कि 'कम्प्लेन्ट' नहीं हो सकती। यह वर्ड हमें यहां से हटाना होगा और कम्प्लेन्ट जहां पर नहीं कर सकें, वहां इसका मतलब इनफॉर्मेशन होगा that information must be in writing. अब आप स्टेट गवर्नमेंट की जगह रेवेन्यु बोर्ड चाहते हैं, तो रेवेन्यु बोर्ड जिसको कि अपील सुनने का पॉवर्स हैं, जिसको कि रिवीजन करने की पॉवर्स हैं, सेकिन्ड अपील की पॉवर्स हैं, उसके पास लिखित दरख्वास्त होने का प्रोवीजन करना चाहते हैं कि उसको कम्प्लेन्ट उसके पास होनी चाहिए, इसमें यह है : "the State Government, upon a complaint in writing made in that behalf or upon the facts other-wise coming to its knowledge, may order that the matter of the allot-ment of any land specified in sub-section (i) of section 19 may be exa-

Page No.56

(श्री मूलचन्द डागा)

mined by such officer..................

तो फिर आपको मालूम होगा कि इम्मीनुएशन के अन्दर आपके एक ऑफीसर ने इन्क्वायरी की कि यह फ्रॉड से हो गया, तो फिर आगे कहां सुनाना चाहते हैं यह । उसके बाद उसकी इन्क्वायरी फाइनल है । इस इन्क्वायरी को रिविजन के मामले में नहीं ले जाना चाहते हैं । जिस आदमी ने ऑर्डर दिया कि इन्क्वायरी की जाय और इन्क्वायरी के बाद अच्छी तरह मालूम हो जाय कि इसमें कोई तथ्य नहीं है तो उस अलॉटमेंट को बिल्कुल खत्म कर दिया :

"Cancel such allotment if it is found to have been secured by means of fraud or misrepresentation on the part of allottee.' इन दोनों अमेंडमेंट्स से आप रेवेन्यु बोर्ड को देना चाहते हैं पॉवर्स, तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक नहीं है । 'कम्प्लेन्ट' शब्द की जगह 'इन्फॉर्मेशन' शब्द लिखा है । यह लिखा ......"upon an information"... अभी आपने यह कहा कि फ्रॉड किया हो लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह साबित करने के लिये कौन आयगा कि यह फ्रॉड है ? आगे आपने इन्फार्मेशन के लिये कहा है, लेकिन इन्फार्मेशन आपके पास कौन से तरीके से आयगी ? आपके पटवारी या हवलदार इन्फार्मेशन देते हैं या लिखित में दरख्वास्त आती है ? लेकिन गवर्नमेंट ने यह सर्कुलर निकाला है कि गुम नाम की दरख्वास्त पर कोई इन्क्वायरी नहीं की जायगी । यदि एरचीट एक्ट के अंतर्गत भी कोई गुमनाम की दरख्वास्त पेश करे तो उस पर कोई 'कार्यवाही नहीं की जाय और उसे फायल किया जाय ऐसा गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, तो फिर आपने कैसे लिख दिया कि upon the information । फिर इसको साबित कौन करेगा ? ये सारी बातें १६ ए में लोगों को खुश करने के लिये आपने रख दीं । और फिर कहते हैं कि जिन जागीरदारों ने राइट एक्वायर कर लिये, तो इन सब बातों से सारा पर्पज ही फ्रस्ट्रेट हो गया । गवर्नमेन्ट यह चाहती नहीं है कि जागीरदारों से जमीन ली जाय, सारी इन्क्वायरी होनी चाहिये । आपने बिना मतलब फ्रॉड और मिस-रिप्रजेन्टेशन शब्द रख दिये । इनको कोई साबित नहीं कर सकेगा । गवर्नमेंट के दफा ४२० के आर्डर में भी केसेज होते हैं लेकिन कोई भी साबित नहीं होता है और १६ ए, पास करके आपने यह किया है कि जमीन वापिस ले ली जायगी, विदिन ६ महीनों में । रेवेन्यु मिनिस्टर साहब भी एग्री करते हैं कि हां साहब ६ महीनों में वापिस ले ली जायगी । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ६ महीनों में न तो किसी को पता चलेगा और न आपके पास पहुंच कर कहेगा कि फलां आदमी ने जमीन दबा ली । फिर आप क्यों लाते हैं काश्तकारों के लिये प्रोविजन ? आप काश्तकारी कानून की दफा ६३ में क्या लिखते हैं और इसकी दफा १६ (बी) में क्या लिखते हैं ? आपको बता दिया गया कि फ्रॉड है और रेवेन्यु डिपार्टमेंट कोई इन्क्वायरी करना चाहता है । इन्क्वायरी तो करें, लेकिन उसका प्रोसिजर क्या होगा यह नहीं बताया गया । यह बिल्कुल गलत चीज है । लोगों को खुश करने के लिये लाया गया है कि जागीरदारों से जमीन लेंगे । लेकिन यह फेल होगा । आप जमीन वापिस लेना चाहते हैं लेकिन फ्रॉड ऐसा शब्द रखा है जिसे आप प्रूव नहीं कर सकेंगे । आप लिखते हैं :

(श्री मूलचन्द डागा)

"cancel such allotment if it is found to have been secured by means of fraud or misrepresentation on the part of the allottee." यह फिजूल है । आगे आपने लिखा है :

'If it is found to have been secured by meens of fraud......' एलॉटी कहेगा कि फ्रॉड नहीं है, आप इसको प्रूव नहीं कर सकोगे । this will not amount to fraud.. । जो फ्रॉड शब्द लिखा है उसे प्रूव करने में आप टोटली फेल होंगे । सारा कानून जो बनाया है उसमें हमने कभी नहीं माना कि जागीरदारों ने जमीन फ्रॉड करके ले ली है । जिन्होंने संशोधन रखा है उनके दिमाग में कोई चीज है इसलिये यह रखा है । लेकिन कानून बनाने वालों ने रखा है आंसू पोंछने के लिये । ६ महीने में कोई इन्क्वायरी हो नहीं सकती । यह बात सही है कि एक ही आदमी के पास जमीन बहुत ज्यादा तादाद में नहीं होनी चाहिये । जमीन सब को मिलनी चाहिये, यह प्रिन्सिपल है । सवाल यह है कि खुदकाश्त में हजारों बीघा जमीन हड़प ली है, गलत तरीके से । धारा ४१ है, उसमें आप कहते हैं कि इन्क्वायरी करेंगे और जिन्होंने ऐसा किया है उनको सजा होगी । क्योंकि आपने धारा ४१ में नहीं किया है, अब करना चाहते हैं । मेरे ख्याल से कोई कानून का पर्पज सर्व नहीं होगा जब तक साफ नहीं करें, जब तक गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं है कि इसने ज्यादा जमीन दबा ली है । उस जमीन को ऑन स्पोट इन्क्वायरी करके जब्त करें और उसको अधिकार हो कि सिविल कोर्ट से वह तय करावे और वापिस ले । जिसने हड़पी है उसको चाहिये कि वह कोर्ट में जावे । अन्यथा आपके एक्ट का पर्पज सर्व नहीं होगा ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राजस्वमंत्री जी ने एक संशोधन पेश किया है कि ६ महीने की मयाद रखी जाय, इस विषय में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि विधेयक पास किया गया है, वह झूठी और बेईमानी से प्राप्त की हुई जमीन को वापिस लेने के लिये है । क्योंकि अभी राजस्व मंत्रीजी ने संशोधन पेश किया है कि ६ महीने के अन्दर, बिल पास होने के बाद से या जमीन अलॉट करने के बाद ६ महीने में कम्प्लेन्ट नॉलेज में आवे, तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है वरना मुश्किल है । शुरू में जब कानून बनाया गया था उस समय आशंका ऐसी नहीं थी कि जागीरदार जो कोर्ट में हलफ की हथेली पर हाथ रखना अपनी शान के खिलाफ समझते थे, यदि वे किसी कारणवश अदालत में जाते तो पेशा पूछने पर अपना पेशा भोमवत बताते थे, उनको काश्त के नाम से शर्म आती थी । धीरे धीरे जमाना बदला और काश्त करने के वे अधिकारी हो गये, जो वास्तव में काश्त करने वाले थे और जमीन भी उन्हीं काश्कारों की हो गई, तो फिर जमीन की भूख इन जागीरदारों को भी लगी । सरकार ने भी कहा कि पहले आप काश्त करना हेय समझते थे लेकिन अब चाहें तो जमीन ले लें और उस पर उन्होंने जमीन लेना शुरू किया । उनको जमीन देने के लिये कानून बनाया गया और कहा गया कि इतनी जमीन खुदकाश्त को आप ले सकते हैं । उस समय जमीन की भूख इन जागीरदारों में इतनी थी कि खुद के नाम से ली, चार भाई थे तो उनके नाम से अलग अलग जमीन ली और अपनी स्त्री के नाम से उन्होंने अलग जमीन ली और इस पर भी उनको संतोष नहीं हुआ

Page No.58

(श्री शिवनाथसिंह)

तो उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों के नाम से अलग जमीन ली । इस तरह की परिस्थिति जब आई तो सरकार को इसे रोकने का प्रयत्न करना पड़ा । यदि सरकार इस ओर कदम नहीं उठाती तो जागीरदारी खत्म करने की मंशा ही खत्म हो जाती है । बहुत से जागीरदार गोचर भूमियों को, बंजर भूमियों को, श्मशान की भूमि को भी अपने नाम से करवा रहे थे और इस तरह से उन्होंने अच्छी अच्छी जमीन हथिया ली । इसे वापिस लेने का कानून बनाया गया । शुरू में इसमें यह रखा कि जब भी सरकार की नॉलेज में आवे कि नाजायज तरीके से ज्यादा जमीन दबा ली है तभी उसे वापिस लिया जा सकता है । खिलाफ तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि इसके लिये लिमिटेशन होनी चाहिये । कोई कानून जिसमें लिमिटेशन न हो, उससे हार्डशिप हो सकती है, इसलिये मंत्रीजी ने इसके लिये ६ महीनों की मियाद स्वीकार की । लेकिन मैं समझता हूँ कि यह समय बहुत कम रहेगा । यह हो नहीं सकता कि सरकार को सभी बातों की नॉलेज हो । बहुत से काश्तकारोंको और देहाती को नॉलेज ही बहुत देरी से होगी कि इस तरह से जमीन अधिक ली गई है, उनको पता नहीं लगेगा और उससे पहले मियाद ही खत्म हो जायगी । इसलिये मैं संशोधन रखता हूँ कि यह मियाद ३ साल की कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन कैसे रख सकते हैं ?

श्री शिवनाथसिंह : अभी अभी मंत्रीजी ने संशोधन रखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको संशोधन रखने का अधिकार नहीं है ।

श्री शिवनाथसिंह : मैं सुझाव देता हूँ कि राजस्व मंत्रीजी इस तरह की व्यवस्था करें कि ३ साल की अवधि कर दी जाय ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर) : माननीय उपाध्यक्षजी, जो बिल चल रहा है उसमें जो ६ महीने की मियाद का प्रश्न उठा रहे हैं, उसके विषय में मैं निवेदन करूंगा कि सभी सदस्य जानते हैं कि रेवेन्यु डिपार्टमेंट का क्या हाल है । इस ६ महीने वाले क्लॉज में...

श्री उपाध्यक्ष : ६ महीने का कौन सा क्लॉज है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : जो संशोधन चल रहा है उसके अनुसार जागीरदारों ने धोखा देकर गवर्नमेन्ट की जमीन ले ली है, उसको वापिस लेने के सिलसिले में माल-विभाग के कर्मचारियों का जो रवैया है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । तीन तीन वर्ष तक मिसल गायब रहती है और वहां नहीं पहुंचती है, तो फिर ६ महीनों में कैसे पहुंच जायगी ?

इसी तरह आपके रेवेन्यु डिपार्टमेंट के तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर चार चार वर्ष तक सुनाई नहीं करते...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री हरिप्रसाद यादव : लेकिन कोई सजा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, सदस्य प्लीज ।

(थपथपाहट)

श्री हरिप्रसाद यादव : तो इस संशोधन में मियाद बढ़ाने के लिए मैं अपनी राय पेश करता हूँ, ६ महीने से ज्यादा मियाद

(श्री हरिप्रसाद यादव)

बढ़ाने के लिए में अपनी राय पेश कराता हूँ ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्व मंत्रीजी ने दो संशोधन मंजूर करने के लिए कहा, वह बिल्कुल ठीक है । एक तो इन्क्वायरी करे, वह कलेक्टर से नीचे का अधिकारी न हो । पाली से आने वाले सदस्य ने बताया कि कलेक्टर को समय नहीं मिलता है, इसलिए वह नहीं कर सकेगा । जैसा राजस्व मंत्रीजी ने बताया था कि ऐसे केसेज बहुत कम है और ऐसे केसेज डेलीकेट माने गये हैं । मेरे ख्याल में ऐसे केसेज़ की संख्या कम है और जब ऐसे केसेज को डेलीकेट माना है तो कलेक्टर ग्रेड के ऑफीसर को ही इन्क्वायरी करने का अधिकार दिया जाय ।

दूसरा, जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्री ने माना है, कि उसके विपक्षी को सुनने का अवसर दिया जाय, यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त को लेकर ठीक है । किसी के खिलाफ कार्यवाही की जाय तो उसे सुनने का मौका दिया जाय और फिर ऑर्डर दिया जाय । लेकिन जो माननीय राजस्व मंत्री ने मियाद का सवाल उठाया है, उसको हम मानने के लिए तैयार हैं लेकिन जैसी कि कई माननीय सदस्यों के मन में शंका उत्पन्न हुई है, वह वाजिब है । उन्होंने बताया कि लागू होने के ६ महीने के बाद या अलॉटमेंट के ६ महीने के बाद, जो म्याद ज्यादा हो, उसमें कार्यवाही हो सकती है । जैसा कई माननीय सदस्यों ने बताया, वह वाजिब है । क्योंकि अलॉटमेंट का मामला कागजों में रहता है, कोई गांव वाला जानता नहीं है और उसको कागज में अलॉटमेंट हो गया और एक्चुअली जब वह काश्त करने के लिए जाय, उस स्थिति में ६ महीने की म्याद बहुत कम है । आज, मान लीजिये, कि, कम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूट को लेकर ६ महीने की म्याद को मंजूर कर देते हैं तो कुछ दिनों के बाद आर्डीनेन्स सरकार निकालेगी अथवा अमेंडिंग बिल लेकर आयेगी और मियाद बढ़ानी पड़ेगी । मेरा निवेदन है कि ६ महीने की मियाद नहीं रखी जाय । यह बात भी ठीक है कि फाल्स स्टेटमेंट के खिलाफ कोई म्याद नहीं हो सकती । जैसा कि पाली से आने वाले सदस्य ने बताया कि ऐसे मामलों में कोई मियाद, नहीं हो सकती,और खास तौर से फ्रॉड और मिस-रिप्रैजेन्टेशन हो तो कोई म्याद नहीं हो सकती । पाली से आने वाले सदस्य ने फ्रॉड और मिस-रिप्रजेन्टेशन के शब्दों को लेकर काफी प्रकाश डाला । मेरे ख्याल से जो शब्द उनके सामने आ रहे हैं, उनकी इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डेफीनेशन दी गई हैं, उसका उनको ध्यान था । कम्प्लेन्ट का मतलब यह नहीं है जो इंडियन पीनल कोड में है । यहां शिकायत का मतलब है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है । ऐसी सूरत में कोई शंका की चीज नहीं रहती । यदि दूसरे ने फ्रॉड या मिस-रिप्रजेन्टेशन कह दिया, तो इसको साबित करने के लिए ऐसी परिस्थिति की आवश्यकता होगी, जो ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट में डेफीनेशन में दी गई है । मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको साबित करने के लिए यह काफी है कि जब जागीरदार एन्टाइल्ड नहीं होता और पांच बीघा जमीन के लिए और १० बीघा जमीन ले लेता है, by means of fraud or misrepresentation तो प्रत्यक्ष है कि उसने फ्रॉड किया है और मिसरिप्रेजेन्टेशन किया है, तो ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपरटी एक्ट के आधार पर इसको साबित करना चाहिए, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी । मैं नियमों को देख रहा

(श्री सोहनलाल भटनागर)

था, उनमें है, कि जागीरदार की कितनी जमीन थी, उसमें से कितनी पर खुद काश्त का अधिकार है, उससे ज्यादा वह प्राप्त कर लेता है तो फ्रॉड या मिस-रिप्रेजेन्टेशन होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है।

श्री माधोपुर से आने वाले सदस्य ने संशोधन रखा कि टिनेन्सी एक्ट की धारा १८० के अन्तर्गत ज्यादा जमीन हो तो ले ली जाय, वरना नहीं। यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मान लेते हैं तो फ्रॉड और मिस-रिप्रेजेन्टेशन को प्रोत्साहन देंगे, चाहे कम मिकदार में हो, छोटी चीज के लिए भी मिस रिप्रजेन्टेशन या फ्रॉड करना काफी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को १२० बीघा जमीन धारा १८० के अन्तर्गत रखने का अधिकार है, उतनी उसके पास रहने दी जाय और बाकी ले ली जाय। मेरे ख्याल में यह सदन की इच्छा नहीं हो सकती। कानून की इच्छा सही है कि मिस-रिप्रजेन्टेशन, या फ्रॉड कितना ही छोटा हो, मिस रिप्रेजेन्टेशन और फ्रॉड ही है उसे हमें ओरिजिनल स्टेटस पर लाना पड़ेगा और जो लाभ उसने मिस-रिप्रजेन्टेशन या फ्रॉड के आधार पर प्राप्त किया है, उससे उसे वंचित करना पड़ेगा, चाहे कितना ही क्यों न हो। इस अमेंडमेंट को मान लेते हैं तो फ्रॉड या मिस-रिप्रेजेन्टेशन को मान लेते हैं और कन्डोन करते हुए उस जमीन को रखना पड़ेगा। इसलिए उनके अमेंडमेंट को मानना ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member on my left please.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी देर से एक इस बात पर चर्चा हम सुनते आ रहे हैं और हमारे बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं कि फ्रॉड, मिस-रिप्रेजेन्टेशन करके अगर किसी ने बेईमानी से, गलत तरीके से, गवर्नमेंट को धोखा देकर किसी जमीन को हथियाने का प्रयास किया है और उसमें वह वाकई सफल हुआ है तो उसको सजा दी जानी चाहिए। मैं मान सकता हूँ कि इस हाउस में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा कि जो इस राय से इत्तफाक न करे कि किसी ने गलती की है तो उसे सजा न दे, लेकिन सजा गलती की उस हद तक दें, जिस हद तक गलती हो। यह नहीं हाथ काटते काटते सिर काट दें, यह नहीं कहता कि जिसने गलती की है उसे सजा न दें। यह मेरे ख्याल में कोई सदस्य कहने के लिए तैयार न होगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह के वातावरण को जागीरदारों के खिलाफ आज तक बनाया गया है, यह भी बहुत बड़ा षड़यन्त्र है, हर जगह हर कौने पर, हर अखबार में कोई न कोई ऐसी न्यूज आवेगी, जिससे जागीरदार को, जो मर चुका है, उसके सम्बन्ध में हल्ला गुल्ला करके उसे एक भूत की शक्ल देगी। गवर्नमेंट अपने लिए समझती है कि इनके साथ कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सब कुछ करने के बाद, उनको खत्म करने के बाद, उनको तकलीफ देने के सब तरीके अपनाये जा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा यह इस हाउस के लिए शोभा की बात नहीं है। माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, जिनके सामने ही किसी ने इस समस्या को हल किया है, जागीर कानून निकाल कर जागीर रिजम्प्शन किया है और यहीं बैठकर उनके वास्ते तय किया है कि जागीरदारों को जमीन देंगे, उनको रिहेबिलिटेट करेंगे। ये सारी बातें इसी हाउस में बैठ कर तय हुई हैं, लेकिन आज आपके मन में ये

(श्री अनूपसिंह)

विचार, वे भावनायें उस भूत के लिए खत्म हो चुकी हैं। यह चीज बार बार आती है कि जागीरदारों ने वह कर लिया, जागीरदारों ने वह कर लिया, जागीरदारों ने श्मशान भूमि ले ली। आखिर है क्या ? यह किस भावना का द्योतक है ? आपके दिमाग के पीछे कौनसी चीज है जो इस बात को बार बार लाते हैं ? बार बार इस चीज को दोहराया जा रहा है कि जागीरदारों ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। जागीरदारों के सिवाय और कुछ बोलने की चीज है, जो कहने की बात है ? जागीरदार नहीं होते तो आप आज दिन तक वक्ता नहीं बनते। उन्होंने आपको सब्जेक्ट दिया है आपके पास कोई और सब्जेक्ट नहीं है (थम्पिंग) आखिर क्या है ? मैं आपको अर्ज करूं हमको दुआएं दो कि हमने तुमको कातिल बना दिया। वे आपके हाथ में पॉवर देकर आपके हाथ में सब कुछ सौंप गये। लेकिन वह पॉवर ठीक तरह से काम में नहीं ली जा रही है। जिनके द्वारा आपके हाथ में पावर आई, उनके लिए ही उस पॉवर को काम में ले रहे हैं।......

श्री उपाध्यक्ष : I think we are going astray from the subject. Now please come to the relevant question.

श्री अनूपसिंह : बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बात को इस तरह से घुमाया फिराया जा रहा है कि अनायास ही मुंह से निकलता है कि यह क्या हो रहा है, किस भावना से प्रेरित होकर यह बात हो रही है ? आखिर एक रेस्पोन्सिबिल, जिम्मेदार आदमी की तरह सदस्य बन कर आये हैं, तो जिम्मेदार आदमी की तरह अपने दिमाग से प्रजुडिसेज निकाल कर फैसला दें। तो कम से कम आपके मुंह से ऐसे वर्ड्स तो नहीं निकलने चाहिये, जो कि ईर्ष्या और द्वेष भरी भावना के प्रतीक हों। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि मान लिया जाय यदि किसी ने श्मशान की भूमि ले ली, गौ चर की भूमि ले ली, या कोई ऐसी जमीन ले ली जो उसे नहीं हथियाना चाहिये था, तो मैं अपने साथियों से जानना चाहूंगा कि आखिर उन्होंने ले क्या लिया है ? पाकिस्तान से आया हुआ सोना तो लेकर बैठे हैं नहीं, चोरी से लिया नहीं है। आपके हाथ से आपने दिया और उसने लिया है, आपके कर्मचारियों के हाथ से वह जमीन उसने ली है, उनके हाथ से उनके दस्तखतों से उन्हें अलॉटमेंट हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न यह है, संशोधनों का विषय चल रहा है। आप एक ही एक विषय में बोल रहे हैं। I think you are supporting some of the amendments here.

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, इस पर मैं जनरल वे में तो बोल चुका हूँ। आज वापिस उन्हीं संशोधनों पर बोलते हुए मुझे अर्ज करना है कि जो संशोधन रखे गये हैं, वाकई में ठीक ख्याल से रखे गये हैं। उनको मान लेने में जिस तत्परता का राजस्व मंत्री जी ने सबूत दिया है, वह वाकई तारीफ की बात थी, पर इसके बावजूद भी कई माननीय सदस्य बोले हैं कि यह तो गलती से मान लिये हैं, ६ महीने की मियाद क्यों बढ़ा दी इसमें तो यह भी नहीं होगा, वह भी नहीं होगा। उन्हें सोचना चाहिए कि जो भी लिमिटेशन्स होती हैं, वे प्रेक्टिकल होनी चाहिये। ६ महीनें में कम्प्लेन्ट आ सकती है, तय हो सकता है। इसलिये जो ६ महीने की मियाद रखी है, उसे मान लिया है, यह

Page No.62

(श्री अनूपसिंह)

ठीक किया है। इसके बारे में अब चर्चा की जरूरत नहीं रहनी चाहिये।

कलेक्टर या क्लेक्टर की हैसियत का दूसरा ऑफिसर रखा है, इस लिये रखा है कि वह जिम्मेदार है। ऑफिसर संजीदगी के हिसाब से बात करें, वैसे बात करने के लिए क्लेक्टर या क्लेक्टर की हैसियत का दूसरा ऑफिसर रखा है, तो इसमें क्या बुरा किया। इसका भी माननीय सदस्यों ने अपोजिशन किया कि ऐसा क्यों किया। कलेक्टर को हम इम्पार्शियल ऑफिसर मानते हैं, वह करप्ट नहीं होता है, संजीदगी के साथ हर मामले को तय करता है। इसे मंत्री महोदय ने मान लिया है, तो यह कोई बुरी बात नहीं हुई है, फिर भी इसको अपोज किया गया है। मैं कहूँगा कि opportunity of hearing to the person complained against. यह भी मान लिया गया है और यह रख दिया है। मिसरिप्रेजेन्टेशन या फ्रॉड हुआ है, कोई कहेगा कि मैंने नहीं किया, कोई कहेगा कि मैंने किया है, आखिर फ्रॉड करके जमीन ही तो ली है, सोना तो ले ही नहीं लिया, पेट के लिये उस जमीन को खड़ कर खाते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए, यही निवेदन करके, अपना स्थान ग्रहण करूंगा। जो अमेंडमेंट आये हैं और जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिये हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन रखे हैं, उनका समर्थन करते हुए मैं राजस्व मन्त्रीजी से कहूँगा कि जो संशोधन स्वीकार करना चाहिये था, वह तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वह संशोधन था रेवेन्यु बोर्ड का। रेवेन्यु बोर्ड ही ऐसी जगह थी, जहां न्याय का निपटारा अच्छी तरह से हो सकता था। यह बिल आया था, तब मैंने इसका कड़ा विरोध किया था। लोगों ने कहा कि प्रायश्चित की बात थी, उसका विरोध किया। मैं समझता हूँ राजस्थान में दूसरा कोई न्यायालय नहीं है, जो फ्रॉड के केसेज को डील करे। सारी चीजों को मानते हुए रेवेन्यु बोर्ड में लिया जाय। इसका मतलब यह लिया जाय कि चोरी से कोई काम हुआ तो राजस्थान में उसके लिये कोई न्यायालय नहीं, उसके लिये राजस्थान में दूसरा न्यायालय खुलेगा। फ्रॉड से ली हुई जमीन होती, तो गवर्नमेंट पार्टी बन कर सीधे तरीके से केस लड़ सकती थी। पर इसके पीछे जो लक्ष्य माननीय भैरोंसिंहजी ने बताया है, वही लक्ष्य गवर्नमेंट का था कि किस तरह इन लोगों को हरेश करें। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब से मैं पूछने गया तो उन्होंने कहा कि १३ आदमी ऐसे हैं, जिन्होंने फ्रॉड से अलॉटमेंट हासिल किया। उस दिन शब्द कह तो दिये कि बड़ा जोश आया ठाकुर साहब, १३ आदमियों को खत्म करने के लिये यह कानून बन रहा है। कितने आश्चर्य की बात है, १३ आदमियों के लिये यह कानून बन रहा है। यह मामला तो एन्टी-करप्शन में दिया जा सकता था और सीधी कार्यवाही की जा सकती थी। तो इसके लिये अच्छा तरीका यह हो सकता है कि माननीय भैरोंसिंह जी ने जो संशोधन रखे हैं, वे पूरे के पूरे स्वीकार हो जाते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि सरकार की नीति साफ है। नहीं तो मैं तो कहूँगा कि १३ आदमियों के लिये है। इन १३ आदमियों के लिये कानून बनाने की क्या जरूरत पड़ी ? अगर आप कहें तो इन

Page No.63

(श्री मदनसिंह)

१३ आदमियों से वे जमीनें वापिस दिला दूँ। अगर गवर्नमेंट समझे कि १३ आदमी इतने मजबूत हो गये हैं कि गवर्नमेंट के काबू की बात नहीं, तो मुझे कहें, मैं दिला दूंगा। मेरे लिये कहा गया कि ठाकुर साहब जोश में आ गये, गंग केनाल पर जब पहले आन्दोलन चल रहा था, तो जमीनें ले लीं। अगर ले लीं तो ऐसे कानून बनाने से, अमेन्डमेंट करने से क्या मदद होगी ? पर पहले का इस कानून के जरिये बदला निकालना है, वह निकाल सकते हैं। माननीय सदस्य, जिन्होंने मेरा बड़ा विरोध किया था, ने कहा है कि जब दूसरे कोर्ट्स हैं तो ऐसा बिल यों ही पड़ा रहेगा। मैंने तो कहा था कि खूंटी के टंगा रहेगा, पर माननीय सदस्य ने कहा है कि यों ही पड़ा रहेगा। अब भी समय है पूरी तौर से इन संशोधन को लेना चाहिये। रेवेन्यु बोर्ड में सुनवाई के लिए प्रोविजन रखा जाय। वहां से जो न्याय होगा, सबको मान्य होगा। किसी को सजा भी होगी, तो उसको एतराज नहीं होगा। कलेक्टरों की कई शिकायतें सामने रखी हैं, मिनिस्टरों ने जमीनों पर घोटाले किये हैं, उनकी सदन के सामने व्याख्या करूंगा, तो मिनिस्टर साहबान को अच्छा नहीं लगेगा। मिनिस्टर साहब वहां जाते है, जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करते हैं और फिर जोश में आकर ऐसे शब्द लोगों को कहते हैं कि अब कोई जागीरदार तलवार लेकर आयें। ऐसे काण्ड रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के सामने सुनाऊं तो बुरा लगेगा। लोगों को कहा गया कि बाई इलेक्शन में मदद करोगे कि नहीं ? मदद नहीं करोगे तो जमीनों से दबाया जायगा, मदद करोगे तो, तरीका समझा दिया जायगा।

यही लोग लोगों को तरीका समझाते हैं और यही लोग उनको फंसाने की कोशिश करते हैं। जो बदमाशी के तरीके उन्होंने उनको समझाये थे और जब मिनिस्टरों ने देखा कि उनसे वापिस जमीन किस तरह से ली जाए तो अब इस तरह से उनको दबाना चाहते हैं। यह बात उनको, जब वे लोग जमीनें ले चुके, तब याद आई। जिन जिन लोगों को जमीनें दी गई हैं उन्हें मिनिस्टरों ने बताया कि आप इन जमीनों को ले लें और ये जमीनें आपके पास रह जावेंगी, ठाकुर साहब मौका चुको मत, ठाकुर साहब जल्दी दरख्वास्तें दे दो। लेकिन अब उनको मालूम हुआ कि......

श्री दामोदरलाल व्यास : किन किन मिनिस्टरों ने कहा, आप उनके नाम तो बतावें और किन को कहा ?

श्री मदनसिंह : यह नाम तो आप बतावें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो सदन के बाहर की बातचीत हो उसका रेफरेन्स यहां नहीं आना चाहिये। मैंने माननीय सदस्यों से इसके लिये बार बार निवेदन किया है कि बाहर कोई बात हो उसका रेफरेन्स यहां सदन में नहीं आना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : १३ के नाम तो बता सकते हैं।

श्री मदनसिंह : नाम भी बताये जा सकते हैं। मगर नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनको सजा जिस समय आप देंगे उस समय उनके नाम दुनिया जान जावेगी। एक नहीं सबके दुनिया जानेगी और सबको सामने उनके नाम आवेंगे। इसलिये मेरा तो यही निवेदन है कि इसको साधारण

(श्री मदनसिंह)
रूप से नहीं लिया जावे और इसकी इन्क्वायरी, कलेक्टर की केपेसिटी का अधिकारी हो, उसके सुपुर्द की जावे तो इस संशोधन का पेटा पूरा होगा अन्यथा नहीं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जहां तक इस संशोधन का यह भाग है कि रेवेन्यु बोर्ड में इसकी सुनवाई होनी चाहिये,आवश्यक है। अन्यथा अभी तक इन्क्वायरियों में जिस प्रकार के अन्याय हुए हैं वे होते रहेंगे। मैं तो समझता हूँ कि जागीरदारों का कचूमर निकालना है, वह निकालेंगे। जागीरदारों के पास अब कुछ नहीं रहा है, फिर भी आप यह चाहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं रहे और वे भूखे मरें और भिखमगे हो जावें, उनके घर नीलाम हो जावें। जैसा अभी थोड़ी देर पहले श्री श्रीमानसिंह ने कहा और अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि कुटुम्ब खत्म हो जावे। क्यों? आखिर बात क्या है उन्होंने कुछ जमीनों पर पैसे इन्वेस्ट किये हैं और गवर्नमेंट को भी पैदा करके इतने वर्षों तक दिया है। जिन लोगों ने जमीनों पर काश्त की है उनके साथ ऐसा जुल्म। मैं तो यह कहूंगा कि हमारे यहां एक कहावत है कि "चोर को कहे चोरी कर और साहूकार को कहे जाग"। इस बिल पर वह की वही मिसाल लागू होती है और चोर को चोरी करने के लिए और साहूकार को जगने के लिए कहा जाता है। उधर तो आप ही ने उन लोगों को सिखाया कि ठाकुर साहब समय है, जमीनें ले लो, ठाकुर साहब खुश हो गए और जमीनें ले लीं। उनको यह कहा गया कि यह जमीनें आपके पास ही रह जावेंगी। हम इस बात को मानते हैं कि आपके पास ११६ की मेजोरिटी है और उनका सपोर्ट है उसके बल पर आप कोई भी कानून पास कर सकते हैं। उनके बल पर आप अन्याय करते जावें करते रहिये, कोई न कोई मुकाबला लेगा। ऐसा अन्याय का कानून आपका कब तक चलेगा?...

श्री उपाध्यक्ष : आपकी भावना सीमा का पार कर चुकी है, आपकी भावनाएं सीमित रहनी चाहिए।

श्री मदनसिंह : मैं बैठ जाता हूं।

श्री किशनसिंह (लछमनगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बातें राजस्व मंत्री द्वारा मान ली गई है, उनके संबन्ध में दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो यह कि उन्होंने ६ महीने की बात स्वीकार की है और दूसरी यह कि कलेक्टर जैसा ही कोई अधिकारी जांच करे। मैं यह मानता हूँ कि इस कानून को लेने से पहिले हमारे मंत्री साहब ने या हमारी सरकार ने सोचा होगा कि जो जमीन किसी तरह से लोगों ने दबा ली है उसको किसी तरह से वापिस नहीं ली जावे और उसके लिये उस पर मोहर छाप लगा देने और उसे वापिस नहीं लौटाने का विचार किया है और इसीलिये वह ६ महीने की बात रखी है। वरना यह ६ महीने की बात किसी भी तरह से नहीं मानी जानी चाहिये। इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि किसी ने ६ महीने के अन्दर अन्दर किसी की शिकायत कर दी तो उसकी जांच होगी और किसी व्यक्ति को मालूम नहीं हुआ और ६ माह बाद ही उसको मालूम हुआ, तो फिर वह जमीन तो उस व्यक्ति के पास यों की यों रहेगी और उसकी कलेक्टर इस बहाने जांच करेगा। इसके लिये तो आपको खुशी होनी चाहिये, यह तो आपके हक में हो रहा है। जिन लोगों ने जमीनें नाजायज दबाली हैं, उनको तो इस कानून से फायदा ही होने वाला है, क्योंकि इस

(श्री किशनसिंह)

कानून की यह भावना है कि जमीन उनके पास ही रहेगी। यदि कोई व्यक्ति उनके खिलाफ ६ महीनों के अन्दर अन्दर शिकायत नहीं करेगा तो कलेक्टर भी उसकी फिर जांच नहीं करेगा। जब कभी कोई व्यक्ति किसी की जायदाद दबा लेता है तो क्यों नहीं उसके लिये खुला होना चाहिये कि वह न्यायालय में जावे और वहां से अपना न्याय हासिल करे मैं तो यह कहूंगा कि इस प्रकार का सभी को अधिकार होना चाहिये कि वे न्यायालय में जाकर अपनी जमीन के संबन्ध में न्याय हासिल कर सकें। लेकिन इस पर आपने अपनी मोहर छाप लगा दी है कि ६ महीने बाद यदि कोई शिकायत करेगा तो उसका कुछ नहीं होगा और यह जमीनें उन्हीं लोगों के पास रहने की है; जिन्होंने दबा ली है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बात को रखने से जनता को नुकसान होगा क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के जानने में देर हो गई कि उसकी जमीन दबा ली है तो वे लोग अपनी जमीन को वापिस नहीं ले सकेंगे। यही इसकी भावना है। एक मोहर छाप लगाने की भावना कानून में लाना मानने की बात नहीं है। मैं तो इसीलिये आपको कहता हूँ कि आपको तो इससे खुश होना चाहिये। आप कई प्रकार की यहां बातें कहते हैं, जागीरदारी बर्बाद हो गई है, किसी का भय नहीं है। आपको बातों का डर नहीं है। किसी ने दबा ली है तो उसका नाम बताने में और बोलने में और बोलने में घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे थोड़े दिन पहले हरिजन नौकरों की जमीन दबा ली थी, मगर उस समय कोई कानून नहीं था इसलिये दंड किसी प्रकार नहीं दिया जा सकता था। वह जमीन जागीरदारों ने, जिन्होंने दबाई, बांट ली। मैं तो यह कहूंगा कि जमीन तो कहीं जाने वाली चीज है नहीं, वह तो वहां की वहां रहती है, इसलिये फिर यह ६ महीने के समय की इसमें क्या जरूरत है? मैं तो समझता हूँ कि इस ६ महीने की मियाद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होना चाहिये कि जब कभी किसी की, दो वर्ष बाद या चार वर्ष बाद तक भी, कभी भी, कोई शिकायत सरकार के सामने आवे तो उसके सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये। चाहे जमीन पर नाजायज कब्जा करने वाला जागीरदार हो या और कोई व्यक्ति हो; वापिस लेने की बात हो, तो ठीक है, जागीरदार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, जागीरदारों की हो या किसी दूसरे की हो, हर आदमी को अपनी जमीन के लिये बोलने का अधिकार हो और दावा करने का अधिकार होना चाहिये। आप किसी का नाम नहीं बतावें, शिकायत कर दे, ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? किसी ने मकान के नाम से जमीन ली हो, वह उससे अधिक जमीन दबा ले या दबाना चाहता है तो उसके लिये शिकायत करनी चाहिये। यदि इस जनतन्त्र के जमाने में भी कोई किसी को दुख देता है या जनतन्त्र के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके लिये जनता को बोलना चाहिये ......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पब्लिक की बातों को यहां पर न करें, आप यहां संशोधन के सम्बन्ध में बोलें, मुझे अभी तक आपके भाषण से यह भी पता नहीं लगा कि आप इसके पक्ष में बोल रहे हैं या विरोध में।

श्री किशनसिंह : यह जो ६ महीने की शिकायत करने की अवधि रखी है, इसकी मैं खिलाफत करता हूं और यही निवेदन करना

(श्री किशनसिंह)

चाहता हूँ कि यह ६ महीने की अवधि नहीं होनी चाहिये। बस इतना कहने के बाद मैं बैठता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बिल जब विचारार्थ पेश किया तो इसका स्पष्टीकरण किया था कि किस वजह से इस संशोधन को सदन में लाया गया है। मैंने यह बताया था कि यह कोई जागीरदारों के लिये ही नहीं है, बल्कि जनरल लॉ हर एक में होता है, यहां नहीं था, इसलिये इस लेकुना को पूरा करने के लिये लाया गया है।

कुछ संशोधन मैंने स्वीकार किये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन पेश किये, उनमें खास तौर से जो समय का संशोधन है, उसको मानने में कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति है और हो सकती है, क्योंकि जैसे फ्रॉड और मिस-रिप्रजेन्टेशन का सवाल है, वहां हो सकता है कि फ्रॉड और मिस-रिप्रेजेन्टेशन में एवीडेन्स मिलना छः महीने में बहुत मुश्किल हो। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस मामले को गैर-जरूरी अहमियत दे दी गई है, क्योंकि इस अमेन्डमेंट से सम्बन्ध सिर्फ उन जागीरदारों के अलॉटमेन्ट्स का है जिनके पास खुद की कोई जमीन खुदकाश्त की नहीं थी और उनका इस जागीर रिज़म्पशन एक्ट की दफा १८ के तहत, जो एरिया इसमें है, उसको लेने का अधिकार है। तो इसमें बहुत ही सीमित मिस-रिप्रेजेन्टेशन या फ्रॉड हो सकता है और वह हो सकता है इस तरह का कि जैसे कुछ लोग जो जागीरदार नहीं हैं, सब-ग्रान्टीज़ नहीं हैं, उनको जमीनें खुदकाश्त के लिए लेने का कोई अधिकार नहीं है और वह जमीन उन्होंने अपने आपको ग्रान्टीज़ बताकर ले ली हैं, इस किस्म का फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा दूसरा फ्रॉड इस प्रकार का हो सकता है कि उनके पास पहले से कुछ जमीन हो और उसको छुपाकर और अपने आपको यह बताकर कि उनके पास कोई जमीन नहीं है उन्होंने जमीन हासिल कर ली हो, तो ऐसा फ्रॉड हो सकता है। तो ऐसे फ्रॉड की जानकारी करना कोई मुश्किल नहीं है। इस अमेन्डमेंट के जरिये जो धारा होगी, उसमें ऐसे मिस-रिप्रेजेन्टेशन नहीं हैं, जिनकी जानकारी में बहुत देर लगे। तो जब हम कानून बनाते हैं तो उसमें अनसरटेन्टी की लिमिट रखना बहुत आवश्यक है। जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि अगर कोई अनसरटेन्टी रह गई, तो जो इनवेस्टमेन्ट अलॉटी करता रहेगा, इसमें उसको पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए कोई न कोई टाइम लिमिट चाहिए। तो जब से यह कानून एनफोर्समेन्ट में आयेगा उससे छः महीने, या अलॉटमेन्ट से छः महीने की बात है, वह ठीक है। मैंने अपने प्रस्ताव में कोई नया अमेन्डमेन्ट पेश नहीं किया है बल्कि जो अमेन्डमेन्ट यहां सदन में आया था, उसकी लेंग्वेज को देखकर अपना अमेन्डमेन्ट पेश किया है और मैं समझता हूँ कि यह बिल्कुल वाजिब है। जो माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं वह इस बात को महसूस करेंगे कि इसमें इस प्रकार के एवीडेन्स की, जैसा कि वे समझते हैं जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। यह मालूम हो सकता है स्टेट रेकार्ड से कि फलां आदमी जागीरदार है या नहीं है। जो जमीन उसके पास है वह मालूम हो जायेगी कि उसकी है या नहीं। इसलिए इसमें कोई अनसरटेन्टी के लिए टाइम लिमिट रखना ठीक नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : टाइम एक्सटेन्ड हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझता हूँ कि इसमें एक्सटेन्शन नहीं होना चाहिए। मैंने वाजिब समझ कर अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया है। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसमें कुछ जानबूझकर किया है। आप यह एश्योरेन्स चाहते हैं कि इसमें एक्सटेन्शन होगा, उसके लिए मैं कहता हूँ कि यह नहीं होगा।

जो दांता से आने वाले माननीय सदस्य हैं, उन्होंने एक लिस्ट १३-१४ आदमियों की दी। मैं उन्हें बताऊं कि कोई सेन्सस तो इस बात की नहीं गई है कि किसने फ्रॉड से जमीन हासिल कर ली है ? लेकिन कुछ केसेज़ जब नोटिस में आते हैं तो मालूम होता है। मैंने अर्ज़ किया कि किसी खास चीज को लेकर अमेन्डमेन्ट नहीं बनाया जाता है। जब किसी कानून में कोई लेकुना रह जाता है तो उसे पूरा किया ही जाता है। हां, केसेज़ की तादाद पर यह अमेन्डमेन्ट नहीं लाया जाता है........

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I rise on a point of Order, Sir, are you going to bring such an amendment in the Ajmer Jagir Abolition and Land Reforms Act ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This is a different matter. I think if it is necesary I will bring it,

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : When you think it necessary for the whole Rajasthan why not for Ajmer, there is such.......

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow any information to be extracted at this stage.

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरा पॉइन्ट जो माननीय सदस्य ने पेश किया है इसमें श्री माधोपुर से आये हुए सदस्य ने, यह कहा है कि सेक्शन १८० में जितना मिनिमम एरिया प्रेस्क्राइब है, यह मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं नहीं समझ सका कि उनका क्या मतलब है ? मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जहां तक अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड का सवाल है वहां कोई जागीरदार के लिए एक्सक्लूशन नहीं है कि उनको अलॉट नहीं हो सकती। मगर जागीर रिज़म्पशन के सेक्शन १८ में मिनिमम एरिया प्रेस्क्राइब्ड है कि इस हद तक अलॉट हो सकती है और उसमें ५०० बीघा तक है। मैं नहीं कह सकता कि किसी आदमी ने कोई जमीन मिस-रिप्रेजेन्टेशन से या फ्रॉड से हासिल की है, वह उससे, वापिस नहीं ली जाये और न इस कानून की ऐसी मन्शा है कि एज़ जागीरदार उसको कोई जमीन नहीं मिलेगी। अगर वह ५० बीघा उसके अधिकार में है तो वह उसके पास रहेगी। बस जो जमीन मिस-रिप्रेजेन्टेशन और फ्रॉड से हासिल की है, उस हद तक ही केन्सलेशन होगा। इसलिए मिनिमम एरिया और मेग्ज़िमम एरिया प्रेस्क्राइब्ड है, सेक्शन ८० में उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वह सब टीनेन्ट्स के लिए एक एरिया प्रेस्क्राइब किया गया है। जहां तक जागीरदार का सवाल है उनके लिए तो स्केल ऑफ अलॉटमेन्ट ही अलग है। अगर उस स्केल से ज्यादा जमीन हासिल की है, वह भी फ्रॉड और मिस-रिप्रजेन्टेशन से, वह जमीन केन्सिल हो जायेगी। बाकी जो जमीन स्केल आफ अलॉटमेन्ट के अनुसार है, वह तो रहेगी ही। इसलिए जहां तक यह अमेन्डमेन्ट है यह बिल्कुल रिलेवेन्ट नहीं है। बाकी और जो दूसरे अमेन्डमेन्ट्स हैं जैसा मैंने अर्ज किया, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऐसी कमेटी हो जिसमें तीन ऑफिसर्स हों और वह भी कलेक्टर की हैसियत के हो, इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। जैसा मैंने कहा कि दूसरे अलॉटमेन्ट के रूल्स हैं और लॉज़ हैं उनके अन्दर भी गवर्नमेन्ट को पॉवर्स हैं कि अगर इस तरह के मिस-रिप्रेजेन्टेशन से कोई अलॉटमेन्ट हो गया तो उसको केन्सिल करने की पॉवर्स हैं। तो ऐसी कोई वजह नहीं है, जब कि खातेदारी में इस प्रकार के फ्रॉड और मिस-रिप्रेजेन्टेशन से अलॉटमेन्ट हुए हैं उनके लिए गवर्नमेन्ट को पॉवर्स न दी जायें। रहा यह कि उनकी इन्क्वायरीज़ जिम्मेदार ऑफिसर्स के जरिये हो, तो मैंने यह प्रोविज़न मान लिया है। दूसरे, अलॉटमेन्ट के रूल्स में नायब तहसीलदार और तहसीलदार के पास यह पॉवर्स हैं, लेकिन मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान रखते हुए इस बात को माना है कि कलेक्टर के जैसे जिम्मेदार ऑफिसर को यह पॉवर्स दे दी जांय। टाइम लिमिट भी मुकर्रर कर दी है। यह ठीक है कि फ्रॉड के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं हो सकता लेकिन अनसरटेन्टी को हमें बहुत अर्से तक नहीं रखना चाहिए इस बात को मैंने स्वीकार किया है। एक बात और मैं कह देता हूं कि माननीय सदस्यों ने ऐसा सोचा है कि शायद इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि बहुत से केसेज इसमें होंगे, यह बात बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊं कि अलॉटमेन्ट मैजोरिटी ऑफ दी केसेज में बिल्कुल सही हुए हैं। कुछ लोगों ने फ्रॉड से करवाये हैं, तो ऐसे लोगों के साथ तो हमारी किसी की भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, उनकी मदद करने के लिए हम कोशिश करें, यह वाजिब नहीं है। साथ ही भावना से वशीभूत होकर यह बात नहीं कहनी चाहिए कि उन्होंने गलती की है तो उनके बच्चों का क्या होगा? आप तो ऐसी दलील रख रहे हैं कि यह आर्ग्युमेंट बिल्कुल गलत होगा कि एक एक आदमी मिस-रिप्रेज़ेन्टेशन और फ्रॉड से कोई प्रोपर्टी लें और कहे कि यह तो जमीन उनके पास रहनी चाहिए। अगर उसके लिए नहीं तो उसके बच्चों के लिए रखनी चाहिए और उससे नहीं लेनी चाहिए।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I rise on a point of information, Sir, six months from which date?

श्री दामोदरलाल व्यास : I will read: "upon the facts otherwise coming to its knowledge, within six mohths from the date of the commencement of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagiis (Eighth Amendment) Bill, 1958, or the date of such allotment, hichever may be latter.'

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Is it from the date on which the fraud comes to the notice of the Officer?

श्री दामोदरलाल व्यास : For your information' I will again read it: "Notwithstanding anything contained in section 19 or in the rules made under this act the State Govt. upon a complaint in writing made in that behalf or upon the facts otherwise coming to its knowledge, within six months from the date of the commencement of the Rajasthan Land Reforms & Resumption of Jagiras (Eighth Amendment) Bill, 1958, or the date of such allotment, whichever may be latter."

So I think the information is here.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : It is very difficult to prescribe the period of limitation because a fraud cannot be brought to the notice of the person concerned. Unless such a report comes to the notice of the officer concerned how can the period be extended from the date it is made ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated, जिस वक्त यह बात मालूम होगी तो छः महीने का पीरियड दिया हुआ है; अलॉटमेंट से छः महीने का या "upon a complaint in writing made in that behalf or upon the facts otherwise coming to its knowledge, within six months."

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : It means it is from the date when this Act comes into force ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already stated that in this Section, keeping in view all the things about the investments that have been made, I think the state Government will take even the period of six months and no uncertainty should be placed in this clause.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : With your permission, I may say, Sir, that suppose a certain land has been allotted to an allottee on a certain date and a fraud has been practised on the officer concerned and because that fraud has been played upon the tenant without bringing the facts to his notice and that does not come to notice.........

श्री दामोदरलाल व्यास : What type of fraud will be done ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : Under this Section, if the man reports and the person who holds any interest in that particular land, if it comes to his notice after 10 years, there will be no remedy because there is a provision for 6 months. If a man remains silent for a period of 6 months, naturally there will be no remedy, if a fraud does not come to his notice. Naturally the person who has played the fraud would remain silent......

श्री उपाध्यक्ष : It has been already explained rightly. The Hon'ble Minister in-charge of the Bill may resume his debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऑलरेडी पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि यह जो माननीय सदस्य सोच रहे हैं कि फ्रॉड का दो साल में, छः साल में पता नहीं चलेगा यह गलत है। स्टेट गवर्नमेंट के लिये यह लाजमी है, कि वह फ्राड की जानकारी प्राप्त करे That may not be difficult for the State Government to find out the fraud. अब रहा सवाल इस बात का कि टिनेन्ट के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। टीनेन्ट के साथ क्या फ्रॉड हो सकता है ? अलाटमेंट के रूल्स बने हुए हैं, उनके अनुसार ६ महीने तक कब्जा नहीं लेता है तो वह अलॉटमेंट अपने आप केंसिल हो जाता है। तीन साल या दो साल में फ्रॉड का पता नहीं चलेगा, यह नामुमकिन है।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I can cite example. I may say something and explain to you.

श्री उपाध्यक्ष : No, No, I don't allow.

Page No.70

श्री दामोदरलाल व्यास : I can only assure that this is not meant for harassing any body but to take the land that may have been achieved by misrepresentation or fraud.

श्री भैरोंसिंह : What about the Revenue Board ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said that the allotment of land is a non-judicial matter and the Government is the proper authority to see it.

श्री मदनसिंह : मिनिस्टर साहब ने यह फर्मा दिया है कि उन्होंने दोनों अमेंडमेंट्स मान लिये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जिन अमेंडमेंट्स को माना है उसके लिये सदन में अर्ज कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किये थे उनमें से, छः महीने की मयाद निर्धारित करने का और जो इन्क्वायरी की जाय वह ऑफिसर कलेक्टर की स्टेटस का आफिसर हो; इन दोनों संशोधनों को राजस्व मन्त्री ने स्वीकार कर लिया है। सदन के कतिपय माननीय सदस्यों ने विरोध किया था कि छः महीने की मयाद नहीं होनी चाहिये। फ्रॉड या मिस-रिप्रेज़ेन्टेशन के जरिये यदि किसी ने जमीन पर अधिकार कर लिया है तो उसको पूरी सुविधा होनी चाहिये कि जब कभी उनके नोटिस में आये वह दरख्वास्त देकर जागीरदार को उस जमीन से अलहदा करें और वह जमीन अलॉटमेंट कमेटी, जिस किसी को अलॉट करे, उसे दी जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पिछले कई वर्षों का विधान सभा का अनुभव है, माननीय राजस्व मन्त्री ने जितने भी कानून पेश किये हैं उनका जो अनुभव है, उस आधार पर इतना अवश्य कह सकते हैं कि जब छः महीने में काम पूरा नहीं होगा तो फिर विधान सभा में अमेन्डमेन्ट आयगा और उसके अनुसार फिर इस मयाद को बढ़ाया जायगा। इस समय केवल टेम्प्रेरी रिलीफ देने की मान-नीय राजस्व मन्त्री की नीयत है, इसकी मैं अवश्य दाद देऊंगा। लेकिन जिस तरह से मैंने उनसे कहा, इसमें डेफीनिट कमिट करने की बात है तो जिस भाषा में उन्होंने बचने की कोशिश की उससे मुझे निश्चित रूप से सन्देह है। यह मयाद छः महीने की अवश्य बढ़ेगी लेकिन, खैर, जो टेम्प्रेरी रिलीफ दिया गया है वह भी एक बात के लिये विशेष महत्व रखता है, यह बात मुझे उन माननीय सदस्य को कहनी पड़ेगी जो छः महीने की मयाद का विरोध कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महो-दय, जितने भी काश्तकारी कानून बनते हैं, उन कानूनों में सबसे मोटा उद्देश्य रहता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जब काश्तकारों को इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं होता कि जिस भूमि को वे जोत रहे हैं, वह भूमि उनके अधिकार में रहेगी, उस जमीन पर जितनी भी पैदावार होगी उसका उपयोग वह कर सकेगा, जब तक इतनी बातों का विश्वास नहीं करा देते हैं तब तक जो काश्तकारी कानून से रिलीफ देना चाहते हैं, वे रिलीफ नहीं दे सकेंगे। जैसा कि अभी दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, उनकी और राजस्व मन्त्री की बातचीत के अनुसार केवल १३ केसेज़ ही इस तरह के सरकार के नोटिस में आये हैं, जिन पर यह कानून लागू होगा। केसेज़ १३ भी हो सकते हैं और

(श्री भैरोंसिंह)

१३ से कम भी हो सकते हैं । यह कानून जब से अमल में आने लगेगा, तब सबसे बड़ी प्रतिक्रिया जो होने वाली है, वह जहां तक काश्तकारों का प्रश्न आता है, उनके दिमाग में प्रतिक्रिया काम करेगी, वह यह कि जिस जागीरदार ने जमीन ली है, उसको हरेस करना है, उसको हरेस करने के साथ ही उस जमीन पर जो खेती होती है, उस खेती से वंचित करना है । उस क्षेत्र के अन्दर कोई भी व्यक्ति इस बात की दरख्वास्त पेश कर सकता है कि अमुक जागीरदार ने बजरिये फ्रॉड या मिस-रिप्रेजेन्टेशन के जरिये यह भूमि प्राप्त की है । जहां जागीरदार और काश्तकार के बीच आज भी संघर्ष है, उन काश्तकारों को आगाह किया जा रहा है कि आप दरख्वास्त पेश करें और उसी आधार पर जागीरदार से जमीन छीनी जा सकती है, इस कानून के जरिये । जिन जागीरदारों को जमीन अलॉट कर दी है, उनमें फीअर, कॉम्पलेक्शन पैदा करेंगे । उस जमीन की इन्क्वायरी हो सकती है, अगर किसी से छीनी हुई हैं या नहीं, फिर भी दो आदमी आकर गवाह दे दें और मुकदमे में जिस प्रकार की कोशिश की जाती है, वकील एंगेज कर लेते हैं, और कुछ पैसा देकर गवाह भी तैयार कर लेते हैं और फिर किसी तरह से फ्रॉड साबित कर दिया तो वह जमीन उस जागीरदार के अधिकार से चली जायगी तो इसमें जो प्रतिक्रिया वर्क करेगी, उसका परिणाम यह होगा कि ६ महीने का पीरियड नहीं निकल जावे और दरख्वास्त की जांच होकर तमाम निर्णय नहीं हो जावेगा तब तक वह जागीरदार उस जमीन पर फुल लिबर्टी से, फुल एन्थ्युजियाज्म से न प्रोडक्शन बढ़ाने की चेष्टा करेगा, न उसमें इन्वेस्ट करेगा । तो पहला असर जो इसका पड़ने वाला है वह यह होगा, आप फिर कैसी भी परिभाषा करें या कैसा भी सोचें । कुछ ने यहां तक कह दिया कि श्मशान भूमि पर कब्जा कर रक्खा है, गलत रेकार्ड बनाकर । अगर वे लोग कानून का अध्ययन करते या टिनेन्सी एक्ट को पढ़ते तो उन्हें मालूम होता कि श्मशान भूमि का अलॉटमेंट उनको हो जावेगा, यह सम्भव नहीं है । भूमि सरकार अलॉट करती है । सरकार की मशीनरी पूरी छानबीन करने के बाद अलॉटमेंट करती है । सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट पर अलॉटमेंट होता है । इस पर भी अगर वे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उसको काश्त की जमीन लिख दें और उसे सेंक्शन दे दें, तो वह कसूर जागीरदार का नहीं । अलॉटमेंट करने वालों का कसूर है, जांच करके सेंक्शन देने वालों का है । इसके लिये अगर किसी को दंड देना है तो इन सिफारिश करने वालों को, इन सरकारी अधिकारियों को भी दंड दें । उनके स्थान पर, यह कहकर कि जागीरदारों ने गोचर भूमि पर, बंजर भूमि पर कब्जा कर रखा है, इसलिये उनको दंड दिया जावे, तो मैं कह दूं कि यहां उस कब्जे से मतलब नहीं है । गवर्नमेंट ने कब्जा गवर्नमेंट की जमीन पर दिया है, उससे मतलब है । वह नहीं दे सकते । खुदकाश्त का प्रोविजन है । इसलिये इसमें न श्मशान भूमि दी जा सकती है, न गोचर भूमि या न किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे की भूमि दी जा सकती है । यह भय गलत है ।

अब प्रश्न आता है कि क्या इस प्रकार के कानून से उन लोगों के दिलों में जिनको खुदकाश्त की भूमि अलॉट कर रक्खी है, अनिश्चितता का वातावरण नहीं पैदा होगा ? मैं समझता हूँ कि राजस्व मन्त्री कह चुके हैं कि वे एश्योरेन्स दे चुके हैं कि जो कुसूरवार होगा

Page No.72

(श्री भैरोंसिंह)

उसी को दंड मिलेगा । पर मैं कहता हूँ कि इसका प्रभाव सब पर पड़ने वाला है । जिन जिन लोगों को जमीनें मिली हैं, कानून बनते ही, बल्कि कल जब इसकी रिपोर्टिंग समाचार पत्रों में होगी, उस दिन से ही सभी जागीरदारों के दिमाग में एक फैक्टर वर्क करेगा कि ऐसा एक कानून बन गया है जिसके जरिये से जो जमीनें हमें मिली हैं वे वापिस ली जा सकती हैं, क्योंकि कोई भी उनकी सही या झूठ शिकायत कर सकता है और उस पर कार्यवाही हो सकती है । सच-झूठ का निर्णय तो तब होगा, पर डर तो अभी से उनके दिमाग में काम करने लगेगा और इसका नतीजा यह होगा कि जो उन्होंने अब तक डेवलपमेंट उस जमीन पर किया है, जो इन्वेस्टमेन्ट किया है, खेती के बारे में तरजीह देने लग गये हैं और जैसा कि उदयपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जो जागीरदार हल के हाथ लगाना नहीं चाहते थे, वे आज हल के हाथ लगाने लग गये हैं, यह सोचकर कि जमीन हमारे अधिकार में आ गई है, वे सब बातें ठंडी पड़ी रहेंगी, उनका उत्साह समाप्त हो जावेगा । वे इस बात की तैयारी में लगेंगे कि अगर छः महीने बाद फैसला उनके खिलाफ हो गया तो क्या करना चाहिये ? वे वहां से अपना हाथ खींचना शुरू करेंगे और इस तरह से छः महीने का इन्तजार करेंगे । फिर मैं यह और कह दूं कि राजस्व मन्त्री कभी चूकने वाले नहीं, ये छः महीने समाप्त होते न होते फरवरी तक वे एक्सटेन्शन ले आवेंगे या जिन्हें ऑर्डिनेन्स इश्यू करने की आदतें हैं, वे ऑर्डिनेन्स इश्यु कर देंगे ।

अब प्रश्न एक आता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है । पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने........

श्री दामोदरलाल व्यास : On a point of information, Sir, I want to state here categorically that there will be no extension of this period. The Hon. Member may be rest assured of it.

श्री भैरोंसिंह : (जारी) तो आज दूसरा प्रश्न आता है, इसके इन्टरप्रिटेशन का । पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी । मैं समझता हूं कि बात गम्भीर थी पर उसको गम्भीरता से नहीं सोचा गया । उन्होंने कहा फ्रॉड और मिस-रिप्रजेन्टेशन, ये दोनों इस प्रकार के शब्द हैं कि उनका हम जैसा चाहें मतलब लगा सकते हैं । अगर फ्रॉड और मिस-रिप्रजेन्टेशन का चार्ज किसी पर लगाने का मतलब लगावें, तो वह भी लगा सकते हैं और चार्ज नहीं लगाना चाहें तो वह मतलब भी लगाया जा सकता है । तो अब प्रश्न है कि इन दो शब्दों का इन्टरप्रिटेशन कौन करेगा ? हमारी सरकार ने व्यवस्था दी है कि शिकायत हमारे पास आई, उस शिकायत में इतना लिखा होगा कि फ्रॉड और मिस-रिप्रजेन्टेशन से इन्होंने जमीन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है । अब इस दरख्वास्त देने वाले का कुछ नहीं बिगड़ा । उसने तो मामूली सी शिकायत कर दी । अब उस दरख्वास्त को राजस्व मन्त्री महोदय के कार्यालय द्वारा कलेक्टर के पास भेजा जावेगा और कहा जावेगा कि जांच करो और इसमें दखल दो । अब इसका फैसला चाहे तीन वर्ष में हो या चार वर्ष में, इसकी मियाद नहीं, इसकी चिन्ता नहीं, एप्लीकेशन चली गई कलेक्टर के पास । अब कलेक्टर यह जांच करेगा कि वाकई में फ्रॉड हुआ है या

Page No.73

(श्री भैरोंसिंह)

मिसरिप्रजेन्टेशन । अब कलेक्टर ने लिखकर भेज दिया अपनी जांच का परिणाम कि गलत तरीके से जमीन ली है । तो प्रश्न आवेगा कि पार्टी को बिना सूचना दिये, उसको बिना सुने, जो डिसीजन लिया गया है, वह कहां तक सही हो सकता है न्याय की दृष्टि से ? तो इसलिये मैंने जो संशोधन पेश किया था, वह इसलिये किया था कि न्याय की दृष्टि से इसका निर्णय कोई जुडीशियल बॉडी करे और इस हिसाब से रेवेन्यु बोर्ड उपयुक्त बॉडी है, जांच करने के लिये, और उसके सामने एक आदमी को अपनी सारी बातें रखने का मौका मिलेगा । उसी कलेक्टर ने कन्नाइवेन्स से या फ्रॉड या मिस-रिप्रेजेन्टेशन में शामिल होकर सेंक्शन दी और वही जांच करके निर्णय करे, यह न्याय की दृष्टि से कहां तक उचित है, यह स्वयं राजस्व मन्त्री सोचें । रेवेन्यु बोर्ड में जुडिशियल नेचर से निर्णय होगा । फ्रॉड और मिस–रिप्रजेन्टेशन का निर्णय आरबिट्रेरीली न होकर जुडीशियली हो । इससे किसी को भी कोई शिकायत नहीं होगी और मैं भी उन व्यक्तियों में से होऊंगा कि जुडीशियल अगर यह साबित हो जावे कि किसी ने फ्राड और मिस-रिप्रेजेन्टेशन से जमीन पर अधिकार किया है तो वह जमीन उसके कब्जे से ली जानी चाहिये । पर इन्टरप्रिटेशन सरकार न करे यह मैं चाहता हूं । नहीं तो क्या होगा, मैं बताऊं, सरकार का इन्टरप्रिटेशन किस प्रकार का होता है, उपाध्यक्ष महोदय । जागीरदार की कलेक्टर के पास शिकायत आई । कलेक्टर अपनी जांच का परिणाम रेवेन्यु विभाग में भेज देता है । अब उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यु विभाग यहां का इस प्रकार का विभाग हो रहा है, जहां किसी गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती । हो सकता है कि बड़े जागीरदार की, बड़े आदमी की, पैसे की, वहां पहुंच हो जाय । इसकी एक नहीं, अनेकों मिसालें मैं देने को तैयार हूं । राजस्व मन्त्री महोदय के कार्यालय की जांच की जाए । कोई अफसर उनसे ऊंचा तो हो नहीं सकता । वे स्वयं भी जांच करें राजस्व सचिव के कार्यालय की, तो आपको मालूम होगा कि गरीब लोगों की सैकड़ों की तादाद में दरख्वास्तें जमीन के कब्जे के मुतल्लिक वहां देर की हुई, पेण्डिंग में पड़ी हुई, वर्षों से पड़ी हुई मिलेंगी । एक नहीं हजारों दरख्वास्तें ऐसी मिलेंगी । तारीख पर आते हैं, बिचारे, पर उनका फैसला नहीं किया जाता तारीखें बदल दी जाती हैं । कभी रेवेन्यु सचिव साहब नहीं मिलते, कभी रेवेन्यु मिनिस्टर साहब नहीं मिलते, कभी वे दौरे पर पधार जाते हैं और कभी वे गैरहाजिर हो जाते हैं । मिनिस्टर महोदय बहुधन्धी जीव हैं । सचिव कहते हैं–मन्त्री नहीं हैं । मन्त्रीजी के पास जाते हैं, वे कहते हैं–मुझे फुर्सत नहीं है । ऐसी हालत में अगर यह अलॉटमेंट का मामला रहेगा तो क्या हाल होगा ? आप जिस अनसर्टेन्टी के एटमोस्फीयर को समाप्त करने की बात करते हैं, ऐसी स्थिति में केवल ६ महीने का प्रॉविजन रख देने मात्र से समाप्त नहीं होगा । आप यह भी व्यवस्था कर दें कि जो शिकायत पेश हुई है उसका निर्णय एक महीने में होगा, दो महीने में होगा और ज्यादा से ज्यादा ६ महीने में होगा । पर ऐसी चीज जब नहीं रखते हैं, जिस एट्मोस्फीयर को, जिस अनसर्टेन्टी के वातावरण को आप समाप्त करना चाहते हैं वह किसी भी हालत में समाप्त नहीं हो सकता ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह बताना चाहता हूँ कि खुदकाश्त की दरख्वास्तें रेवेन्यु विभाग में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

या रेवेन्यु सेक्रेटरी के पास न आती हैं, न वहां इनकी जांच होती है और न अलॉटमेंट होता है। यह बिल्कुल गलत है कि उनके दफ्तर में हजारों दरख्वास्तें पड़ी हैं और जागीरदारों की तरफदारी की जाती है और गरीबों की सुनवाई नहीं की जाती। यह काम खुदकाश्त कमिश्नर करते हैं। इसका रेवेन्यु सेक्रेटेरियेट से सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने क्या कहा, यह आपने सुना नहीं। मैं खुदकाश्त के बारे में नहीं कहता। मैं एक गरीब की दरख्वास्त आपके सामने पेश करता हूँ नमूने के तौर पर। ऐसी हजारों दरख्वास्तें पड़ी हैं।...

श्री उपाध्यक्ष: Order! order p'ease!! We will not enter into these controversies.

श्री भैरोंसिंह : कन्टीन्युएन्स में ही...

श्री उपाध्यक्ष : Application or representation is not to be placed. The Hon'ble Member will please resume his debate.

श्री भैरोंसिंह : रिप्रेजेन्टेशन नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष। एक घटना है और एक गरीब की घटना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उस गरीब की घटना को इससे सम्बद्ध नहीं समझता हूं। 'Ghatna' itself is not relevant.

श्री भैरोंसिंह (जारी) : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो कहा, मैं उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ, और माननीय उपाध्यक्ष महोदय यदि आप इजाजत दें तो वे केसेज़ बताऊं कि जो ६ महीने नहीं बल्कि डेढ़-डेढ़ साल तक माननीय राजस्व मन्त्री जी के पास पेंडिंग पड़े हुए हैं। वे खुदकाश्त के नहीं हैं। खुदकाश्त के बारे में मैं जानता हूँ कि खुदकाश्त की दरख्वास्तें खुदकाश्त कमिश्नर को डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती हैं। मैंने खुदकाश्त का जिक्र भी नहीं किया है, और इसलिये शायद वे गौरव से कहना चाहते हैं कि खुदकाश्त की कोई एप्लीकेशन्स नहीं हैं उनके पास, लेकिन कई ऐसे लोगों की दरख्वास्तें पड़ी हैं जो परेशान होकर आपके पास आये हैं, आपके अधिकारियों के उन्होंने दरवाजे खटखटाये, वहां उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है, उन लोगों के लिये मैं कहना चाहता हूँ। यदि अधिकारियों के पास उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनका जिक्र यहां विधान सभा में नहीं हो सकता है, तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में गरीब की सुनने वाला कोई नहीं हो सकता, राजस्थान में गरीब का रिप्रेजेन्टेशन नहीं हो सकेगा। राजस्थान का गरीब दरख्वास्त देकर किसी प्रकार का रिलीफ प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक काश्तकार जो जमीन पर काश्त करता है, छोटा सा वह जागीरदार है, उसके पास २० बीघा खुदकाश्त की जमीन है, उस २० बीघा काश्त की जमीन पर दूसरे गांव के लोग आकर जबरदस्ती मकान बना लेते हैं, वह शिकायत करता है तहसीलदार के पास, वह शिकायत करता है पुलिस के अधिकारियों के पास, तो पुलिस के अधिकारी और तहसीलदार दोनों मिलकर उसकी जमीन पर उसका नाजायज कब्जा करा देते हैं। वह कलेक्टर को दरख्वास्त देता है। उसकी कलेक्टर महोदय जांच करते हैं और जांच करने के बाद सरकार को लिखकर देते हैं कि गरीब के साथ जबरदस्त अन्याय हुआ

(श्री भैरोंसिंह)

है । अगर मकान बनवा लिया है तो उसको तुड़वा दिया जाय, और अगर लैण्ड एक्वीजिशन के मातहत उसकी जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही की जा रही हो तो उसको रद्द किया जाय । माननीय राजस्व मन्त्री से स्वयं मैंने इस मामले के लिए कहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई । वह गरीब इतना गरीब है, राजस्थान के उस गरीब को आप देखें कि जिसके पास खेत नहीं है, उसको खेत से महरूम कर दिया जाय, और अधिकारियों की कार्यवाही की वजह से उसको महरूम कर देते हैं, उसके लिए मैं माननीय राजस्व मन्त्री से कहूंगा . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या विषय से परे नहीं जा रहे हैं ? विषय से परे जाकर किसी और विषय पर विवाद करने लगे ! मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे विषय पर चलें ।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो केवल इसलिए निवेदन कर रहा था कि माननीय राजस्व मन्त्री ने कहा कि मेरे पास कोई फाइल नहीं है, इसलिये बताया था । यह तो मैंने एक नमूना रखा है । यदि आप चाहें तो और रखूं और थोड़े से ही में सब कुछ बता दूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो गांव का...

श्री उपाध्यक्ष : गांव का नमूना या और नमूना, विषय के परे हैं यहां पर उल्लिखित किये जाने के लिए नहीं हैं ।

श्री भैरोंसिंह : तो ऐसी स्थिति के अन्दर हमको यह विचार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के स्थान पर रेवेन्यु बोर्ड कर दिया जाय, तो क्या आपत्ति है ? माननीय राजस्व मंत्री जी ने कोई दलील नहीं दी । उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में जहां अलॉटमेंट का क्वेश्चन आता है तो अलॉटमेंट में फाइनल ऑथोरिटी गवर्नमेंट है । मैं भी इस चीज को स्वीकार करता हूं कि जहां तक अलॉटमेंट करने का क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट उसके लिए फाइनल ऑथोरिटी है । लेकिन अलॉटमेंट के बाद जहां गवर्नमेंट अलॉट करती है और अलॉटमेंट करने के कारण वह स्वयं एक पार्टी बनती है, उस स्थिति में गवर्नमेंट ने जिसको जमीन दी है, उसकी गलती के लिए निर्णय करने का काम गवर्नमेंट को दिया गया तो मुझे इस बात का भय है कि कहीं पक्षपात न हो जाय ? ऐसी स्थिति में यदि यह मामला रेवेन्युबोर्ड को दिया जाता है तो रेवेन्यु बोर्ड के सामने गवर्नमेंट जा सकती है, और रेवेन्युबोर्ड के सामने जा सकता है वह व्यक्ति जिसने जमीन पर कब्जा कर लिया है और जिसकी जमीन छुड़ाई जा सकती है । वह व्यक्ति भी जा सकता है रेवेन्यु बोर्ड के सामने । जनता को न्याय मिले इसलिए रेवेन्यु बोर्ड के सामने वह अपने मामले की पूरी पैरवी कर सकता है । दोनों ही बातें ऐसी हो सकती हैं, जिन बातों को शायद माननीय राजस्व मंत्रीजी पसन्द नहीं करें, इसलिए वे मेरे संशोधन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ।

चौथा मेरा संशोधन था कि जिन लोगों ने जमीन पर कब्जा किया है यदि वह मिनिमम होल्डिंग के अन्तर्गत हो, जो राजस्थान काश्तकारी कानून की दफा १८० के भाग (अ) के द्वारा निर्धारित की गई है कि राजस्थान में मिनिमम होल्डिंग कितनी होगी । उससे कम कहीं भी होल्डिंग नहीं हो सकती, इस प्रकार की व्यवस्था दी है और मैंने जिस तरह से पहले जिक्र किया था कि जिस समय काश्तकारी का कानून बनने लगा, उस समय इन्हीं राजस्व-

Page No.76

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्री महोदय ने इस सदन के अन्दर इस भावना को प्रबल बनाया था कि चाहे किसी तरह से जमीन पर कब्जा कर लिया हो, वह चाहे सब-टीनेन्ट हो, चाहे गैर-खातेदार हो, वह चाहे खुदकाश्त का सब-टीनेन्ट हो या गैरखातेदार हो, चाहे एक दिन भी उसने कब्जा कर लिया हो, उस कब्जे को बहाल रखा जायगा, उसकी बेदखली नहीं हो सकेगी, बशर्ते कि वह मिनिमम होल्डिंग से कम हो। पहले आपने इस प्रकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, लेकिन आज वही सिद्धान्त छोटे-मोटे जागीरदारों के लिए न रखा जाय क्योंकि बदकिस्मती से उनका नाम जागीरदार जो है, यदि यही नाम काश्तकार के लिए आता और काश्तकार के लिए व्यवस्था की जाती तो आप इसको मन्जूर कर लेते, लेकिन लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड जागीर रिजम्प्शन से एफेक्ट होने वाले सिर्फ जागीरदार हैं, और मजबूरन जागीरदार का नाम लेना पड़ेगा, और अगर जागीरदार का नाम लेते हैं तो कई माननीय सदस्य कहने लगते है कि बेदखली की जा रही है, कई माननीय सदस्य यह समझते हैं कि अन्याय कर रहे हैं। जागीरदारों के नाम जितनी बातें मिलती हैं, जितनी शिकायतें मिलती हैं, वे सब पुराने जमाने की बातें हैं, ऐसा यदि आप कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज के जागीरदार, जिन जागीरदारों को आप जागीरदार मान कर बुरा समझते हैं वे आप में बैठे हुए हैं, वे जागीरदार विरोधी दल में बैठे हुए हैं, ऐसी स्थिति में जागीरदार नाम से चिढ़ें और जागीरदार नाम आ गया है इसलिए विरोध करें, ये दोनों बातें किसी प्रकार से न्यायसंगत नहीं हो सकती हैं।

प्रश्न यह आता है कि क्या हम किसी कानून के अन्तर्गत किसी की रोजी और रोटी को छीन सकते हैं ? राजस्थान के अन्दर रोटी और रोजी का प्रश्न सामने आया है। हमारी सरकार चाहे किसी भी गलत तरीके से, रोजी और रोटी किसी ने प्राप्त की है, उस रोजी को छीन ले, किसी गरीब की पेट भरने लायक रोजी पर कब्जा कर ले, उसको छीनने का हक आपको कानून से हो सकता है, लेकिन मानवता के नाते नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि जागीरदार ने फ्रॉड से या मिसरिप्रेजेन्टेशन से जमीन प्राप्त की हो, यदि इस प्रकार का मिसरिप्रेजेन्टेशन हो कि जिससे सेक्शन १६ के मातहत खुदकाश्त की जमीन नहीं मिल सकती हो उसे, तो मैं समझता हूँ कि वह जमीन छीनी जा सकती है उससे। उसके पास ज्यादा जमीन हो तो जमीन छीनो जा सकती है लेकिन जागीरदार है तो भी उसके प्रति सिम्पेथेटिक कन्सीडरेशन होना चाहिए। उनके प्रति सिम्पेथेटिक कन्सीडिरेशन तो नहीं लें और अपने पेट भरने लायक जमीन जो कि सरकार से किसी तरह से उसने ले ली है, वह भी सरकार उसके पास नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार फ्रेगमेन्टेशन को रोकना चाहती है, वह कानून बनाती है और इस बात को व्यवस्था करती है कि किसी के पास कम से कम अनइकोनोमिक होल्डिंग नहीं हो और अगर अनइकोनोमिक होल्डिंग हो तो उसको इकोनोमिक होल्डिंग बनाया जाय। लेकिन यही सवाल जागीरदारों पर एप्लाई करने की बात होती है तो हमारी सरकार कहती है कि जमीन नहीं रहे उनके पास। जिस तरह से मैंने कहा कि उसने जमीन ली है तो उस जमीन का और कोई उपयोग नहीं होने वाला है। उसने उस पर खेती करने का अधिकार प्राप्त किया है, उस खेती की पैदावार से अपने परिवार का पोषण करने के लिए अधिकार प्राप्त किया है। उसने गलत इन्टेन्शन से,

(श्री भैरोंसिंह)

मेलाफाइड इन्टेशन से किया हो। हो सकता है कि तहसीलदार ने उस पर गलत तस्दीक कर दी होगी, उसके ऊपर उसको जमीन मिली होगी। मैं मानता हूँ कि इन चीजों की वजह से, इन कारणों से उसको जमीन मिली है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि सरकार के सामान्य नियमों के अन्तर्गत जमीन प्राप्त नहीं कर सकता है, रिश्वत देने को उसके पास पैसा नहीं है, सरकारी अधिकारियों को खुश करके जमीन प्राप्त करने का उसको अधिकार नहीं है, वैसी स्थिति में किसी भी तरीके से जमीन पर कब्जा कर लिया, और जिस तरह माननीय राजस्व मंत्रीजी ने कहा ऐसे बहुत कम आदमी हैं, वैसी स्थिति में वह गरीब किसी तरह से जमीन पर काबिज हो जाय और उसको हम बेदखल करने की बातें करने लगें तो इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास जीविकोपार्जन के लिए जमीन रहेगी नहीं, यद्यपि वह उस एटमॉस्फियर में जमीन पर काबिज है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन पेश किया था वह टीनेन्सी एक्ट की लाइट में पेश किया था कि जिन लोगों की जमीन छीनें तो उनके पास जमीन कम से कम इतनी अवश्य छोड़ दी जाय जिसके द्वारा वह अपने परिवार का किसी तरह से पोषण कर सके। इतनी जमीन यदि हम छोड़ेंगे तो एक प्रकार से उनके साथ न्याय की बात होगी। जो मेग्जिमम होल्डिंग की आपने सीलिंग में व्यवस्था की है कि ८० या ६० एकड़ से किसी स्थान पर ज्यादा होल्डिंग नहीं हो। अगर वहां पर इतनी मेग्ज़िमम होल्डिंग की बात करते हैं, अगर मैं माननीय मंत्रीजी से उस मेग्ज़िमम होल्डिंग की बात करता, जो गलत तरीके से प्राप्त की है, तो वे कह सकते थे लेकिन मैंने मिनिमम होल्डिंग इसलिये रखा है कि किसी की जमीन छीनने की और उसके पेट पर लात मारने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन रेवेन्यु मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वे इस प्रकार के संशोधन को मानने को तैयार नहीं हैं।

दूसरा संशोधन मैंने और रखा था और वह यह था कि कोई दरख्वास्त पेश करे तो उसकी जांच करके फैसला किया जाय" or upon the facts otherwise coming to its knowledge" जैसे फर्ज कीजिये कि कोई आदमी दर्ख्वास्त पेश नहीं कर सकता और गवर्नमेन्ट को किसी तरह से मालूम हो गया, तो उसने मामला कलेक्टर के पास भेज दिया और कलेक्टर ने जांच शुरू कर दी। चाहे कोई एग्रीव्ड पार्टी हो या नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट एग्रीव्ड है फ्रॉड और मिसरिप्रजेन्टेशन के नाम से तो सवाल यह आता है कि जिस दिन से गवर्नमेंट को नॉलेज हुई फ्रॉड और मिसरिप्रजेन्टेशन की, उस दिन से लेकर कलेक्टर के पास भेजने तक उसने अपनी ओपिनियन बनाली और दूसरा कोई शिकायत करने वाला नहीं है, तो वह शिकायत गवर्नमेन्ट ने खुद कर दी, तो मैं समझता हूँ कि सरकार के दिमाग में प्रेज्युडिसेज क्रिएट होगी, उस दिन से, जिस दिन कलेक्टर के पास इन्क्वायरी के लिये भेजी थी। इस तरह के प्रेज्युडिसेज़ यदि गवर्नमेन्ट के दिमाग में होंगे तो इससे न्याय मिलने की आशा नहीं रहेगी। इसलिये मैंने यह किया है कि कंपलेन्ट सरकार खुद करे रेवेन्यू-बोर्ड के पास और सरकार खुद वहां वादी के रूप में जावे और रेवेन्यू बोर्ड इस चीज को देखे। मैंने तीन-चार बातों की ओर ध्यान दिलाया था, उनमें से सिर्फ २ बातें स्वीकार की हैं। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि मैंने जो संशोधन रखे हैं उनकी तरफ मत दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज़ २ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

३.२ म.प;

प्रश्न यह है कि जो संशोधन रावराजा श्री सरदारसिंहजी ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय। ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किये गये ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने क्लॉज़ २ में प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय...

श्री दामोदरलाल व्यास : क्लॉज २ में इनके दो संशोधन हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन इस प्रकार है :

"In the newly pro- posed section after the words 'to · its knowledge may' add the following words 'within six months from the date of the commencement of this Act."

श्री भैरोंसिंह : राजस्व मंत्रीजी ने जिसे स्वीकार किया है, उसको पहले ले लिया जाय। बाकी विथड्रा कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन इस प्रकार है :

"Insert the comma and words after hearing the person complained against 'after the words' 'to its know- ledge may.'"

प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

श्री रघुवीरसिंह : रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने जो संशोधन मान लिया है उसको लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने रखा है उसको पहले ले लीजिये, फिर दूसरे विथड्रा कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन इस प्रकार है :

'In the proposed Section 19 B add the following words : 'or upon the facts otherwise coming to its know- ledge, within six months from the date of the commencement of the Rajasthan Land Reforms aud Resu- mption of Jagirs (Eighth Amendment) Bill, 1958, or the date of such allot- ment, whichever may be latter"

प्रश्न यह है कि इसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने प्रस्तुत किया है और जो इस प्रकार है :

"Insert the comma and words 'after hearing the person complained against' after the words 'to its know- ledge may."

इसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

श्री दामोदरलाल व्यास : श्री तनसिंहजी का पहले वाला संशोधन वोट पर रखा जाय, that has not been withdrawn.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I am putting it to votes.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने क्लॉज़ २ पर रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २ के अन्तर्गत श्री भैरोंसिंह जी ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास : These amendments will be taken one by one because I have accepted one amendment.

"In part (i) substitute the words 'not below the rank of a Collector' for the words 'or authority'."

यह मैंने एक्सेप्ट किया है, इसको सेपरेट लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : I am taking the amendments. श्री भैरोंसिंह का पहला संशोधन इस प्रकार है, मैं इसे पढ़ देता हूँ :

'Substitute the words, 'The Board of Revenue' for the words, the State Government' occurring in the fourth line."

प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

श्री भैरूंसिंह : यह तो मंजूर होना चाहिये था, इसे मंजूर किया है ?

श्री उपाध्यक्ष : वह दूसरा संशोधन इस प्रकार है :

"Substitute the words 'or upon the facts otherwise coming to its knowledge', by the words 'within a period of six months."

प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

तीसरा संशोधन इस प्रकार है :

"In part (i) substitute the words 'not below the rank of a Collector' for the words or authority."

प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

चौथा संशोधन पार्ट (२) के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ने का है :

"and the allottee is in possesson of excess land then the minimum are a presecribed under clause (a) of

Page No.80

(श्री उपाध्यक्ष)

section 100 of the Rajasthrn Tenancy Act, 1956."

प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ संशोधनानुसार, स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ तीन स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खंड ३ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ ४, श्री भैरोंसिंह ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन है :

"Add the following words at the end of this clause 'and after determination by the Jagir Commissioner of the benefit derived due to the false statement."

माननीय उपाध्यक्ष, धारा ४१ में इस बात की व्यवस्था है, जैसा कि इसमें लिखा है :

"If in any proceeding under this Act any person makes a statement which is false or which he knows to be false or has reason to believe it to be false or does not believe it to be true, he shall be punishable with imprisonment which may extend to three years or fine or with both."

अब इसमें संशोधन यह किया जा रहा है;

"If any person is convicted of an offence punishable under sub-section (1), then, withont prejudice to such conviction and any punishment imposed on that account, such person shall be further liable to refund or restore any benefit which he may have obtained under any provisions of this Act in consequence of the statement in respect of which he is convicted, and such refund or restoration may be enforced by the Collector upon the order of conviction becoming final."

मैंने जो संशोधन पेश किया है उसके अनुसार इसमें यह सब जोड़ना पड़ेगा :

"and after determination by the Jagir Commissioner of the benefit derived due to the false statement."

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि यदि किसी जागीरदार ने कोई गलत स्टेटमेंट देकर, जान-बूझकर गलत स्टेटमेंट देकर, उस स्टेटमेंट के द्वारा कोई फायदा उठाया हो तो गलत स्टेटमेंट की सजा मिलनी चाहिए और सजा के साथ साथ जो फायदा उसने उठाया है उस फायदे में अगर पैसों का फायदा उठाया है तो पैसा वापिस रिफन्ड करवाना चाहिए, अगर कोई प्रोपर्टी उसने जागीर से ली हो तो उस प्रोपर्टी पर वापिस सरकार का कब्जा होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इस धारा के बिना, इस संशोधन के बिना, धारा

(श्री भैरोंसिंह)

४१ अर्याप्त थी। यह संशोधन हो जाता है, उसके बाद जहां एक ओर उसे सजा मिलती है, वहां दूसरी ओर यह कार्यवाही करने का अधिकार मिलता है कि जो कुछ उसने बेनिफिट उठाया है, उसको वापिस लिया जाय। अब प्रश्न यह आयेगा कि वापिस क्या लिया जाय, कितना लिया जाय और किस मात्रा में लिया जाय ? जहां तक इसमें सजा देने का प्रावधान है, अगर किसी आदमी के बारे में यह साबित हो गया कि इसने ओन ओथ एक गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत स्टेटमेंट देने के बारे में उसको सजा हो गई, लेकिन उस स्टेटमेंट का जो कुछ उसने कम्पेन्सेशन ले लिया है, या जो कुछ उसने बेनिफिट ले लिया है, उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है, उस चीज को कौन डिटर्मिन करेगा ? कोर्ट डिटर्मिन नहीं कर सकता, कोर्ट के सामने इतना सुबूत सफीशियेन्ट है कि इस आदमी ने जान-बूझ कर गलत स्टेटमेंट दिया है। अब कोर्ट चाहे तो देखे कि इस स्टेटमेंट का कितना प्रभाव पड़ा है। यह कोर्ट की मर्जी की बात है। कोर्ट स्वयं फैसला कर सकती है कि उस आदमी ने जान-बूझ कर फायदा प्राप्त करने के लिए गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत स्टेटमेंट साबित हो गया, इतना कोर्ट के लिए पर्याप्त है। यह उसकी मर्जी है कि वह आगे की स्टेज में न जाय कि जो गलत स्टेटमेंट दिया है उसका प्रभाव क्या हुआ है, फायदा कितना हुआ है, कितनी जमीन और प्रोपर्टी पर अधिकार कर लिया है। यह जानना कोर्ट का काम नहीं होगा, कोर्ट का काम रहेगा कि सुबूत होने पर सजा दे दे। गलत स्टेटमेंट दिया है कोर्ट के सामने, यह प्रश्न तय हो जाय, कोर्ट उससे सेटिसफाइड हो जाय कि गलती की है, जान-बूझ कर गलती की है और कोर्ट गलती की सजा दे दे। लेकिन फिर भी यह मामला अन्धेरे में रहता है कि कितना लाभ उसने उठाया है, इसे कौन तय करेगा ? मैंने अपने संशोधन द्वारा इसकी व्यवस्था की है। इस लाभ को डिटर्मिन करने का अधिकार कलेक्टर का हो नहीं सकता, हमने उसके लिए व्यवस्था की है कि जो कोर्ट का डिसीज़न होगा वह उस पर रिफन्ड या रेस्टोर करने की कार्यवाही करेगा। अब कितना रिफन्ड होगा, किस चीज को रेस्टोर करने का, कलेक्टर उस चीज की डिटेल्स में नहीं जायगा। कलेक्टर को अधिकार दिया है रिफन्ड करने का, रेस्टोर करने का। इस स्थिति में गवर्नमेंट ने कलेक्टर को अधिकार नहीं दिया, कोर्ट के ऊपर यह ऑब्लीगेटरी फंक्शन नहीं है कि कोर्ट में डिसीजन लिया जाय कि जो फाल्स स्टेटमेंट दिया उसके द्वारा कितना बेनिफिट लिया है। इसलिए तीसरी ऑथोरिटी प्रेसक्राइब करनी पड़ेगी, जो कोर्ट के फैसले के बाद निर्णय पर पहुंचे कि फाल्स स्टेटमेंट के द्वारा इतना बेनिफिट हुआ है, उसको उसके कम्पेन्सेशन से काटना चाहिए, यदि कम हो तो वह जागीरदार से वसूल किया जाय और जो प्रोपर्टी ली है, उसको कब्जे में किया जाय। इन दोनों बातों का अहसास न हुआ और माननीय राजस्व मंत्री ने इसे स्वीकार नहीं किया तो आगे चल कर कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। यदि यह अधिकार नहीं दिया तो जो अधिकार दिये हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है और आदमियों को लिटिगेशन में फंसाने की कार्यवाही करेंगे। यह बात रखो है कि सजा देने की बात फाइनल हो जाय तो इन दोनों चीजों पर कार्यवाही होगी, लेकिन यह बात स्पष्ट नहीं है कि कौन तय करेगा कि कितना

Page No.82

(श्री भैरोंसिंह)

रुपया गलत स्टेटमेंट के द्वारा प्राप्त किया है, कितनी चीजें इस गलत स्टेटमेंट के द्वारा प्राप्त की हैं ? यह कोर्ट की मर्जी की चीज है, कि कोर्ट दखल दे या न दे । कोर्ट को सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इस व्यक्ति ने गलत स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद कोर्ट बाकी फेक्टर्स में जाय, यह उसके लिए जरूरी नहीं है । जहां कोर्ट इन फेक्टर्स में न जाय वहां वह मामला हमारे सामने कॉम्प्लीकेटेड इश्यू होगा कि कौन तय करे ? कलेक्टर के हाथ बांध दिये, अदालत से यह चीज नहीं हुई तो कौन तय करेगा ? जागीर कमिश्नर तय नहीं कर सकता, क्योंकि उसने फाइनल अवार्ड देकर कम्पेन्सेशन दिलवा दिया है, प्रोपर्टी भी दिलवा दी । फाइनल अवार्ड देने के बाद जागीर कमिश्नर को अधिकार नहीं देते । ऐसी स्थिति में जागीर अधिकारी को फिर अधिकार देना पड़ेगा कि कोर्ट से सजा होने के बाद जागीर कमिश्नर देखे कि जो मिस-स्टेटमेंट देने से असर कम्पेन्सेशन पर पड़ा है, उसको देखकर स्वयं डिटर्मिन करे कि इस प्रकार फाल्स स्टेटमेंट देकर इतनी रकम ज्यादा ले ली है, इतनी प्रोपर्टी ज्यादा ले ली है । वह तय करने के बाद जो फाइनल ऑथोरिटी है अवार्ड देने के बारे में, प्रोपर्टी पर डिसीजन करने के बारे में, उसको अधिकार दे कि वह डिटर्मिन करके कलेक्टर को लिखे और कलेक्टर उसे अपने सामने रख कर रिफन्ड और रेस्टोर करने के लिए जो आवश्यक कार्यवाही है, वह कार्यवाही करे ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है मैं समझता हूं वह स्वीकार करने योग्य नहीं है योंकि जो शंका उन्होंने बतलाई है कि इसको डिटर्मिन कौन करेगा, कि कितना रिफन्ड करना है, कितना अमाउन्ट है जो मिस-रिप्रेजेन्टेशन या फाल्स स्टेटमेन्ट की वजह से जागीरदार को मिला है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रोविज़न बहुत से कानूनों में है, जिनमें प्रोविज़न है कि कन्विक्शन के बाद रेस्टोरेशन ऑफ प्रोपर्टी, रिफन्ड ऑफ अमाउन्ट कैसे होगा । ऐसा प्रोवीज़न क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड में है । मैं समझता हूं इस डिटर्मिनेशन के लिए कि कितना अमाउन्ट, किस तरह का बेनिफिट रोंगफुली ओब्टेन किया है, उसे रेस्टोर कैसे किया जायगा, इसके लिए जो उन कानूनों में प्रोसीज़र है, उसके तहत यह भी गवर्न होगा और वही ऑथोरिटी जो इस फाल्स स्टेटमेन्ट के बेसिस पर जजमेन्ट देगी वही डिटर्मिन करेगी कि इतना अमाउन्ट रिफन्ड करने के लायक है and that determination will be final. इसलिए इसमें जागीर कमिश्नर के लिए स्पेशल पॉवर देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री ने जो उत्तर दिया मैं समझता हूं कि वह उत्तर जागीर रिजम्पशन एक्ट के जितने केसेज़ हैं उनको डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए पर्याप्त नहीं है । उन्होंने यह बताया कि अगर कोर्ट यह डिसीजन देगी कि उस आदमी को सजा दी जाय जिसने गलत स्टेटमेन्ट दिया है तो कोर्ट को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत जो अधिकार मिला हुआ है उसके अन्तर्गत वह इसको भी तय करेगी कि उस स्टेटमेन्ट के के द्वारा उनको कितना लाभ पहुँचा है ?"

माननीय उपाध्यक्ष, गलत स्टेटमेन्ट साबित करना और गलत स्टेटमेन्ट के साथ-

(श्री भैरोंसिंह)

साथ उस गलत स्टेटमेन्ट से उसे कितना लाभ मिला है यह सिद्ध करना अलग अलग फैक्टर्स हैं। वहां एक व्यक्ति के कम्पेन्सेशन के सारे कागज, कम्पेन्सेशन का फाइनल अवार्ड, जागीर कमिश्नर के यहां से तय होते हैं। जागीर कमिश्नर के पास फाल्स स्टेटमेन्ट का सवाल आता है तो उस फाल्स स्टेटमेन्ट के द्वारा कितनी जमीन और कितना मनी उस आदमी ने लिया है, इस चीज का निर्णय जागीर कमिश्नर सहूलियत से कर सकता है बनिस्पत कोर्ट के। इसका केल्कुलेशन और ओन दी स्पोट इन्क्वारीवगैरह की सारी चीजें कोर्ट नहीं करसकेगा। एक आदमी ने गलत स्टेटमेन्ट दिया कि मुझे नाड़े की सिंचाई द्वारा ५०) रुपया आमदनी होती थी और जांच करने पर यह सिद्ध हुआ कि उसे केवल १०) रुपया ही आमदनी उससे होती थी तो इन दस रुपयों के लिये उसके कम्पेन्सेशन के कागज़, उसका सारा कम्पेन्सेशन का केस खटाई में पड़ जायगा। वास्तव में उसे १०) रुपये ही आमदनी होती थी और उसने फाल्स स्टेटमेन्ट दे दिया कि उसे ५०) रुपये की आमदनी होती थी तो इस गलत स्टेटमेन्ट के कारण उसकी कितनी आमदनी बढ़ी और कितनी कम होनी चाहिये, कितना कम्पेन्सेशन इस हिसाब से होता है, इस सबका केल्कुलेशन और निर्णय जागीर कमिश्नर का ऑफिस ही ज्यादा अच्छी तरह कर सकता है, बनिस्पत कोर्ट के। इसलिये मैं राजस्व मन्त्रीजी से कहूँगा कि कोर्ट के लिटिगेशन से बचाने के लिये और मामलों को जल्दी निबटाने के लिये जागीर कमिश्नर के पास ही इस तरह के मामले रखे जायं, न कि कोर्ट के पास; नहीं तो आगे जाकर कॉम्प्लीकेशन्स बढ़ेंगे। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ पर को संशोधन श्री भैरोंसिंह जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ टाइटिल, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड १, शीर्षक व प्रिएम्बल विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड

Page No.84

(श्री दामोदरलाल व्यास)

रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (एट्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दी राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिजम्प्शन ऑफ जागीर्स (एट्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

३. २. ३ म० प०

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (नवां संशोधन) विधेयक, १६५८
(खण्डश: विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान लैन्ड रिफोर्म्स एन्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (नाइन्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड रिफॉर्म्स एन्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (नाइन्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १६५८ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ २, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में मेरे संशोधन इस प्रकार हैं :

"Add the following proviso to sub-clause (b) (1) of section 8 (original Act.) :

Provided that if the amount of tribute exceeds the rental income of jagir, the formula of whichever is greater' will not apply and in such case only one sixteenth of the rental income will be payable."

उपाध्यक्ष महोदय, प्रिन्सिपल एक्ट की धारा ८, जिसमें यह निश्चित किया गया है कि जागीरदार को कितना लैंड रेवेन्यू सरकार को देना पड़ेगा, इसमें व्यवस्था की है :

"The land revenue payable by a jagirdar in respect of his jagir lands shall be-

(a) For the agricultural year 1951-52, an amount equal to the amount of tribute payable by him to the Government for that year;

(b) For the agricultural year 1952-53 each of the four succeeding agricultural years-

(i) In the case of Jagir lands, the annual rental income of which as determined under sec.6 or section 7 exceeds five hundred rupees but does not exceed five thousaund rupeeds, one-sixteenth of such rental income or the amount of the tribute which was payable by the Jagirdar for the agricultural year 1950-51, whichever is greater;

सरकार की ओर से जो संशोधन पेश किया गया है उसमें फोर इयर्स के बजाय सिक्स इयर्स किया गया है। मेरे संशोधन में पार्ट (बी) का प्रोविजो है :

(श्री भैरोंसिंह)

"Provided that if the amounth of tribute exceeds the rental income of Jagir, the formula of 'whichever is greater' will not apply and in such a case only one sixteenth of the rental income will be payable.'

मेरे संशोधन से मतलब यह होगा कि यदि किसी जागीरदार को ट्रिब्यूट की रकम जो जमा करानी पड़ती है, वह ट्रिब्यूट की रकम रेंटल इन्कम से ज्यादा होती है तो वह उससे १।१६ ली जाय और यह व्यवस्था नहीं की जाय कि 'which ever is greater.'

माननीय उपाध्यक्ष, यह कानून बनने के बाद ऐसे कई दृश्य कई जगह देखने को मिले कि जो लैंड रेवेन्यू की व्यवस्था की है, उसके अनुसार एक तरफ हमने रेंटल इन्कम मानी है और दूसरी तरफ ट्रिब्यूट माना है। ५.० और ५.१ के आगे देना है उसके लिए व्यवस्था की है कि ट्रिब्यूट ज्यादा है तो रेंटल इन्कम का १।१६ दिया जाय, रेन्टल इन्कम ज्यादा है तो ट्रिब्यूट का १।१६ पार्ट दिया जाय। मेरा संशोधन यह है कि राजस्थान में कई जागीरदार ऐसे हैं कि जिनका ट्रिब्यूट ज्यादा है, रेन्टल इन्कम से। १।१६, १।८, १।४ का क्वेश्चन नहीं है। कई जागीरदार ऐसे हैं जिनकी टोटल रेंटल इन्कम भी आज के दिन ट्रिब्यूट से कम है, तो इसके मायने यह होंगे कि जो रियायत राजस्थान के जागीरदारों को दी है उससे उन जागीरदारों को महरूम रखा है, जिनकी सेटलमैन्ट के कारण एन्युअल इन्कम कम हुई है। वैसी सूरत में मैंने यह संशोधन पेश किया है कि जिन जागीरदारों की रेन्टल इन्कम ट्रिब्यूट से कम हो वहां पर १।१६ का प्रश्न नहीं आएगा। अगर उसकी रेन्टल इन्कम ट्रिब्यूट से कम होगी, तो ट्रिब्यूट ली जावेगी और नहीं तो रेन्टल इन्कम ली जावेगी। यदि ऐसा होगा तो उनको कम्पेन्सेशन देने का कोई प्रश्न ही नहीं आवेगा, और जागीरदार को जागीर रिजम्पशन के साथ साथ ट्रिब्यूट के रूप में सारी आमदनी जमा करानी होगी। इसका मतलब यह होगा कि कम्पेननेशन का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा और न वे कम्पेन्सेशन पा सकेंगे। जो कम्पेन्सेशन उनको मिलने वाला है वह सब इसी में समाप्त हो जावेगा। इसलिये मैं माननीय राजस्व मन्त्री से निवेदन करूंगा कि जयपुर में ट्रिब्यूट रेन्टल इन्कम से ज्यादा है। अगर उनसे ट्रिब्यूट लिया गया तो उनके कम्पेन्सेशन के क्लेम्स सब समाप्त हो जावेंगे और १।१६ की बात मंजूर करते हैं तो भी जागीरदार फायदा नहीं उठा सकेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि कानून के द्वारा इस प्रकार से अन्याय होगा। न तो, मैं समझता हूँ इस प्रकार के अन्याय करने की सरकार की मंशा है और न वह करना चाहती है। इसका मतलब यही होगा कि जागीरदारों की जागीरें भी गई और कम्पेन्सेशन भी गया चूल्हे में और जो जमीन उनके पास होगी वह एक लाएबिलिटी के रूप में रहेगी। मैं समझता हूं कि राजस्व मन्त्री इसको समझ गये होंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष, इसको मंजूर नहीं करें, यही मैं निवेदन करूंगा। इस प्रकार के कई केसेज़ देखे गये हैं जिनमें ट्रिब्यूट ज्यादा है और माननीय राजस्व मन्त्री ने खुद ने कई मामलों में इस बात को मंजूर किया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि श्री भैरोंसिंहजी ने जो संशोधन दिया है उसको मान लेना चाहिये। क्योंकि ऐसे केसेज बहुत ज्यादा हैं जिनमें उनकी ट्रिब्यूट रेन्टल इन्कम से

(श्री मदनसिंह)

ज्यादा है। माननीय राजस्व मन्त्री ने खुद ने ऐसे केसेज देखे हैं और उनके पास कई रिप्रजेन्टेशन भी इस सम्बन्ध में गये हैं। इसके उपरान्त भी राजस्व मन्त्री यह समझते हैं कि इससे वे बच जाते हैं तो फिर इस संशोधन की कोई चीज ही नहीं थी मैं समझता हूं कि यह संशोधन आना चाहिये, जो श्री भैरोंसिंह जी ने रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री यहीं है अगर आप फरमावें तो इनसे जो बातें हुई है, अर्ज करूं, और कहता रहूं। मगर मैं यह समझता हूँ कि उनके लिये माननीय उपाध्यक्ष फिर फर्मावेंगे कि मकान पर जो बातें हुई उनका जिक्र यहां नहीं आना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर दो हराना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए कि डेप्युटेशन गया था, उस समय राजस्व मन्त्री ने यह कहा था, कि बड़ी बड़ी चीजें ही यहां आनी चाहिये जिनका आना जरूरी हो।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष, यहां 'हां' या 'ना' का प्रश्न नहीं है। इसके लिये पहले बिल भी आया है। जो नया बिल आया है उससे यह किसी एक वर्ग के फायदे की बात सोची जा रही है। अभी इस बात पर विचार करते हुए क्लॉज ८ में अमाउन्ट ऑफ लैण्ड रेवेन्यु पेएबल के सम्बन्ध में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रिब्यूट और रेन्टल इन्कम में बहुत बड़ा फर्क है। मैंने इस प्रकार के बहुत कम केसेज देखे हैं कि ट्रिब्यूट और रेन्टल इन्कम में फर्क नहीं हो। क्योंकि ट्रिब्यूट राजाओं के राज्य में लगाई जाती थी, मगर उस समय कोई रकम उन जागीरदारों से ली नहीं जाती थी। वह शोभा के लिये रखी जाती थी। गांवों में राजा लोग अपने नाम के लिये ज्यादा ट्रिब्यूट मुकर्रर करते थे मगर रकम वसूल नहीं करते थे। आप जोधपुर में देखेंगे पोकरण एक जागीर है उसमें कई गांव ऐसे हैं जिनकी ट्रिब्यूट २०००) ३०००) रुपये है मगर आज तक वह नहीं ली गई। इसलिए इस ट्रिब्यूट की तरफ ध्यान दिलाना और उससे फायदा उठाने की प्रवृत्ति राजाओं के समय में नहीं थी, जिसके आधार पर आप यहां यह बताना चाहते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जो कुछ है उससे कम नहीं होना चाहिये। १/१६ ऑफ रेन्टल इन्कम लिया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट है, इस सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल के स्कोप के बाहर है। जो यहां पर संशोधन पेश किया है वह इसके स्कोप में नहीं आता। जो ट्रीब्यूट का अमाउन्ट है अगर वह रेन्टल इन्कम से ज्यादा है तो १/१६ रख लिया जावे और उनसे ट्रिब्यूट नहीं ली जावे। इस संबंध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ।

३-३८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन) हूं कि मुझसे जागीरदारों का डेप्युटेशन मिला है और मैंने मंजूर किया था कि हार्ड केसेज़ हों इस तरह के, तो उन पर विचार किया जा सकता है। जहां सारा का सारा कम्पेन्सेशन इसमें काटा जाता है और जागीरदार के पास कुछ नहीं रहता है तो उस पर विचार करना चाहिए? इस पर अलग से विचार किया जाता। इसलिये इस तरह के अमेन्डमेंट्स बिल के स्कोप के बाहर हैं, इस पर विचार नही होना चाहिये। मैं इस अमेन्डमेंट का बिल्कुल विरोध करता हूं, और निवेदन करता

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हूं कि इसको पास नहीं करना चाहिये और हाउस को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, खैर है कि इतना तो राजस्व मंत्री ने माना कि अमेन्डमेंट वाजिब तो है। इस प्रकार के केसेज़ के लिये लॉ में प्रोविजन है और यदि कोई ऐसा केस आवेगा तो सरकार उस पर अलग से विचार करेगी। यह तो उन्होंने माना है कि इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह स्कोप के बाहर है, इसलिये इसको नहीं माना जा सकता...

श्री मदनसिंह : यह ट्रिब्यूट और रेन्टल इन्कम का है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह समझ कर मैंने जवाब दिया।

श्री भैरोंसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, जब राजस्व मंत्री महोदय को संशोधन से बचने का कोई दूसरा उपाय नजर नहीं आया तो इस चीज को सदन के सामने रखा है कि यह अमेंडमेंट बिल के स्कोप के बाहर है और बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनके सामने इस प्रकार के कुछ केसेज आये हैं। केसेज कैसे आये, उसकी व्याख्या करते हुए, वे सरकारी कार्य पर चले गये। मेरा प्रश्न सीधा और स्पष्ट है कि क्या सरकार की यह मंशा है कि ट्रिब्यूट की रेन्टल इन्कम की जो रकम है, वह सारी की सारी लैण्ड रेवेन्यू के रूप में वसूल कर ली जावे? मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे। इस धारा की मन्शा यह है कि कोई आदमी की रेन्टल इन्कम का १।१६ पार्ट या ट्रिब्यूट जमा कराता है या इन दोनों में से whichever is greater that will be payable as land revenue मेरा संशोधन यह है कि जहां ये दोनों व्यवस्थायें हैं वहां तो whichever is greater यह किया जा सकता है। लेकिन जहां कि १।१६ ऑफ टोटल इन्कम भी उस ट्रिब्यूट से ज्यादा है, या टोटल रेन्टल इनकम् भी उस ट्रिब्यूट से कम है, तो उसका मतलब यह हुआ कि उसको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा और वह भी उस जागीरदार को कि जिसकी जागीर का एक पैसा भी उसके पास नहीं बचता है। अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो केवल उस समय के राजाओं ने किसी प्रकार की व्यवस्था कर दी थी। मैं उनको बताऊं कि कानून में यह व्यवस्था रखी है, ट्रिब्यूट की व्यवस्था रखी है, जो कि ट्रिब्यूट उनको देना था। उन्होंने दिया या नहीं, वह एक अलग चीज़ है और जो नहीं दिया है उसको बकाया के रूप में स्वीकार किया है....

श्री मूलचन्द डागा : नहीं, उनसे लिया भी नहीं जाता था।

श्री भैरोंसिंह : वह रकम एज़ ट्रिब्यूट उनसे ली जाती थी। अब एक प्रश्न आता है कि यह कभी हो सकता है कि जागीर की आमदनी तो कम है और ट्रिब्यूट उसको ज्यादा देना पड़े। माननीय सभापति महोदय, अब मैं इसको साबित करना चाहूँगा कि आज के कुछ वर्षों पहले सैटलमेन्ट नहीं था, बटाई होती थी। बंटाई के जरिये से अनाज जागीरदारों को मिलता था। उस जागीर सिस्टम में उनको कई रियायतें मिली हुई थीं। वे रियायतें जागीर से होने वाली आमदनी, जो बंटाई के जरिये से होती थी, ज्यादा थी और ट्रिब्यूट कम था, लेकिन जब यह सैटलमेन्ट हुआ तो कई स्थानों में जहां जागीरदारों की आमदनी पांच-पांच सौ रुपये

(श्री भैरोंसिंह)

की थी वहां ऐसे भी कई स्थान हैं कि उस सैटलमेंट के द्वारा जागीरदारों की आमदनी केवल पचास-पचास और चालीस-चालीस रह गई है। तो एक पांच सौ रुपये की आमदनी के ऊपर जो ट्रिब्यूट मुकर्रर हुआ, वही ट्रिब्यूट पचास के ऊपर भी एप्लाई किया जाता है, तो उसका मतलब यह हुआ कि उस जागीरदार को नुकसान होता है। इस लिए यह संशोधन मैंने पेश किया। यह बिल्कुल स्कोप में है।

श्री दामोदरलाल व्यास: माननीय सभापति जी, मैंने एतराज किया है कि यह स्कोप के बाहर है और इसके स्कोप में नहीं आताहै। इसका फैसला आप फर्मा दें कि स्कोप में है या नहीं?

श्री सभापति: I think this decision should have been taken when the amendment was moved and now it is too late to raise it.

श्री भैरोंसिंह: मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो सोच-समझ कर कर रास्ता निकालते हैं। यह उनकी मर्जी की बात थी।

लेकिन जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कई जागीरदार ऐसे हैं कि जिनका ट्रिब्यूट उनकी रेन्टल इन्कम से ज्यादा है और इसके बेसिस पर जो उनका कम्पसेशन होता है वह टोटल ट्रिब्यूट ज्यादा होता है। तो एक तरफ तो हम रिहेबीलिटेट करने की बात करें और कम्पेन्सेशन की बात करें और इसमें यदि ट्रिब्यूट को एप्लाई कर दिया तो कम्पन्सेशन मिलेगा नहीं बल्कि इन दोनों का डिफरेन्स होगा, वह उस जागीरदार से वसूल करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री के सामने ऐसे केसेज़ हैं। ऐसा केस उनके सामने चल रहा है या नहीं, इसका तो पता नहीं। एक केस खादरोला ग्राम का है वहां के जागीरदार को ट्रिब्यूट ज्यादा देना पड़ता है। तो उसकी हालत ऐसी हो रही है कि वह न तो कम्पन्सेशन दे सकता है और न वह कोई और बात कर सकता है। ऐसी स्थिति में मैं सदन से फिर से निवेदन करूंगा कि यह 'विद इन दी स्कोप' है या नहीं, इस चीज का आश्रय न लें बल्कि वह इसके मैरिट्स पर जांय। अगर आज सदन इस संशोधन को पास कर देता है तो इससे राजस्थान सरकार को कोई लाख, दो लाख या पचास-साठ हजार का नुकसान होने वाला नहीं है। इसमें राजस्थान सरकार को ज्यादा से ज्यादा दस-बीस हजार रुपये देने होंगे, इसमें कई जागीरदारों को बड़ा परेशान होना पड़ता है। इस समय किसी जागीरदार की आमदनी सौ रुपये की है है तो किसी की दो सौ रुपये की। इस प्रकार के जागीरदारों को कम्पेन्सेशन के फार्म भी भरने मुश्किल हो रहे हैं, ट्रिब्यूट जमा कराना भी मुश्किल हो रहा है, लैण्ड रेवेन्यू भी जमा करना मुश्किल हो रहा है। अतः मैं सदन को फिर से निवेदन करूंगा कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें तो इससे कई गरीबों का फायदा हो जायेगा। माननीय राजस्व मंत्री कहेंगे कि अगर कोई हार्ड केसेज़ हैं तो वह रखे जा सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्व मन्त्री जी भी तो कानून के हाथों में बँधे हुए हैं। जब कि 'ऑफ ट्रिब्यूट या whichever is greater' इस प्रकार के प्रिन्सिपल को कानून में माना है तो मैं नही समझता कि कानून के खिलाफ वे भी किसी प्रकार का आदेश दे सकेंगे। मेरा जो संशोधन

(श्री भैरोंसिंह)

है यह बिल्कुल उपयुक्त है । वास्तव में कानून में इस संशोधन का समावेश होना चाहिए । इसी दृष्टि से मैंने यह पेश किया है । मुझे आशा है कि इसे सदन स्वीकार करेगा ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने, राजस्थान लेण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (नाइन्थ अमेन्डमेंट) बिल, १६५८ के क्लॉज में रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(मतदान के पश्चात्)

श्री सभापति : 'ना' पक्ष जीता ।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता ।

कुछ माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता ।

श्री सभापति : You prefer division.

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात् पुनः)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एण्ड रिज़म्प्शन ऑफ जागीर्स (नाइन्थ अमेन्डमेंट) बिल, १६५८ के क्लॉज़ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

खण्ड २ व ३

(विराम)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड २ और ३ स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खंड २ व ३ विधेयक के अंग बने

(विराम)

Clause 4, sub-clause (1), Amendment by Shri Bharon Singh,

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय......

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सभापति जी, मैं एतराज करता हूँ । यह अमेन्डमेन्ट जो है क्लॉज ४ के ऊपर (विराम) सर, सॉरी क्लॉज सेकिन्ड का है ।

श्री सभापति : What is that objection?

श्री दामोदरलाल व्यास : That objection, I am not putting now.

श्री भैरोंसिंह : हो, तो रख दिया जाये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप पहले मूव कर दीजिए ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) **:** माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Substitute the following for clause (c) of section 8 of the principal Act:-

C- for the agricultural year 1959-60 and subsequent years,

(i) one-fourth of the rental income from the Jagir lands, the annual rental income of which as determined under sec. 6 or 7 exceeds five thousand rupees....

श्री दामोदरलाल व्यास : clauses 2 & 3 have been accepted by the House It is clauses 2 on which the Hon.Member is reading the amendment.

श्री सभापति : You are moving an amendment to clause 4 and not to clause (2). Clauses 2 and 3 have already been accepted by the House.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, क्लॉज़ ४ में मेरा अमेन्डमेन्ट है :

" (i) one fourth of the rental income from the Jagir lands, the annual rental income of which as determined under sec. 6 or 7 exceeds five thousand rupees.

(ii) one-eighth of the rental income from the Jagir lands the annual rental income of which as determined under sec. 6 or 7 exceeds five hundred rupees but does not exceed five thousand rupees."

श्री सभापति : Clauses two and three of the Amendment Bill have been passed and we are now on clause four and so you move your amendment no. 3, I mean the last amendment.

श्री भैरोंसिंह : यह मूव नहीं किया है और मेरा ख्याल है, अब तक इन क्लॉजेज़ के बारे में डिसीजन भी नहीं हुआ है ।

श्री सभापति : You should have moved on clause 2. I mean the clauses two and three have been accepted by the House.

श्री भैरोंसिंह : यहां, सभापति महोदय, मुझे थोड़ा सा मुगालता रह गया है । मैं इस ख्याल में था कि क्लॉज़ २ में अभी अमेन्डमेन्ट रखे नहीं गये हैं ।

श्री सभापति : I am not to be blamed for that.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ ४ (१) में इस प्रकार हैं :

"(1) Sub-clause (1) : Delete this Sub-clause (proposed proviso)"

(2) Sub-clause 2 (a).

Delete the words "or in relation to Jagir lands resumed on or after the twentieth day of August, 1958."

इस प्रोविज़ो में है : "Provided that, as from the twentieth day of August, 1958 and in relation to Jagir lands resumed on or after that day, the expression 'basic year' means the agricultural year in which the date of resumption falls."

मैंने जो संशोधन पेश किया है उसका मतलब यह है कि प्रोविज़ो को डिलीट किया जाय। सभापति महोदय, जिस समय जागीर रिजम्शन एक्ट पास हुआ था, सरकार के बीच में और जागीरदारों के बीच में समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार सरकार ने यह तय किया था कि जागीरदारों को कम्पन्सेशन देने के लिये कि किस वर्ष को "बेसिक इयर" माना जायगा, इस "बेसिक ईयर" को मानने के लिये शिड्यूल २ में यह व्यवस्था थी :

"The expression 'Basic year' means the agricultural year immediately preceding the agricultual year in which the date of resumption falls."

(श्री भैरोंसिंह)

अब जो सरकार द्वारा संशोधन पेश किया गया है उसके द्वारा होगा "The expression 'basic year' means the agricultural year in which the date of resumption falls." तो पहले जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार जिस वर्ष में जागीरें खत्म हुई उस जागीर के पहले वाले एग्रीकल्चरल इयर को बेसिक इयर माना है और नयी व्यवस्था के अनुसार जिस तारीख को जागीरें खत्म होती हैं और जो तारीख पड़ेगी वही एग्रीकल्चरल बेसिक इयर माना जायगा। जिनकी जागीरें सन् १६५८ में खत्म हुई उन जागीरों के लिये बेसिक इयर माना जायगा सन् १६५८ के बाद का जो एग्रीकल्चरल इयर आता है वही एग्रीकल्चरल इयर माना जायगा। और सन् १६५८ से पहले जिनकी जागीरें खत्म हुई, उनके लिये एक साल पहले का एग्रीकल्चरल इयर माना जायगा। यह मोटा फर्क क्यों रखा गया है, इसका कारण तो राजस्व मन्त्री बतायेंगे, लेकिन कानून के जरिये हम दो प्रकार की व्यवस्था करें और वह दोनों प्रकार की व्यवस्था इसलिये की जाय कि इस पहली व्यवस्था के अनुसार ५०० से ऊपर की जागीरें हैं, उन जागीरदारों को लाभ हो जाय। दूसरी व्यवस्था के अनुसार जिनकी जागीरें पांच सौ से कम हैं, उनको फायदा नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार के दृष्टिकोण से यह सारी व्यवस्था हो रही है। सन् १६५८ में जो जागीरें खत्म हुई थीं, वे ५०० रुपये से नीचे की थीं। उनके लिये बेसिक इयर माना जायगा १६५८ का एग्रीकल्चरल इयर और इससे ऊपर की जो जागीरें खत्म हुई हैं, उनके लिये एग्रीकल्चरल इयर एक साल पहले का माना जायगा। हम जिस कानून के द्वारा जागीरों के रिजम्प्शन की व्यवस्था कर रहे हैं, उस कानून के तहत छोटे जागीरदारों को जहां राहत पहुँचाने की बातें कर रहे हैं, वहां मेरी समझ में यह नहीं आया कि बेसिक इयर का एक्सप्रेशन बता कर यह व्यवस्था क्यों की है? इसमें एक रहस्य है कि जितने भी बड़े जागीरदार है, उनकी आमदनी, जिस साल जागीरें खत्म हुई, उस साल की कैलकुलेट नहीं की गई, डेढ़ साल पहले की केलकुलेट की है। और जहां सेटलमेन्ट नहीं हुआ, तो उसे अनसेटल्ड माना जायगा। डेढ़ साल पहले जागीरदार की जो आमदनी थी वह कानून के जरिये आमदनी नहीं हो सकती, वह उनकी इन्कम मानी जायगी। जहां एक तरफ तो आप एक जागीरदार को फायदा देते हैं कि डेढ़ वर्ष पहले तुम्हारी आमदनी थी, उसी के आधार पर कम्पनसेशन मिलेगा। न्याय की दृष्टि से वह फायदा राज्य सरकार देना चाहती है, तो जिन जागीरों का रिजम्प्शन १६५८ में हुआ है, जिनकी आमदनी ५०० से कम है, उनको भी इस प्रकार का फायदा होना चाहिये। उनको लाभ किसी प्रकार से नहीं मिले और बड़े बड़े जागीरदारों लाभ मिलता रहे यह कहां तक ठीक है। राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं, जिनका टलमेन्ट नहीं हुआ, इसके कारण कई जागीरदारों की कई दिन तक जागीरों को रिज्यूम नहीं किया गया। जयपुर जिले के अन्दर जयपुर तहसील है और जयपुर में, जहां राजस्थान की राजधानी है, वहां सेटलमेन्ट विभाग रहता है, राजस्व मन्त्री महोदय रहते हैं, वहीं इस जयपुर के पास में जयपुर तहसील है, उस जयपुर तहसील का सैटलमेन्ट नहीं हुआ और जागीर रिजम्प्शन की कार्यवाही सन् १६५४ में और सन् १६५३ में ही चालू हो गई थी। हाईकोर्ट में रिट दायर करने के बाद १६५४ में अमेन्डमेन्ट आया। उस समय से यह बराबर तकाजा किया जा रहा है कि

(श्री भैरोंसिंह)

सैटलमेन्ट जल्दी से जल्दी किया जाय, इन्कम का डिटर्मिनेसन किया जाय, लेकिन यह आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जयपुर तहसील का सैटलमेन्ट नहीं हुआ। वह क्यों नही हुआ ? लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे गैर राजपूत जागीरदार थे और कुछ काश्मीरी ब्राह्मण जागीरदार थे और उस समय के तत्कालीन सैटलमेन्ट कमिश्नर कश्मीरी थे, उन्होंने इस बात की व्यवस्था की कि जब तक मैं सैटलमेन्ट कमिश्नर हूँ, तब तक जयपुर तहसील का सैटलमेंट नहीं होने दूंगा। जयपुर तहसील के आसपास की जागीरें खत्म हो जायगीं, तो इस सेटलमेन्ट के जरिये अमुक जागीरदार को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से ढील होती रही और पिछली साल जाकर के उन जागीरों का रिजम्प्शन हुआ।

४ म० प०

जब कि उनके साथ की जागीरें बहुत दिन पहले रिज्यूम हो गई। आप ताज्जुब करेंगे, अगर मैं नाम बताऊं, हालांकि नाम बताना भी अच्छा नहीं होगा, पर सारे संशय को दूर करने की दृष्टि से नाम नहीं बताने से भी काम नहीं चलेगा। जयपुर में जागीर थी, और नॉन राजपूत की थी। उन जागीरों का सैटलमेन्ट नहीं किया गया, जानबूझ कर डिले की गई, टाला गया और उस सारे सैटलमेन्ट के प्रोसेस की जांच अगर मन्त्री महोदय करें कि इनका सैटलमेंट होकर क्यों नहीं ये रिज्यूम हुई। तो मैं नहीं समझता कि कोई कारण सामने नहीं आवेगा कि जिसकी बिना पर वे कह सकें कि डिले इस कारण हुई। वह अटलजी की जागीर है, इसलिये देर की गई। तीन जागीरें और हैं। उनके नाम बताना ठीक नहीं होगा, पर इतना कह दूं कि तीनों ब्राह्मण जागीरदार हैं। जो रिजम्प्शन के मामले लेकर एजेन्सी वर्क कर रही हैं, उससे किसी न किसी प्रकार से वे रिलेटेड हैं और इस तरह से वे जागीरें खतम न हों, इस प्रकार की व्यवस्था हुई और सैटलमेन्ट को इस हिसाब से डिले किया गया और तीन वर्ष तक डिले करके उन जागीरों का पूरा पूरा फायदा उठाने की उनको छूट दी गई। इन कारणों से मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार के कानून सरकार बनावे और यह कहे कि डेढ़ वर्ष के पहले की आमदनी को मल्टीप्लाई करके जो कम्पन्सेशन मिलना है, वह मिलेगा और छोटे जागीरदार जिनका सैटलमेन्ट ३ महीने पहले हुआ या पिछले वर्ष जिनका सैटलमेंट हुआ, वे वह लाभ नहीं उठा सकते। इस तरह का हमारे राजस्व मंत्री महोदय प्रगतिशील कानून बनाते हैं। गरीबों के साथ न्याय का अजीब तरीका है। इन छोटे जागीरदारों को न्याय देने का यह ढोंग रच रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा कि इस कानून से अगर नफा नुकसान होना है, तो सबको एक सरीखा मिले, छोटे या बड़े जागीरदार, सबके लिये एक सा कानून होना चाहिये। आप कानून में इस तरह का भेद-भाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। आप बड़ों को ज्यादा कम्पन्सेशन देने की तो व्यवस्था करते हैं, उनके साथ आपको पूरी हमदर्दी है और नीचे वाले छोटे जागीरदार अगर एक वर्ष का भी फायदा उठावें तो कानून बनाकर, संशोधन लाकर आप उसको सीमित कर रहे हैं कि एक वर्ष का भी वे फायदा न उठाएं तो यह बड़े अफसोस की बात है कि जो सरकार समाजवादी समाज की रचना का दम भरती है और दावा करती है कि वह अमीर को नीचे लाना चाहती है और गरीब को थोड़ा ऊंचा उठाना

Page No.93

(श्री भैरोंसिंह)

चाहती है, तो उसका एक जबरदस्त नमूना यह आपके सामने प्रस्तुत है। आपकी कथनी और करनी में कितना अन्तर है, इसका यह एक नमूना है। वे लाखों जागीरदार जिनकी आमदनी ५००) रुपये से भी कम है, वे इससे प्रभावित होंगे। उनको जो कम्पेन्सेशन मिलने वाला था, उसमें कटौती होगी। मैं राजस्व मंत्री महोदय से जोर से निवेदन करूंगा कि जहां बड़े जागीरदारों के लिये आपने एक साल पहले की आय को बेसिक माना है वहां इन छोटे जागीरदारों के लिये भी उसी को बेसिक मानें। यह डिस्क्रिमिनेशन न करें। एक ही कानून में दो तरह की दो व्यवस्थाएं न करें। आप बहुमत के जोर पर यह भेद भाव न चलावें। जिन लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनकी संख्या कम है बल्कि जिनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे छोटे जागीरदार इसकी एवज में आपको अधिक धन देने वाले हैं, वहां बड़े बड़े जागीरदार सरकार से ज्यादा धन खींचना चाहते हैं। यह डिस्क्रिमिनेटरी लॉ अगर सदन पास करता है तो मानना पड़ेगा कि लाखों छोटे भूस्वामियों के साथ अन्याय करना चाहते हैं। इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को डिलीट करने का मेरा जो संशोधन है उसे स्वीकार किया जावे।

दूसरा मेरा संशोधन है :

"Delete the words or in relation to Jagir lands resumed on or after the twentieth day of August, 1958,"

यह भी मैं समझता हूं कि इससे सम्बन्धित है। आगे चल कर क्लाज ४ (ii) के सब क्लॉज (ए) में लिखा है :

"(a) in sub-clause (a) after the words from 'occupied lands,' the words which accrued to him, or in relation to Jagir lands resumed on or after the twentieth day of August, 1958, would have accrued to him but for the resumption thereof shall be inserted." यह तो, माननीय सभापति महोदय, स्वीकार हो जाता है क्योंकि कान्सीक्वेन्शल अमेंडमेंट है। अपने आप ही स्वीकार हो जावेगा। ऐसी स्थिति में अपने ये संशोधन प्रस्तुत करते हुए सदन से निवेदन करूंगा कि वह इन छोटे जागीरदारों के साथ अन्याय करने वाले संशोधन को स्वीकार न करते हुए, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है; इसे स्वीकार कर लें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : सभापति महोदय, जो संशोधन माननीय सदस्य ने पेश किया है, श्री माधोपुर से आने वाले सदस्य ने, मैं समझता हूँ कि यह संशोधन इसमें ठीक नहीं बैठता। इसकी वजह यह है कि जो ईयर की डेफीनिशन तय की है, उसमें अब तक हमने रिजम्पशन से पहले के साल को बेसिक ईयर माना है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि इससे नुकसान का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब हमने रिजम्पशन को जल्दी करने के लिये यह रक्खा है और कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रिज़म्पशन तो वैसे ही हो गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं समझ रहा हूं। आप समझ लीजिये। फिर बाद में कहियेगा, आपको मौका है। हमने सैटल्ड जागीरें रिज्यूम की हैं, तो बेसिक इयर के लिये उसकी डेफीनिशन में नेस्ट इयर तक इन्तजार करना पड़ता है अगर उसको रखते

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है, इसलिये हमने यह चेन्ज की है। बेसिक इयर वह होगा, जिसमें रिज़म्प्शन किया जावे। सैटलमेंट की रेट फिक्स्ड है। साल भर पहले की या डेढ़ साल पहले की रखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। रेट्स फिक्स्ड हैं,फ्लक्चुएट नहीं करतीं तो इससे कम्पेन्सेशन में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

भैरोंसिंह : पिछले साल जिनका सैटलमेंट हुआ है उनको बटाई पर कम्पेन्सेशन मिलेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपका गलत खयाल है। पिछले साल जिनको रिज्यूम किया, उनको सैटल्ड रेट से कम्पेन्सेशन दे रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने दिया है, दूदू ठिकाने को अभी।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, नहीं दिया। अभी बीच में ही पड़ा है वह तो। कुछ नहीं मिला है उनको तो अभी।

श्री भैरोंसिंह : आपकी तरफ से तो देने की सभी व्यवस्था हो गई थी, वह तो एतराज किया गया इसलिये रुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा था कि छोटे जागीरदारों को नुकसान होने का कोई सवाल नहीं है। सैटल्ड इन्कम का जो कम्पेन्सेशन इस साल की बेसिक इयर में मिलेगा, वही किसी भी साल की इन्कम पर मिलता। इन्कम सेटल्ड है। अनसैटल्ड नहीं है। इसलिये यह कहना कि उनको नुकसान होगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ एक्सपीडिशाली काम हो, इस मंशा से यह चेन्ज की जा रही है और कोई वजह नहीं है। यह मैं अदब के साथ सदन को निवेदन कर देना चाहता हूं कि बेसिक इयर की डेफीनिशन से किसी को कोई नफा-नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिये जो संशोधन पेश किया गया है, उसको मैं अपोज करता हूं। मैं अपने पक्ष में इतनी बात और कह देना चाहता हूं कि बेसिक इयर की डेफीनिशन चेन्ज करने का मतलब सिर्फ इतना है कि जितने जागीरदार बाकी बचे हैं और जिनका सैटलमेंट नहीं हुआ, किसी भी कारण से उनका जल्दी से सेटलमेंट हो जाय और रिज्यूम कर ली जावें।

ये जो जयपुर, बस्सी, सांगानेर तहसील की शिकायतें कर रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह : वे तो पहले ही रिज्यूम हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : पूरी जानकारी कर लीजिये। मैं बता रहा हूं, इसको सुन लीजिये। बहुत सी बड़ी जागीरें ऐसी हैं जिनका सैटलमेंट देर से हुआ इसलिये बेसिक इयर की डेफीनिशन चेन्ज कर रहे हैं, जिससे इनके प्रोसेस में देर लगने वाली है, वह न लगे। बाकी छोटे जागीरदारों को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि उनकी तो इन्कम बहुत पहले सैटल्ड हो चुकी और उसी के बेसिस पर उनको कम्पेन्सेशन मिलने वाला है। पहले साल भी यही इन्कम थी व आने वाले साल भी यही इन्कम होगी। इसलिये यह कहना कि लाखों भूस्वामियों को नुकसान पहुंचेगा ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का इम्प्रेशन माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने अपने उत्तर में दिया, मैं समझता हूं कि वह यदि सदन के बाहर बतलाते तो ज्यादा अच्छा होता या

Page No.95

(श्री भैरोंसिंह)

जागीर रिजम्प्शन के कानून से अनभिज्ञ लोगों में जाकर वह बात करते, तो जरूर लोग उनकी तारीफ करते और यह कह देते कि जागीरदारों का जितना दर्द माननीय राजस्व मन्त्रीजी के दिल में है उतना भारतवर्ष के किसी व्यक्ति के दिल में नहीं है । लेकिन जो बात उन्होंने कही यदि वह बात जानबूझ कर कहते हैं तब तो मैं समझता हूं कि उन्होंने केवल इस संशोधन से बचने की गरज़ से कहा । अगर जानबूझ कर नहीं कहा और अपनी जानकारी से, जिस प्रकार का यह कानून है, उसका उसी प्रकार से अभिप्राय बताया, तो मैं समझता हूं कि कहीं गलती है समझने में । ऐसी स्थिति में मैं फिर इस संशोधन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया, वह मैं समझता हूं कि बिलकुल गलत है कि बेसिक इयर बदलने से जागीर रिज़म्प्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा । जो सरकार आज किसी की जागीर रिज्यूम करना चाहे, क्यों कि बेसिक इअर का एक्सप्रेशन लास्ट प्रिसिडिंग इअर से ले रखा है, इस कारण से रिजम्प्शन के ऑर्डर में कोई दिक्कत पेश नहीं होगी मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत सी बात है । राजस्व मन्त्रीजी यदि यह कहें कि बेसिक इअर नहीं बदली जाती, तो जागीर रिज्यूम नहीं होती । और रिजम्प्शन जल्दी से जल्दी हो, इस आधार पर बेसिक इअर बदली गयी है, मुझे अफसोस होता है इस प्रकार की बात सुनकर और खास तौर से माननीय राजस्व-मंत्रीजी के मुंह से सुन कर । बेसिक इअर का मतलब ऐसा नहीं है कि जागीर रिजम्प्शन का क्या आधार हो, बेसिक इअर का मतलब यह नहीं है कि जागीर रिज़म्प्शन किस तरीके से की गई है, बल्कि बेसिक इअर इसलिए प्रेस्काइब किया जाय कि कौन से साल की आमदनी को आधार मानकर उस आधार पर कम्पेन्सेशन का केल्क्युलेशन हो, और वह कम्पेन्सेशन कम्पेन्सेशन के रूप में जागीरदारों को मिले ।

माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कहा कि इस बात से भूस्वामियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा । लेकिन जयपुर तहसील में जिन जागीरदारों की आपने जागीरें रिज्यूम की उनके लिए उन्होंने कहा कि ३१ अगस्त, १६५८ से पहले जिन जागीरदारों को सरकार लाभ पहुंचाना चाहती थी, उनका पिछले वर्ष सेटलमेंट नहीं किया, और जब से इस अमेंडमेंट को लागू करने की व्यवस्था की और फिर रिजम्प्शन करने के लिए उनके लिए व्यवस्था कर दी कि वे प्रिसिडिंग इयर से लाभ उठायें । राजस्व मन्त्रीजी ने यह कहा कि इस प्रकार की बात नहीं है तो आप टेलीफोन करके देख लें कि जिन लोगों को बचाने के लिए ३१ तारीख निश्चित कर दी, उन लोगों से कह कह दिया कि जो जागीरें ३१ अगस्त से पहले रिज्यूम होती हैं और पिछले वर्ष जहां सेटलमेंट नहीं हुआ और जो बंटाई ले रहे थे, उनको उस बंटाई पर कम्पेन्सेशन मिलेगा, और इस बेसिक इयर के एक्सप्रेशन को इस अमेंडमेंट से बदलने के बाद ३१ अगस्त, १६५८ के बाद जागीरें रिज्यूम होती हैं, उसका मतलब यह है कि इस साल सेटलमेंट हो गया और उसी सेटलमेंट के आधार पर उनको कम्पेन्सेशन मिलेगा, तो यह स्पष्ट रूप से पक्षपात है । फिर प्रश्न यह आता है कि भूस्वामियों और छोटे जागीरदारों पर कोई असर नहीं होने वाला है, मैं सभापति महोदय, उनके कहने के अनुसार जिस जयपुर तहसील के अन्दर सेटलमेंट नहीं था, उस जयपुर तहसील के अन्दर जिन छोटे जागीरदारों की जागीरें इस वर्ष

(श्री भैरोंसिंह)

के अन्दर रिज्यूम की है, यदि बेसिक इयर का वही इयर होता है, जिस बेसिक इयर से बड़े बड़े जागीरदारों ने लाभ उठाया तो जयपुर तहसील के छोटे जागीरदारों के लिए भी उस बेसिक इयर यानी एक साल पहले की आमदनी के ऊपर जब कि सेटलमेंट नहीं हुआ था और बंटाई के हिसाब से लगान लिया करते थे, उस बंटाई के ऊपर, कम्पेन्सेशन लागू करें। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वे गरीब बंटाई पर कम्पेन्सेशन नहीं ले सकेंगे, जो कि जयपुर तहसील के बड़े बड़े जागीरदारों ने लिया है या जिन पर सरकार की महरबानी थी, वह ले सकें, इस प्रकार की व्यवस्था राजस्व मन्त्री ने की है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था जिस समय होगी तो कई भूस्वामियों पर उसका असर होगा। बेसिक इयर बदलने से जागीर रिजम्प्शन पर कोई असर नहीं होता, इस बेसिक इयर से कई जागीरदारों के मुआवजे के ऊपर ऐसा असर नहीं पड़े कि जिससे ज्यादा मुआवजा मिलेगा। हमारी सरकार ने ३१ अगस्त, १९५८ तक छोटे जागीरदारों को खत्म करने के लिए एक तारीख निश्चित कर दी। इसका मतलब यह है कि इस अगस्त के अन्दर १९५७, ५८ का एग्रीकल्चरल इयर है। इस इयर के अन्दर छोटी छोटी जागीरें खत्म होती हैं तो उस इयर के अन्दर जो सेटल्ड इन्कम है, उस बेसिस पर वे एप्लीकेशन देंगे, अपने क्लेम सबमिट करेंगे, और आप उनको मुआवजा देंगे। लेकिन कुछ लोगों पर, जिन लोगों को मिल सकता था, यदि यही बेसिक इयर जो पिछले एक्ट का है, जिस बेसिक इयर के आधार पर, बड़े बड़े जागीरदारों को मुआवजा मिला है, यदि इसकी परिभाषा में परिवर्तन नहीं होता है, तो सबसे अधिक असर भूस्वामियों पर और छोटे छोटे जागीरदारों पर होगा, क्योंकि उनके सेटलमेंट की आमदनी पर नहीं करके उन लोगों के अनुसार, उन जागीरदारों के अनुसार, जो अनसेटल्ड होने के कारण कई दिनों से बंटाई ले रहे हैं और प्रिसिडिंग इयर का बहाना लेकर बटाई पर कम्पेन्सेशन लेंगे, उसी प्रकार से छोटे छोटे जागीरदार, भूस्वामी कम्पेन्सेशन लेते। लेकिन राजस्व मन्त्री जी ने कहा है, उसका उसके पास कोई कारण नहीं था, उनके पास कोई दलील नहीं थी कि बेसिक इयर क्यों बदला जा रहा है। उनके पास यही दलील थी कि जागीर रिजम्प्शन में तकाजा हो। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से इस सदन में दलील देने से न तो दलील देने वाले के लिए शोभा कि बात होती है और न इस सदन के लिए शोभा की बात होती है। रिजम्प्शन के प्रोसीजर के समय, उस स्थिति में बेसिक इयर को बदलना सही नहीं था। जिस समय जागीरों का रिजम्प्शन किया, बड़े बड़े जागीरदारों की जागीरों का रिजम्प्शन किया गया और ५००) रु० से ऊपर की जितनी जागीरें जाती हैं, उन सब का रिजम्प्शन उसी बेसिक पर किया गया है, तो ५०००) रु० के ऊपर आकर बेसिक इयर के फार्मुला को बदल देने का मतलब है कि वे बाकी के बचे हुए लोग बेसिक इयर के फार्मुले से लाभ नहीं उठा सकेंगे। अगर आपने अमेन्डमेन्ट कर दिया तो मैं कहूँगा कि पन्तजी का समझौता कैसा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन, जो इस सदन में, दिये थे कि छोटे जागीरदारों के साथ रियायत की जायगी, छोटे जागीरदारों के साथ समानता का व्यवहार किया जायगा, छोटे जागीरदारों के रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार उदारता से विचार करेगी, वह कहां गया? मुझे ऐसा लगता

Page No.97

(श्री भैरोंसिंह)

है कि जिस समय वे आश्वासन दिये गये, पन्त एवार्ड दिया गया उसमें बेसिक इयर का एवार्ड दिया गया, सरकार से हुए समझौते में जो बेसिक इयर दिया, गया ये सारी बातें राजस्व मन्त्रीजी छोड़कर आज ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस व्यवस्था से कई जागीरदारों पर, खास तौर से छोटे जागीरदारों पर विपरीत असर होने वाला है । मैं राजस्व मन्त्रीजी से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है । जागीरें रिज्यूम होगई और मुआवजा देना चाहते हैं तो क्यों नहीं उसी परिभाषा को स्वीकार कर लेते हैं जो इस एक्ट में पहले थी । गवर्नमेन्ट को यदि इससे फायदा हो रहा है और उस फायदे को वे नगण्य समझते, तो इस प्रकार का संशोधन क्यों लाते ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा सदन से कि जो संशोधन मैंने पेश किया है उसको स्वीकार किया जाय, क्योंकि यदि वह स्वीकार नहीं किया गया तो गरीबों के साथ अन्याय होगा, जिस अन्याय को बर्दाश्त करने की भगवान् उनको शक्ति अवश्य देंगे, लेकिन विधान सभा की उससे तारीफ नहीं होगी । अगर ऐसा करते हैं तो राजस्व मन्त्रीजी को इन सारे आश्वासन, जो अभी तक दिये गये थे, उनके भंग होने के अन्याय से मुक्त बनायें । मैं राजस्व मन्त्री जी से पुन: निवेदन करूंगा और भगवान् से प्रार्थना करूंगा कि वे उन्हें सद्बुद्धि दें कि इस प्रकार से छोटे जागीरदारों के हक को न मारें । अगर इस प्रकार के संशोधन को पास कराने की उनकी मर्जी है, और बहुमत का दुरुपयोग करके संशोधन को पास कराते हैं तो करायें, लेकिन राजस्थान की अधिकांश जनता और सोशलिस्टिक पेटर्न में विश्वास रखने वाली जनता, गरीब और अमीर में डिफरेन्शियेट करने वाली व्यवस्था को स्वीकार करने वाली जनता इस कानून को स्वीकार करने वाली नहीं है । अन्त में मैं सदन से कहूंगा कि यदि माननीय राजस्व मन्त्रीजी को किसी प्रकार से सद्बुद्धि न मिले तो सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करके उनमें इस प्रकार से सद्बुद्धि लाये ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने क्लॉज़ ४ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात्) "ना" पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह : "हां" पक्ष जीता ।

(मत-विभाजन घन्टी के पश्चात् पुन:)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने क्लॉज़ ४ में रखा है उसे स्वीकार किया जाय ।

(मतदान के पश्चात् "ना" पक्ष जीता ।)

श्री भैरोंसिंह : "हां" पक्ष जीता ।

श्री सभापति : I mean I can count, they are three times more in number.

श्री भैरोंसिंह : बात यह है कि लोबीज़ में जायेंगे तो कुछ लोग गेलेरी के मुंह तक पहुँचेंगे कि बाहर चले जायेंगे और कुछ यहां बैठे रहेंगे । I claim a division, Sir.

श्री सभापति : Those who are in favour of this amendment may please stand on their seats.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यहां पर खड़े रहने की व्यवस्था है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि लोबीज़ में जाने की अनुमति दी जाय ।

श्री सभापति : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, If you seriously contest it.

श्री भैरोंसिंह : लोबीज में जाते समय कुछ फरार हो जायेंगे और यहां पर खड़े करेंगे तो उनको भी खड़ा होना पड़ेगा।

श्री सभापति : I agree to it. 'Noes' this way and 'Ayes' that way please.

(मत-विभाजन के पश्चात्)

जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसके पक्ष में ६ और विपक्ष में ३४ मत हैं। अतः संशोधन गिर गया।

[मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा :

"हां" पक्ष

श्री अनूपसिंह
श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)
श्री दयाकृष्ण विजय
श्री लक्ष्मीचन्द
ठा० श्री मदनसिंह (दांता)
कुंवर श्री मंगलसिंह
श्री रामनारायण वर्मा
श्री तनसिंह
श्री वीराराम।

"ना" पक्ष

श्री अब्दुल गफ्फारखां
श्री बद्रीप्रसाद गुप्त
श्री भैरवलाल 'काला बादल'
श्री भीमसेन
श्री बृजमोहनलाल शर्मा
श्री दलीपसिंह
श्री दामोदरलाल व्यास
श्री देवा गिरासिया
श्री देवीलाल
श्री गोकुलचन्द जाटव
श्री गोपीसहाय
श्री ज्ञानचन्द मोदी
श्रीमती कमला श्रोत्रिय
श्री किशनलाल शर्मा
श्री किशनसिंह बाटड़
श्री लालूराम टटवाड़िया
श्री लालसिंह शक्तावत
श्री लक्ष्मण हीरात
श्री मूलचन्द डागा
श्री नरोत्तमलाल जोशी
श्री नाथूराम
श्री नाथूराम मिर्धा
श्री निरञ्जननाथ आचार्य
श्री फूलाभाई
श्रीमती प्रभा मिश्रा
श्री रामचन्द्र
श्री सम्पतराज जैन
श्री शिवनाथसिंह
श्री श्रीनिवास शारदा
श्री सोहनलाल भटनागर
श्री शोभानसिंह
श्री सूबेदारसिंह
श्री उमेद
श्री वली मोहम्मद]

(विराम)

क्लॉजेज़ ४ व ५.

(विराम)

Page No.99

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ चार और पांच स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ व ५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल, टाइटल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

खण्ड १, प्रिएम्बल, शीर्षक इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव किया है, मैं उसका विरोध करता हूं। यहां जो संशोधन विधेयक इस सदन में पेश हुआ और उसके सम्बन्ध में जो बहस हुई, उससे कुछ ऐसा लगता है कि सरकार पर कुछ ऐसे तत्व हावी हो गये हैं जिन तत्वों के सामने कुछ छोटे जागीरदारों के हित का दृष्टिकोण नहीं है। मुझे सत्तारूढ़ दल की ओर से बैठने वाले कतिपय माननीय सदस्यों का वह भाषण याद आता है, जिसके द्वारा उन्होंने कहा था कि सन् १९५४ के बाद कोई प्रगतिशील कानून नहीं बना। उन्होंने शायद अपनी बात की पुष्टि में कुछ कहा या नहीं लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कुछ बात कही थी उस बात का आधार है और उस बात के आधार को मानने का कारण, वह कारण है जो इस संशोधन के द्वारा सामने आया है। कारण यह हो सकता है कि कुछ लोग सरकार पर ऐसे हावी हो चुके हैं, जिनको सरकार नाखुश नहीं कर सकती। जिनको सरकार किसी प्रकार भी हो, खुश रखना चाहती है, राजनैतिक कारणों से लाभ उटाना चाहती है, आज सरकार उनके इशारे पर काम कर रही है। जागीर रिज़म्प्शन का जो प्रश्न आया था, उस जागीर रिज़म्पसन के प्रश्न के कारण राजस्थान में जिस प्रकार की व्यवस्था हुई, उस व्यवस्था के द्वारा यह बात थी कि छोटे भूस्वामी जितने भी हैं, उनको हम जागीर रिज़म्प्शन के बाद कम्पन्सेशन के नाम पर, या रिहेबिलिटेशन के नाम पर ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचायें। सरकार ने मोटे रूप से इस सिद्धान्त को अपनाया, सिद्धान्त अपना कर कानून बनाया, कानून बनाकर छोटे भूस्वामियों को ज्यादा रकम मिल सके, इस प्रकार की कानून में व्यवस्था की लेकिन यह जो संशोधन विधेयक आया, उस संशोधन विधेयक में सिरे से लेकर अंत तक इस बात की कोशिश की है कि छोटे भूस्वामियों के साथ जितना अन्याय किया जा सके, उतना किया जाय। तो कुछ ऐसा लगता है कि सरकार के सामने छोटे भूस्वामियों और बड़े स्वामियों और बड़े जागीरदार, इस प्रकार के दो तत्व ही आज काम कर रहे हैं। एक तत्व हमारे राजनैतिक दल जिस राजनैतिक दल की सत्ता है, से बाहर है। दूसरा तत्व जो बड़ा तत्व है, बड़े जागीरदारों का जो तत्व है, वह बड़े जागीरदारों का तत्व आज सरकार के पक्ष में है, सरकार के कहने के अनुसार, सरकार के आदेश के अनुसार राजनैतिक कार्यक्षेत्र में, सामाजिक कार्यक्षेत्र

Page No.100

(श्री भैरोंसिंह)

में, किसी भी क्षेत्र में सरकार के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो सरकार अब चाहती है कि जो तत्व हमारे साथ में हैं, उसे जिस प्रकार हम-आदेश दें, राजनैतिक क्षेत्र में काम करने का, अमुक व्यक्ति को वोट दिया जाय, इस प्रकार की बात करने का, राजनैतिक दल के अन्दर उसके फन्ड्स के अन्दर कुछ सहायता दी जाय, यह काम करने का, जो दल इस प्रकार के आदेशों का पालन कर सके, वह दल मैं समझता हूं सरकार पर हावी हो चुका है और उस दल की यह प्रतिक्रिया हुई कि उस दल के सामने से उनके हित का दृष्टिकोण निकल गया कि बाकी जागीरदारों के ऊपर चाहे कितना ही विपरीत प्रभाव पड़े, उस पर हमारी सरकार और वे तत्व किसी प्रकार से विचार करने को तैयार नहीं हैं। मुझे इस बात का अफसोस है कि जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है, उसकी मंशा यह है, दो क्लॉजेज में जो संशोधन हुए हैं, उन दो क्लॉजेज़ की मन्शा यह है कि हमने फोर सक्सीडिंग इयर्स का लैंड रेवेन्यु पीरियड तय किया है, यानि १६५०-५१ के बाद चार वर्ष में, वर्ष के अन्दर लैंड रेवेन्यु पूर्ण होगा। लेकिन अब चार ईयर्स के स्थान पर छ: वर्ष किया है। यह बात समझ में आ सकती है कि जागीर रिजम्प्शन १६५७-५८ तक पूरा नहीं हो सका, १६५८-५६, १६५६-६०, में खत्म होगा, इसलिए फोर सक्सीडिंग इयर्स के स्थान पर ६ वर्ष सक्सीडिंग इयर्स, इसमें करना चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही साथ सरकार से मांग की जाय कि जिन जागीरदारों को रेंटल इन्कम से ज्यादा ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, जिनको एक पैसा कम्पन्सेशन नहीं मिल सका, एक पैसे की रिहेबिलिटेशन ग्रान्ट नहीं मिल सकी, उन जागीरों को रियायत दी जाय तो राजस्व मंत्रीजी कहते हैं कि यह अमेंडमेंट के स्कोप की बाहर की चीज है। मैं मानता हूं कि उन्होंने अमेंडमेंट को स्कोप के बाहर बतलाया, लेकिन उस चीज से एक गरीब पर असर पड़ता है, मैं हजारों और लाखों की बात नहीं कहता, यदि किसी कानून के कारण एक गरीब आदमी को नुकसान उठाना पड़ेगा, तो मैं समझता हूं कि कानून का मोटा दृष्टिकोण यह है कि गरीब को बचाने के खातिर उसमें हमें परिवर्तन करना चाहिए। हमारी सरकार कहती है और राजस्व मंत्री कुछ सोचकर, कानून के मेरिट पर न जाकर, विथइन स्कोप के बाहर या बहाना बना कर उसको खत्म करने की चेष्टा करते हैं। उसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, मैंने एक और संशोधन मूव किया था, लेकिन वह मुगालते में पेश नहीं किया जा सका। उस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की थी कि छोटे जागीरदार के ऊपर ज्यादा भार पड़े, वह व्यवस्था क्या है? आपने एक संशोधन किया है, उस संशोधन के द्वारा आपने व्यवस्था की है: "agricultural year 1959-60 and subsequent years......"

उसमें जो लैंड-रेवेन्यु के देने की व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के जरिये उन जागीरदारों को, जिनकी आमदनी ५०० रु० से ज्यादा है और पांच हजार से कम है, .,'. देना पड़ेगा और उसके बाद में है– for the words "agricultural year 1957......" इसका मतलब यह है कि ६ सक्सीडिंग इयर्स पास होने के बाद : "for the agricultural year 1959-60 and subsequent years, 4th of compensation." दफा ६ और सात के मातहत जो कम्पन्सेशन केल्कुलेट

(श्री भैरोंसिंह)

होगा, उसका ½ देना उनको पड़ेगा और जब हमने व्यवस्था की है कि ५०० से ज्यादा और पांच हजार तक की आमदनी वाले जागीरदार हैं उनको देना पड़ेगा ⅑, पांच हजार से ऊपर वाले हैं उनको देना पड़ेगा ½ । जिस समय कानून बना उस समय हमने डिफरेन्सियेशन रखा, अलग अलग रखा, पांच हजार से नीचे वाले के लिए ⅑, पांच हजार से ऊपर वाले के लिए ½ । अब संशोधन पेश हुआ है, उससे सब बराबर हो गये, बड़े छोटे जागीरदार को उतना ही देना पड़ेगा। बद-किस्मती से मेरा संशोधन सदन में पेश नहीं हो सका नहीं तो इस पर मंत्री महोदय के विचार जाने जा सकते थे।

तीसरा संशोधन पेश कर दिया है उससे ऐसा लगता है कि बड़े बड़े जागीरदार समाप्त कर दिये हैं, उसके आधार पर हमारे राजस्व-मंत्री और राजस्थान की सरकार कुछ लोगों की बख्शीश करना चाहती है, और उस बख्शीश के कारण सरकार को नुकसान होने वाला है, उसको छोटे जागीरदारों को नुकसान पहुंचाया जाकर किसी ढंग से एडजस्ट करना चाहती है। अगर आपको एक्शन लेना है तो बड़े बड़े जागीरदारों के खिलाफ लीजिये। माननीय राजस्व मंत्रीजी के पास पॉवर्स हैं, तो जिन्होंने गलत फार्म सब्मिट किये हैं, उन जागीरदारों को अधिकारियों से मिलकर वे फार्म वापिस दिये गये और उनको कहा गया कि आपने मुआवजे का फॉर्म भरा है, वह कम का भरा है, उसको ज्यादा का भर कर सब्मिट किया गया और जिस समय फाइनल अवॉर्ड की स्टेज पर पहुंचे तो किसी ने शिकायत कर दी और जागीरदारों की पोल खुल गई। उस मामले के अन्दर इन्क्वायरी हो रही है। इस प्रकार के केसेज एक नहीं, कई हैं। राजस्थान के अन्दर इन्टेरिम कम्पन्सेशन मिलता है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के जागीर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर, जागीर कमिश्नर उनमें शामिल नहीं हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह हैं, स्टाफ है, वे जागीरदारों से मिलते हैं और कहते हैं कि तुमने जो इन्टेरिम कम्पसेशन का फॉर्म भरा, उसमें ज्यादा से ज्यादा आमदनी बढ़ा दें, उसका १ बटा १० मिलेगा, वह बढ़ी हुई आमदनी का मिलेगा। इन्क्वायरी के बाद में यह आमदनी, बढ़ी हुई आमदनी उसी रूप में रह जाती है तो उसका हिस्सा तय होता है, उसके बाद जब कम्पन्सेशन फाइनल हो गया तो सारा हिस्सा तक्सीम होता है। अजमेर के अन्दर एक जागीर है, राजस्व मन्त्रीजी जानते होंगे कि सावर ठिकाने को एक लाख का इन्टेरिम कम्पन्सेशन दिया गया। उस एक लाख की जांच की जाय तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कई घोटाले निकलेंगे। इस बात की तसदीक होगी और बड़े बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी बतलाई जायगी, जिन्होंने जागीरदार से कह कर गलत फॉर्म भरवाये और १ बटा १० इन्टेरिम कम्पन्सेशन उसके ऊपर कैल्कुलेट करके एक लाख दिया गया। आज चीजें मैं समझता हूं राजस्व मन्त्रीजी को कही जाय जो बड़े जागीरदारों के मामले हैं, बड़ी इन्कम है, बड़े जागीरदार होने से बड़े आदमी हैं, उनके मामले इनके सामने रखे जायं तो उनकी इन्क्वायरी नहीं होगी, राजस्व मन्त्रीजी बतायें कि कितनों से बढ़ा बढ़ा कर फार्म भरवाये गये, गलत फार्म भरवाये गये और १-१० का इन्टेरिम कम्पन्सेशन दिया गया। जब छोटों को कम्पेन्सेशन देने का सवाल आता है तो एक साल की भी बर्दाश्त नहीं, पिछले सैटल्ड एरिया में जो उसकी इन्कम होती थी, वह

Page No.102

(श्री भैरोंसिंह)

मामूली रकम भी वह प्राप्त नहीं कर सका जबकि पिछले साल की आमदनी के आधार पर बड़े बड़े आदमी कम्पन्सेशन ले सके। इसके लिये राजस्व मन्त्रीजी के पास न कानून हैं न कायदे। यदि ५०० रुपयों से ऊपर की आमदनी वाले जागीरदार को इस आधार पर कम्पेनसेशन दे सकते हैं, तो ५०० से नीचे वाले जागीरदार ने आपका क्या गुनाह किया है ? राजस्व मन्त्रीजी के पास इसका कोई उत्तर तो है नहीं, यही कहेंगे कि जागीर रिजम्पशन का तकाजा करना था। जयपुर तहसील की जांच करें, यहां डिलेइंग टैक्टिक्स अपना कर तीन साल तक जागीर खाने दी, सैटलमेंट को डिले किया गया, कौन कसूरवार है इसके लिये ? उन्हें अन्सेटल्ड पर कम्पन्सेशन दिया जायगा। वे राजपूत होते तो जांच हो जाती, पर दूसरे लोग बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, उनके लिये जांच करवाने के लिए दिखावटी रूप में, राजस्व मन्त्रीजी कह सकते हैं, सरकार कर सकती है, पर कार्यरूप में परिणत करने को कोई तैयार नहीं। कम्पन्सेशन के मामले को लेकर जो ज्यादती छोटों के साथ हो रही है, उस तरह की ज्यादती शायद ही कहीं की गई होगी। अगला अमेंडमेंट आयेगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह छोटे भूस्वामियों के गले पर छुरी चलाई जा रही है, उन लोगों को बर्बाद करने की गरज से डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाई जाती है। किसको कहें, सुनने वाला कौन है ? राजस्व मन्त्रीजी से कहते हैं तो वायदा तो वे करते हैं कि जल्दी सुनवाई की जायगी, इन्क्वायरी कराई जायगी, पर वह वायदा कभी पूरा नहीं होगा। हमारे जयपुर में यंग साहब थे, कोई भी उनके पास कोई काम लेकर चला गया, तो वे वायदा करते थे कि उसका काम कर देंगे पर वह वायदा वायदे के रूप में ही चलता रहता था, तीन तीन वर्ष वायदे के निकल जाते थे, पर काम किसी का नहीं होता था। तो यह यंग साहब का अवतार हमारे यहां कहां से आ गया ? चाहे जितना कहें, बातें करें कि इसको जल्दी से जल्दी कर देंगे, इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी, पर वह वायदा कभी पूरा नहीं होता।

मैं अन्त में सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि यह कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन नहीं है, छोटे भूस्वामियों का इससे पुनः संस्थापन करवाना चाहते हों, ऐसा कानून नहीं है, इस कानून से छोटे भूस्वामियों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। वे लोग भी काश्तकार हैं, वे राजस्थान विधान सभा से इस बात की अपील करेंगे कि सरकार द्वारा बड़े आदमियों से हाथ मिला कर साजिश की जाती है, उनको नुकसान पहुंचाने की, इसलिये यह कानून पास नहीं होना चाहिये। प्रिंसिपल एक्ट की धारा ८ में इसके जरिये जो संशोधन किये जा रहे हैं एक ४ सक्सीडिंग एग्रीकल्चरल इयर्स के स्थान पर ६ सक्सीडिंग एग्रीकल्चरल इयर्स करने का है और दूसरा एग्रीकल्चरल इयर १६५७-५८ के स्थान पर १६५६-६० करने का है-ये दो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। उनके द्वारा जो भावना लाई गई है वह छोटे जागीरदारों के खिलाफ है। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस कानून को पास न होने दें। क्यों कि इससे गरीबों का नुकसान होगा। इसके पास नहीं करने से कुछ बड़ों का थोड़ा नुकसान हो सकता है पर छोटों का नहीं। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस कानून को इस स्टेज पर रोका जा सकता है, सदन इसे रोक दे, इसका डट कर विरोध करें।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) माननीय चेयरमैन महोदय, फिर माननीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्य ने अपने भाषण में वे ही बातें कही हैं जो उन्होंने इस बिल के कन्सीडरेशन स्टेज पर और इसको क्लाज बाई क्लॉज डिस्कशन करते समय पेश की थीं।

बेसिक इयर की डेफिनिशन तब्दील होने से छोटों को या बड़ों को कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। रेन्टल इन्कम है, जो वह पहले साल थी वही इस साल होगी। यह तो नहीं है कि एक साल और थी दूसरे साल और हो गई।...

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, माननीय राजस्व मन्त्री एक बात का उत्तर दे दें, जिस व्यक्ति की इस साल जागीर रिज्यूम हुई है, सैटलमेंट इस साल हुआ, पिछले साल की आमदनी लटाई के आधार पर जोड़ी जायगी......

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसी बात को समझा रहा हूं और यही बता रहा हूँ। जो बात आप कहना चाहते हैं पर साफ नहीं कहते, वह मैं बता देना चाहता हूँ। आप यह कहना चाहते हैं कि जागीर रिज़म्पशन इस साल नहीं किया जाय।......

श्री भैरोंसिंह : नहीं, यह कदापि नहीं; आप गलत कह रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय चेयरमैन, इन्टरप्शन नहीं होना चाहिये। मैं इस समय उत्तर दे रहा हूं

आप साफ तरीके से क्यों नहीं कहते एग्रीकल्चरल इयर १६५७-५८ के स्थानपर ५६-६० करने का विरोध करते हैं,...आप एक तरीके से यह कहना चाहते हैं कि जागीर रिज़म्पशन इस साल न किया जाकर अगले साल कराया जाय। छोटे जागीरदारों को इससे नुकसान होगा। यह कहना बिल्कुल गलत है। सैटल्ड इन्कम है, बिल्कुल फिक्स्ड है, फिर नुकसान कैसे होगा? तो कहना साफ चाहिये और यह कहना चाहिये कि इस साल रिज्यूम मत करो।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल गलत बात कही जा रही हैं, मेरी यह मंशा कतई नहीं है। जागीर रिज़म्पशन हो गई, उसको रिज्यूम करने का कोई क्वेश्चन नहीं।

श्री मदनसिंह : दो मिनिट दिये जाय, तो समझा दूं, आपकी हमारी बात हुई है।...

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, हर बात पर आपकी हमारी बात हुई है और आप कहते रहिये हर बात पर कि आपकी मेरी बात हुई है ....

श्री मदनसिंह : दो मिनिट में समझा दूं.......

श्री सभापति : समझाने का समय यह नहीं है। Ordar ! order Please !!

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी बात है माननीय चेयरमैन महोदय, कि जितनी जागीरें रिज्यूम होती हैं, सैटल्ड जागीरें रिज्यूम होती है और सैटल्ड जागीर को ही रिज्यूम करने का कायदा है वे अन सैटल्ड हमने रिज्यूम की नहीं।

बेसिक इयर की डेफिनिशन नहीं बदलते हैं तो १६५८ में जिनका सैटलमेंट होगा उनका रिज़म्पशन ५६ तक पोस्टपोन हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : छोटे जागीरदारों के लिये

श्री दमोदरलाल व्यास : न इसमें किसी छोटे जागीरदार को नुकसान होगा, न बड़े को, न किसी दूसरों को। सैटलमेंट इन्कम वैसी की वैसी है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने जयपुर की तहसीलों के लिए कहा कि सैटलमेंट में देरी की गई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने सैटलमेंट से किसी प्रकार की देर की हो, ऐसी बात नहीं है। उनको मैं समझता हूँ कि इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। जयपुर की तहसीलों का सैटलमेंट दुबारा कराना पड़ा था क्योंकि यहां पहले १२ या १५ वर्ष पहले सैटलमेंट हुआ था और वह स्टेट के समय में। इसलिये दुबारा कराना पड़ा कि इतने अर्से में इन्द्राजातों में बहुत सी तब्दीलियां भी हुई हों, इसलिये उसमें समय लगा।

श्री भैरोंसिंह : नया सेटलमेंट २ वर्ष में हो गया और पुराना ५ साल में, इसका क्या कारण?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके इन्द्राजातों में फर्क हो गया, इसलिये नया रेकॉर्ड तैयार करवाया गया। सैटलमेंट का मतलब ही यही है कि रेकॉर्ड पूरी तरह से मुकम्मिल बने हुए हों और एक, दो या चार व्यक्तियों को फायदा पहुँचता हो और इसके न करने से दूसरों को नुकसान पहुँचता हो, तो यह तो उचित नहीं है। रेकॉर्ड को, तो रेकार्ड आफ राइट्स को सही तरीके से बताने के लिये, मुकम्मिल ही रखना चाहिये। इस चीज को गवर्नमेंट ने बराबर देखा है और सैटलमेंट उसी के मुताबिक हुआ है। सरकार ने बराबर यह देखा है कि लगान ठीक तरह से लगा है या नहीं। इसकी देरी का कारण यह था कि काफी समय सर्वे में बीत चुका था।

श्री मदनसिंह : बेसिक इयर क्या होगा!

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानून में देख लीजिये। २० अगस्त के बाद से कौन सी रिज्यूम हुई है। इसके अलावा अमेन्डमेंट में एग्रीकल्चरल इयर में, लैण्ड रेवेन्यू में एक बटा छः हिस्सा आदि लेने से जागीरदारों को एडवान्स मिलता था, उसमें अमेन्डमेंट हुआ है उसमें उनको क्या कहना है? इसमें भी छोटे भूस्वामियों को नुकसान हुआ वह किस कारण से हुआ? राजनैतिक तरीके पर यह कहा जा सकता है कि उनको नुकसान हुआ मगर किस कारण से हुआ, वे यह देख सकते हैं? सेटलमेंट की रेट जो कल थी, वह आज है और आगे भी होगी। इससे वे क्या फायदा उठा सकते हैं? मैं समझता हूँ और माननीय सदस्य खुद इस बात को समझते हैं कि इससे छोटे जागीरदारों को कोई नुकसान नहीं होगा।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैंने ऐसा सुना है कि यह आपकी राय से आया है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैंन्ड रिफॉर्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर्स नाइन्थ (अमेन्डमेंट) विधेयक १९५८ को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

दी राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड रिजम्पशन आफ जागीर्स (नाइन्थ अमेंडमेंट विधेयक १९५८ पारित किया गया।

Page No.105

(श्री सभापति)

सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सांय ४ बज कर ५५ मिनिट पर दिनांक ४ नवम्बर, १९५८ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ३ नवम्बर, १९५८)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १४४६

आपत्कालीन सलाहकार समिति की नियुक्ति ।

तकावी जिला जालौर ।

बेवाओं को पेन्शन ।

राणावत फोर्मूला ।

गोचरभूमि, तहसील पाली ।

तहसीलदारों द्वारा अपने इलाके का दौरा ।

गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिरोही में अध्यापकों की कमी ।

लगान की रेट, जिला जयपुर ।

भरतपुर हेतु नियत लोक-ऋण ।

तहसील कोटपुतली में लगान के साथ बट्टे की वसूली ।

उच्च विद्यालय, मेड़ता सिटी में छात्रों की संख्या ।

ग्राम कालसांस को तहसील भीलवाड़ा में मिलाना ।

देवस्थान विभाग के कर्मचारियों का वेतन और भत्ता ।

राजस्थान में शिक्षितों का प्रतिशत ।

कोटपुतली हाईस्कूल का श्री रामेश्वर टूर्नामेंट ।

तहसील कोटपुतली की शिक्षण

स्तम्भ

संस्थाओं के अध्यापकों का वेतन ।

विस्तार सेवा खंडों में कम्युनिटी रिसीवर रेडियो सेट ।

ग्राम लूणवा का पटवारखाना तहसील पाली ।

विकास सेवा खंड अधिकारी, नवलगढ़ का कार्यालय ।

ग्राम बेलवा, तहसील शेरगढ़ में राजपूत-दाणियों का जलजाना ।

बारां में बाढ़ ग्रसित परिवारों को सरकार द्वारा सहायता ।

जयपुर के सैन्ट्रल पूल कार ड्राइवरों का रिफिक्सेशन ।

कर्मचारियों का एक डिविजन से दूसरे डिविजन में स्थानान्तरण ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बीकानेर की शिक्षण संस्थायें ।

शिक्षा विभाग के ग्रेजुएट्स अध्यापक ।

सब डिविजनल ऑफिसर नवलगढ़ का कार्यालय भवन ।

कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कर्मचारियों का वेतन ।

धौलपुर उप- जिले की तहसीलों में तकावी मांगने के प्रार्थना-पत्र ।

स्कम्भ स्कम्भ

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री अमृतलाल पायक, सदस्य विधान सभा को दिनांक २४–१० ५८ से सत्र के अन्त तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

१. पुरःथापित दिये गये विधेयक १४६६

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरस्थापित किये गये :

१. राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, १६५८

२. राजस्थान जनरल क्लॉजेज़ (संशोधन) विधेयक, १६५८।

३. राजस्थान बिक्रीकर (वैधकरण) विधेयक, १६५८

राजस्थान भूमि-सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (अष्टम संशोधक) विधेयक, १६५८ १५०२

(खंडशः विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी बहस हुई। राजस्व मन्त्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा विधेयक पर खंडशः विचार आरम्भ हुआ।

खंड २ संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ तथा खंड ३, ४, ५, व १ आदि बिना संशोधन के स्वीकार किये गये। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण (नवां संशोधन) विधेयक, १६५८ १६१२

(खंडशः विचार–विमर्श एवं पारित)।

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् विधेयक पर खडशः विचार किया गया। विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

मंगलवार, दिनांक ४ नवम्बर १६५८ की कार्य सूची

(१) राजस्थान पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८
(खंडशः विचार–विमर्श एवं पारित)

(२) राजस्थान पब्लिक डिमाण्डस रिकवरी (संशोधन) विधेयक १६५८

(खंडशः विचार–विमर्श एवं पारित)।

(३) राजस्थान टिनेन्सी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८
(वाद–विवाद)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०५ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE MEMBERS.

1.	Chief Secretary to the Government of Rajasthan.	Chairman.
2.	Addl. Chief Secretary to the Government of Rajasthan.	Member.
3.	All secretaries to the Government.	"
4.	Inspector Genral of Police, Rajasthan.	"
5.	Chief Engineer, B. & R., P. W. D., Rajasthan.	"
6.	Chief Engineer, Irrigation, Rajasthan.	"
7.	Director of Agriculture, Rajasthan.	"
8.	Director of Medical & Public Health, Rajasthan.	"
9.	Director of Industries and Commerce, Rajasthan.	"
10.	Director of Local Fodies, Rajasthan.	"
11.	Director of Public Relations, Rajasthan.	"
12.	Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan.	"
13.	Director of Education, Rajasthan.	"
14.	Chief Conservator of Forests, Rajasthan.	"
15.	Chief Panchayat Officer, Rajasthan.	"
16.	Commissioner, Transport, Rajasthan.	"
17.	Shri Mani lal Verma	M. P.
18.	Shri Sobha Ram	M. P.
19.	Shri Mathura Dass Mathur	M. P.
20.	Shri Panna Lal Barupal	M. P.
21	Mrs. Sharda Bhargava.	M. P.
22.	Shri Nemi Chand Kssliwal	M. P.
23.	Shri Rameshwar Tantia, 8 Mission Road, Calcutta I.	M. P.
24.	Shri Hardeo Joshi, Banswara	M. L. A.
25.	Shri Brij Mohan Lal Sharma, Beawar.	M. L. A.
26.	Shri Daleep Singh Kotah	M. L. A.
27.	Shri Bhola Nath Master, Alwar.	M. L. A.
28.	Shri Paras Ram, Osian,	M. L. A.
29.	Shrimati Gori Poonia, Degana	M. L. A.

30.	Shri Chandan Mal Vaid Sardar Sahar	J I.L.A
31.	Shri Kumbha Ram Arya, President of Rajasthan Panchayat Sangh	Member
32.	Shri Badri Narain Sodani, Representative Jal Board and Bharat Sewak Samaj.	Member.
33.	Shri Bhagirath Kanoriya, Indian Exchange, Calcutta I Representative of Marwari Relief Society.	,,
34.	Shri Damodar Dass Khandelwal, Chamber of Commerce of Rajasthan, Jaipur.	,,
35.	Shri Bhure Lal Baya, Representative of Khadi Board and Weavers Association, Rajasthan.	,,
36.	Mrs.Bhartiya, Principal Maharani Women's College, Jaipur (Representative Women's Organisation.)	,,
37.	Secretary, Red Cross Society, Jaipur Branch	,,
38.	Lt. Commandant N. C. C , Jaipur.	,,
39.	Shri R. S. Dhiman Scouts Organisation Commissioner, Jaipur.	,,
40	Dr. A. Anantakrishna, Director, Metoetological Centre, Government of India, Lodi Road, New Delhi.	,,
41.	Smt. Kamla Beniwal, Vice-Chairman Social Welfare Board, Rajasthan, Jaipur.	,,
42.	Director of Relief Operations-cum-Dy. Secy. &. E. R. O.	,, Secy
43.	Reprentative of Vyapar & Udyog Mandal Jaipur.	

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३०६ का उत्तर देखिये)

इस वर्ष जिला जालौर की तकावी फैमिन के रु० ५०,००० दिये गये, जिनका विभाजन निम्न प्रकार किया गया:-

१. तहसीलदार जालौर	१०,००० रु०
२. तहसील आहौर	११,००० रु०
३. तहसील जसवन्तपुरा	११,००० रु०
४. तहसील साचोर	१८,००० रु०
कुल	५०,००० रु०

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३१२ का उत्तर देखिये)

नं० शुमार	सर्किल आर० आई	नाम गांव
१	पाली	खास
२	,,	कानावास
३	,,	जिनड़ा
४	,,	माड़पुरिया
५	,,	निवली
६	,,	दूदिया
७	,,	मड़ली
८	,,	ढावर
९	,,	मावालाई
१०	,,	सोवलिया
११	,,	सदावमा
१२	मुन्दोज़	मुन्दोज
१३	,,	डेन्डल
१४	,,	गीराड़ल
१५	,,	गुड़ा सोनीगरा
१६	,,	जैतपुरा
१७	,,	कान्दलाल
१८	,,	गुड़ा गीरदारी
१९	,,	जाड़ी जूनागढ़
२०	,,	मकान्दरा
२१	,,	रामावासिया
२२	,,	मानपुरा
२३	,,	हैनावास
२४	,,	मामरला

१	२	३
२५	,,	गुड़ा परमालसिंह
२६	,,	गुड़ा बांधू
२७	,,	सोनीराई लाख
२८	,,	माड़ावास
२६	,,	दिवान्दी
३०	,,	मूरड़िगा
३१	,,	वालई
३२	,,	उन्दर
३३	,,	संकेरिया
३४	,,	रामवदरिया
३५	,,	केरला
३६	,,	जुनियांवास
३७	,,	कुलथागा
३८	,,	देवान
३६	,,	राखाना
४०	,,	उमकेली
४१	,,	कुण्डालिया
४२	,,	घोगाना
४३	,,	मीन्डर
४४	,,	वंसी
४५	,,	हजावा
४६	,,	नेहरा
४७	,,	फेकारिया

———

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२० का उत्तर देखिये)

Statement showing the prevailing highest & lowest rates of Chahi, Nehri, Dehri & Barani Soils of Tehsil Bansur, Behror Thanagazi, Neem ka-Thana, Kotputli.

S.N.	Name of Tehsil.	Chahi.		Nehri.		Dehri.		Barani		Remark s.
		Highest	Lowest.	Highest.	Lowest.	Highest	Lowest.	Highest.	Lowest.	
1.	Bansur.	6/-/-	3/-/-	-	-	2/-/-	1/4/-	1/-/-	-/6/-	These are prevailing rates in Khalsa vill ages propo sed by shri F. S. waitil Setel ement officer Al-war.
2,	Behror.	3/8/-	2/-/-	1/8/-	-	2/-/-	1/8/-	1/10/-	-/10/-	
3.	Thanagazi.	7/-/-	4/-/-	-	-	2/8/-	-	1/8/-	-/8/-	
4.	Neem ka Thana.	10/-/-	3/2/-	5/-/-	2/8/-	2/8/-	1/6/6	2/3/-	-/7/6	
5.	Kotputli.	10/10/-	3/2/-	5/5/-	1/8-	4/1/-	-/15/-	2/8/-	-/7/6	

परिशिष्ट ५

(कृपया प्रश्न संख्या ३३५ का उत्तर देखिये)

क्रम सं०	कर्मचारी का नाम	जिसका समय वेतन बकाया है		रकम बाकी
१.	श्री सुरेशचन्द्र प्राथमिक स्कूल पवाना अक्टूबर ५२ से अप्रेल ५३			२५५-६-६
२.	" बालचन्द वर्मा मिडिल स्कूल नारेड़ा दिसम्बर ५४			५६-८-०
३.	" रामजीलाल वर्मा	"	"	३८-८-०
४,	" पूर्णमल शर्मा	,,	,,	३८-८-०
५.	,, पूर्णमल सागी	,,	,,	३८-८०
६.	,, देवीसाय चपरासी	,,	,,	२६-८-०
७.	,, महेश्वर	,,	,,	२-०-०
८.	,, जगदीशप्रसाद वर्मा	,,	,,	४१-०-०
९.	,, रामनारायण	,,	,,	३-०-०
१०.	,, मेहतर	,,	,,	-१२-०
११.	,, कन्हैयालाल वर्मा	२	,,	६५-०-०
१२.	,, गंगासिंह	,,	,,	६३-८-०
१३.	,, गैंदालाल	,,	,,	५२-८-०
१४.	,, मैलचन्द सोनी	,,	,,	५२-८-०
१५.	,, भगवानदास वर्मा	,,	,,	३८-८०
१६.	,, गजानन्द शर्मा	,,	,,	३८-८-०
१७.	,, नारायणसिंह	,,	,,	३८-८०
१८.	,, सूरजमल शर्मा	,,	,,	३८-८-
१९.	,, नाथूलाल चपरासी	,,	,,	२६-८०
२०.	,, बद्रीप्रसाद रसोइया	,,	,,	३७-४-०
२१.	,, मूलचन्द नाई	,,	,,	१२-१२०
२२.	,, मेहतर स्कूल	,,	,,	१-८-०
२३.	,, मेहतर छात्रावास	,,	,,	०-१२-०
२४,	,, अयूब करीम खां मिडिल स्कूल बनेटी दिसम्बर ५६ से जनवरी ५७			७५-५-०

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ का उत्तर देखिये)

विकास खण्डों में वितरण किये गये कम्युनिटी रिसीवर रेडियो सेट्स की सूची

क्रमांक	विकास खंड का नाम	कम्युनिटी सेट्स जो वि० खं० में वितरण किये गए	सेटों की संख्या जो संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।	सेटों की सं० जो संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं
१.	२.	३.	४.	५.
१.	सिवाना	२४	–	२२
२.	कोटड़ी	४	४	–
३.	शाहपुरा	६	६	२
४.	परतावगढ़	२४	–	१५
५.	नोखा	१२	–	२
६.	चांदीकुई	४४	१३	३१
७.	बिलाड़ा	४६	५	२०
८.	सोजत	१५	१४	१
९.	राजाखेड़ा	२४	१०	१२
१०.	सांभरलेक	७६	५३	२३
११.	किशनगढ़ (अजमेर)	२४	२४	–
१२.	मांडलगढ़	२४	१०	३
१३.	शिव	१२	५	७
१४.	मसूदा	२४	२२	–
१५.	केकड़ी	२४	१५	९
१६.	खारची	२४	१८	६
१७.	श्रीनगर	२४	२२	२
१८.	पिसांगन	६	५	–
१९.	आबू रोड	३६	३६	–
२०.	गंगापुर	२४	–	१४
२१.	नगर पहाड़ी	२९	२४	५
२२.	जवाजा	२८	१४	६

१	२	३	४	५
२३.	सांकड़ा	३६	२	३४
२४.	सुमेरपुर	२४	१०	५
२५.	किशनगढ़–ग्राम अलवर	१६	१३	६
२६.	राजसमन्द	१२	–	१२
२७.	लछमनगढ़ (सीकर)	२४	–	२४
२८.	लछमनगढ़ (अलवर)	२४	१२	१२
२९.	तिजारा	३०	१२	१३
३०.	पिंडवाड़ा	३६	३६	–
३१.	हिंडोली	२४	१०	१२
३२.	करौली	३६	६	१०
३३.	श्रीकरनपुर	२५	१२	१३
३४.	कपासन	२४	४	६
३५.	सूरजगढ़	१२	–	–
३६.	खानपुर	२४	२	२२
३७.	झालरापाटन	२४	–	६
३८.	लाडनू	२८	–	२८
३९.	देसूरी	३६	२५	–
४०.	गिरवा	४८	१	१२
४१.	लाडपुरा	५८	६	३०
४२.	भोपालगढ़	६	१	५
४३.	बसेरी	२४	८	१६
४४.	सरदारशहर	२४	–	१४
४५.	सिरोही	४	४	–
४६.	डीडवाना	१२	२	–
४७.	बैंगू	४४	११	१०
४८.	खमनोर	२४	–	१५
४९.	सांगानेर	७१	७१	–
५०.	महुवा	३९	१	२८

१	२	३	४	५
५१.	बूंदी	२४	१	२३
५२.	अटरु	१४	६	८
५३.	शाहबाद	१२	२	९
५४.	मन्डोर (जोधपुर)	८	२	–
५५.	नीम का थाना	३६	५	१३
५६.	हिन्डोन	२४	–	१९
५७.	आमेट	३६	–	३६
५८.	बाली	३६	१९	–
५९.	जयपुर	३४	२४	९
६०.	चिड़ावा	३४	३	२०
६१.	उदयपुरवाटी	३०	६	२४
६२.	कुम्भलगढ़	४१	–	४१
६३.	माँडल	२४	१६	५
६४.	सांचोर	२४	५	९
६५.	जहाजपुर	६	–	–
६६.	हनुमानगढ़	२४	६	१२
६७.	टोंक	६३	२२	३६
६८.	कुचामन	१६	६	१०
६९.	आहोर	२४	–	१२
७०.	बस्सी	१००	७०	२८
७१.	बारां	२४	१९	–
७२.	रायसिंह नगर	४८	–	२८
७३.	मालपुरा	४८	४२	–
७४.	टोडाभीम	४४	२४	२०
७५.	अन्ता	४८	–	२०
		२,१७१	८३०	८६५

नोट--चार विकास खण्डों से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक ३ नवम्बर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१४६१	२२	total susbcription	total Subscription-
१४६२	२३	by the Govenrment	by the Government
१४६५	६–७	by by means	by means
१४६६	२१	कृपा करेंगे	कृपा करेंगे
१४७१	७	राजस्व भंत्री	राजस्व मन्त्री
१४८३	शीर्ष	१२८३	१४८३
१४९०	१२	किस वोर्डिनेटेज़ सर्विसे	कि सबोर्डिनेट सर्विसेज़
१४९४	२०	ऑफसिर	ऑफिसर
१४९६	अन्तिम से ३	१५-१०-५४	१५–१०–५४
१५०१	,, ७	१९३७ तक	१९५७ तक
१५०८–१५०९	शीर्ष	तारांकित प्रश्नोत्तर	राजस्थान भूमि सुधार इत्यादि (अष्टम संशोधन) विधेयक, १९५८
१५१०	शीर्ष	राजस्थाक भूमि सुधार	राजस्थान भूमि सुधार
१५२०	११	appiicant	applicant
१५२३	१०	इस अमेंडिंग	इस अमेन्डिंग
१५२४	३	राजस्थान मूमि	राजस्थान भूमि
	५	विचार–मिर्श	(विचार विमर्श)
,,	११	विधेयक का	विधेयक को
,,	अन्तिम से ८	जागीदार	जागीरदार
१५२५	१३	इम्पाशियल	इम्पार्शियल
१५२६	१७	इसके मुतल्लिक	इसके मुतल्लिक

१	२	३	४
१५२६	२१–२२	एड्वाइजर	एडवाइजर
१५२७	१३	wrods	words
१५२८	५	revenne	revenue
”	२०	under ceause	under clause
१५३२	३	यह् जमोंन	यह जमीन
”	१९	of infarmaltion	Of information
१५३३	११	जन जागीरदारों ने	जिन जागीरदारों ने
१५३४	१६	चाहता दूं	चाहता हूँ
१५३६	१६	Substilute	"Substitute
१५४३	२	provided thst	"Pruidw that
१५४६	२०	पिसरिपजेन्ट	मिसरिप्रेजेन्ट
१५७४–७५	शीर्ष		भूमि सुधार एवं जागीर
१५८१	१९		विधेयक, १९५८
”	अन्तिम से ६	hichever	whichever
१५८२	शीर्ष	Jagiras	Jagirs
१५८४	शीर्ष	भूम–सुधार	भूमि सुधार
”	११	भूमि-धार एवं	भूमि सुधार एवं
१५९६	अन्तिम से १२	Gvoernment	Government
१५९८	”	जितनी शिकातें	जितनी शिकायतें
१५९९	”	इन चोजों	इन चीजों
१६००	१६	its knnwledge	its knowledge
”	अन्तिम से १०	जाय······	किया जाय
१६०३	३	newlv pro posed	newly proposed
”	अन्तिम से ३	श्री मैंरूसिंह	श्री मैरोंसिंह
१६०८	अन्तिम	in possess on	In possession
१६१२	१०	योंकि जो	क्योंकि जो
१६१३	२१	३. २. ३ म० प०	३. २३ म. प.
”	अन्तिम से १०	year 19 2	Year 1952
१६१४	३	thousaund rupeeds	thousand rupees
१६१५	८	mouth	the amount
१६१६	१६	क्रम्पेननेशन	कम्पेन्सेशन
१६१८	अन्तिम से ६	फिर दो हराना	फिर दोहराना
		जो रकम	जितनी रकम

१	२	३	४
१६२३	१३-१४	objestiont	objection
,,	१६	putting now	Putting up, now
१६२७	शीर्ष	विवेयक	विधेयक
,,	अन्तिम से १३	जिनका टैलमेन्ट	जिनका सैटलमेन्ट
१६२८-२६	शीर्ष	भूमि-सुधार विधेयक	भूमि-सुधार एवं जागीर विधेयक
१६२८	अन्तिम से ७	होकर क्यों	होकर भी क्यों
१६३६	२	इथर	इयर
१६४४	२४	लैंड रेवेमु	लैंड रेवेन्यु
,,	अन्तिम से १३	चार वर्ष में, वर्ष के	चार वर्ष के
१६५१	अन्तिम से ११	ordar !	order !
१६५३	अन्तिम से ६	जागीर्स नाइन्थ(अमेंडमेंट)विधेयक	जागीर्स नाइन्थ अमेन्डमेन्ट)विधेयक
१६५६	४	तकावी जिला जालौर	फैमिन तकावी जिला जालोर
१६५८	७	दिये गये	किये गये
१६६०	१३	local fodies	Local Bodiee
१६६१	शीर्ष	परिशिष्ट १ का शेसांश	परिशिष्ट १ का शेषांश
,,	प्रथम पंक्ति	J I. L.A.	M. L. A.
,,	६	Calcutta 1	Calcutta
१६६४	२	बांधू	बींधू